राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १०] द्वितीय विधान सभा के दशम् सत्र, १९६१ का ४२वां दिवस [संख्या २८

बुधवार, दिनांक ५ अप्रेल, १९६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १४ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वास्थ्य, पंचायत, स्वायत्त शासन, सिंचाई, सहकारिता, वित्त, वन, राजस्थान कैनाल एवं कृषि-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या ७५२

श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट, श्री मूलचन्द डागा।

ग्राम पंचायतों के लिपिक

७५३. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे :—

(क) ग्राम पंचायतों के लिपिक की क्या योग्यता होनी आवश्यक है और क्या उनके लिये कोई वेतन या वेतन श्रृंखला मुकर्रर है? किस आधार पर उन्हें नियुक्त किया जाता है?

(ख) क्या यह सत्य है कि पंचायतों में बहुत से लिपिक अयोग्य हैं और जिसके कारण पंचायतों के कार्य में हर्जा होता है?

(ग) क्या सरकार इसके लिये निम्नतम योग्यता मुकर्रर करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो क्या?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) ग्राम पंचायतों के लिपिक की योग्यता हिन्दी मिडल तक रखी गई है किन्तु यह

Page No 2

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पंचायत पर निर्भर है कि वह इससे कम योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकती है। अस्थाई या अंशकालीन लेखक के लिये हिन्दी भाषा का लिखना-पढ़ना तथा हिसाब रखने की योग्यता होना आवश्यक है।

पंचायत के लिपिक के लिये कोई वेतन शृंखला निश्चित नहीं है। पंचायत अपने साधनों को देख कर एवं लिपिक की योग्यता को ध्यान में रखते हुए उनका वेतन नियत करती है।

(ख) ऐसा सम्भव हो सकता है :

(ग) सरकार ने मिडल तक योग्यता रखी है, किन्तु कठिनाई यह है कि कई एक ग्राम पंचायतों को इतनी योग्यता रखने वाले व्यक्ति भी उपलब्ध नहीं होते हैं और पंचायतों के पास इतने साधन भी नहीं हैं कि वे ज्यादा योग्यता रखने वाले व्यक्ति नियुक्त कर सकें। राज्य सरकार ने पंचायतों के लिपिकों एवं सचिवों के शिक्षण का प्रबन्ध पंचायत समिति अध्ययन केन्द्रों पर किया है।

श्री मूलचन्द डागा : जब पंचायतों का काम बिना लिपिक के सफर होता है तो क्या आप यह नहीं चाहते कि पढ़े-लिखे लिपिक वहां पर रखे जावें ?

श्री नाथूराम मिर्धा : चाहते तो ऐसा ही हैं कि पढ़े-लिखे और योग्य लिपिक हों मगर वहां पर साधनों के उपलब्ध नहीं होने के कारण दूसरों को रखना पड़ता है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : ये लिपिक पर्मानेन्ट हैं या टेम्पोरेरी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जिस प्रकार म्युनिसिपैलिटी के पास साधन हैं और वे लिपिक रखते हैं ४०-२-६० का, तो अगर उनके पास साधन हों तो स्थाई तौर पर रख सकते हैं और साधन नहीं हों तो अस्थाई तौर पर रख सकते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या न्याय पंचायतों में भी यही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने सर्क्यूलर को नहीं देखा है। पंचायतों का ही सामान और स्टाफ काम में लिया जाता है; सारे दवात-पेंसिल आदि ।

डॉ० बहादुरसिंह : दफ्तर भी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दफ्तर भी वही है।

एक माननीय सदस्य : क्या लिपिकों की एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रान्सफर हो सकती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर पंचायतें आपस में करें तो कर सकती हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री वेनाराम गहलोत ।

पाली शहर के समीप स्थित रोधाला डोली की बावड़ी

७५४. **श्री वेनाराम गहलोत** (खारची): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 3

(श्री बेनाराम गहलोत)

(क) क्या यह सही है कि पाली शहर के रोधात्रा नाम की डोली की बावड़ी है? यदि हां, तो क्या वह बावड़ी सार्वजनिक है ?

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इस बावड़ी के पास पीपल चौका है जहां क्रिया-कर्म होता है ? यदि हां, तो उसका पट्टा किस के नाम है ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त सार्वजनिक बावड़ी से आम जनता को पानी भरने तथा मवेशियों को पानी पिलाने से रोक रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) उक्त बावड़ी पर कब से किसका कब्ज़ा है और पर्चा लगान किसके नाम पर कब से है तथा किसका कब्जा काश्त है ?

(ङ) क्या उपरोक्त मामलों की शिकायतें क्लेक्टर, पाली के पास हुई हैं ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वायत शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम): (क) यह सही है। यह बावड़ी सार्वजनिक नहीं है।

(ख) यह सही है। आजकल इस पीपल चौके पर क्रियाकर्म नहीं होता है। इसका पट्टा किसके नाम से है, इसकी सूचना प्राप्त नहीं है।

(ग) यह बावड़ी सार्वजनिक नहीं है, इसलिये यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

(घ) इस बावड़ी के हाल का पर्चा लगान संख्या २५८ मन्दिर श्री आइ माताजी का है। कस्बा बिलाड़ा व एतपाय महन्त श्री हरिसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह, जाति सीरवी, निवासी बिलाड़ा डोलीदार के नाम सं. २०१५ से है और इस पर उन्हीं का कब्जा काफी अर्से से चला आ रहा है। मौजूदा कब्जा काश्त श्री घनश्यामसिंह पृथ्वीसिंह राजपूत, निवासी बडेर, बिलाड़ा, हाल पाली का है।

(ङ) जी हां, दिनांक ३०–७–६० को। यह उप-जिलाधीश, पाली के विचाराधीन है।

श्री बेनाराम गहलोत : यह आप किस आधार पर कहते हैं कि यह सार्वजनिक नहीं है, जब कि जमीन आइ माताजी के नाम पर है ?

श्री सम्पतराम : मैंने जो जिला स्तर पर सूचना प्राप्त की है उस आधार पर कह रहा हूँ।

श्री बेनाराम गहलोत : क्या आप इसकी वापिस जांच करावेंगे कि वह मन्दिर सार्वजनिक है ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह हजारों वर्ष से है और इसको बराबर लोग सार्वजनिक काम में लेते हैं। उसने इस जमीन पर कब्जा कर लिया है।

श्री सम्पतराम: एग्रीकल्चरल लैन्ड पर डिस्प्यूट है उसका तो मेरे से कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन जो मुझे सूचना मिली है उसके आधार पर मैंने उत्तर दिया है।

Page No 4

श्री मूलचन्द डागा : क्या म्युनिसिपैलिटी ने उस जमीन को एग्रीकल्चरल लैन्ड मान लिया है ?

श्री सम्पतराम : म्युनिसिपैलिटी को इसको मानने का कोई अधिकार नहीं है ।

श्री बेनाराम गहलोत : मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप इसकी जांच करावें कि रोधाबा नाम की डोली की बावड़ी है वह सार्वजनिक है या नहीं ?

श्री सम्पतराम : इसकी जांच करा सकते हैं। अगर आप सूचना देते हैं तो ।

एक माननीय सदस्य : इस स्थान पर अब क्या क्रिया-कांड होते हैं, इसकी भी जांच करेंगे ?

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य ने जो पहले सूचना दी है उसकी जांच कराना मैं स्वीकार करता हूँ । मेरी सूचना इस प्रकार की है कि यह जो जमीन है उस पर काश्त होता है और उसने कब्जा कर रखा है....

श्री अध्यक्ष : जो मामले विवादास्पद हैं उसके लिये सरकार को अपना मत नहीं देना चाहिये और कह देना चाहिये कि मामला विवादास्पद है बनिस्बत इसके कि केटेगोरिकल स्टेटमेंट दे दें । जब आपको पता लगा कि इसमें झगड़ा है तो आपको यह कहना चाहिये कि यह मामला विवादास्पद है और जैसा भी कानून में होगा उसके अनुसार होगा ।

श्री सम्पतराम : मैंने तो बावड़ी का कहा है ।

श्री अध्यक्ष : Even for the 'Babri' there should be a contention. It might be a question of legal rigths between two persons. आप तो कानून की दृष्टि से उसको एग्ज़ामिन कर लें और जैसा हो वैसा कर लें ।

नेक्स्ट ।

पंचायत समिति नादौती मुख्यालय बामनवास की नवीन पंचायतों की रूप रेखा को प्रधान के मकान पर पहुँचाया जाना

७५५. श्री पृथ्वीराज (गंगापुर–सु०) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) पंचायत समिति नादौती, मुख्यालय बामनवास, जिला सवाई माधोपुर की नवीन पंचायतों की रूपरेखा जो सरकार ने जनता की जानकारी के लिये जुलाई १९६० में विकास अधिकारी के पास भेजी थी वह रूपरेखा ऑफिस में न रख कर प्रधान के मकान पर क्यों पहुँचाई गई ? क्या यह सही है कि जनता की मांग पर भी लिस्ट उन्हें नहीं दिखाई गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(क) यह सही नहीं है कि पंचायतों की रूपरेखा विकास अधिकारी ने प्रधान के मकान पर पहुँचाई ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Page No 5

श्री पृथ्वीराज : रूपरेखा बन कर आई। लोगबाग जांच के लिए वहां पर पहुंचे। लेकिन न तो बी. डी. ओ. साहब ने और न ही प्रधान ने उनको बताया। जब लोगों ने रिपोर्ट की, मैंने शिकायत की तो बी.-डी. ओ. साहब ने कहा कि प्रधानजी के पास है, उनके घर पर है। भगोत साहब को भी तार दिया, रसीद मौजूद है। हरिभाऊजी को भी तार दिया, रसीद मौजूद है। लेकिन कोई रूपरेखा नहीं आई। बीच में सरकारी बांध आ गया है। १५ कोस पर गांव रह गया। कैसे तो पंचायत के मवेशी आवेंगे, किस तरह लोग बोने के लिए आवेंगे, किस प्रकार से यह रूपरेखा बनाई गई है, समझ में नहीं आया। हमारी, एम. एल. ए. की बात भी जब नहीं सुनते हैं तो फिर पब्लिक की बात तो क्या सुनेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने कहा कि प्रधान के यहां रखी गई, जिस किसी ने मांगी उसको नहीं दिखाई है। आपने उस समय रिपोर्ट की। आप डिटेल्स में सबूत दे दीजिये, जांच की आवश्यकता होगी तो जांच करा लेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : जब तार दिया तो आपकी ओर से बी. डी. ओ. को लिखा गया या नहीं कि उनको रूपरेखा दिखाई जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तार की जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : रसीदें मौजूद हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : पंचायत समिति के हैडक्वार्टर से वह कितना दूर पड़ता है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

तहसील रूपनगढ़ के ग्रामों में पानी की कमी

७५६. **श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि अजमेर जिले के ऊंटड़ा ग्राम में बांध बधने से रूपनगढ़ तहसील के काफी गांवों के कुओं में पानी की काफी कमी हो गई है ?

(ख) अगर हां, तो क्या उन गांवों की इस पानी की कमी को पूरा करने की कोई योजना राज्य सरकार ने बनाई है ?

(ग) अगर हां, तो क्या ?

उप–मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। बरसात की कमी के कारण पानी की कमी हुई।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : क्या यह सही है कि इसकी जांच नहीं कराई गई ?

Page No 6

श्री दौलतराम सारण : जो उत्तर दिया वह जांच के बाद ही निवेदन किया है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : जांच कराई तो किससे कराई ?

श्री दौलतराम सारण : यह प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि बांध बना हुआ है। केवल नाले का पानी रोका गया है। वर्षा की कमी है इसलिए कुओं में पानी की कमी आ रही है न कि बांध के बंधने से।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : यह बात बिल्कुल गलत है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बांध बंधने के कारण ही कुओं में पानी की कमी आई। जांच करायें।

श्री दौलतराम सारण : मेरी सूचना है वह सही है और जांच कराने की इसमें आवश्यकता मुझे महसूस नहीं होती।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैंने इसकी जांच कराई है और इन्जीनियर्स ने कहा है कि बांध बंधवाने से पानी की कमी हुई। रूपनगढ़ तहसील में पीने का भी पानी नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : इन्जीनियर्स द्वारा ही यह उत्तर भेजा गया है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : इन्जीनियर्स ने तो बांध बनाया है इसलिए ऐसा उत्तर भेजा है।

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : सेन्ट्रल वाटर एण्ड पॉवर कमीशन से इसकी जांच हुई है। पहले अजमेर में यह मामला चला था। जांच उसकी हुई और उसके बाद ही यह बांध बंधवाया गया।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : उस वक्त भी ऑब्जेक्शन किया था कि यह बांध नहीं बंधना चाहिये और उसके बनने के बाद ही पानी की कमी हुई। अब भी इसकी जांच क्यों नहीं कराई जाती है ?

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

पंचायत समिति, उनियारा में उसी क्षेत्र के निवासियों द्वारा कार्य-सम्पादन

७५७. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या पंचायत मन्त्री निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या सरकार के ऐसे आदेश हैं कि कोई अधिकारी अपने जिले की पंचायत समिति में कार्य नहीं कर सकता है ?

(२) अगर हां, तो पंचायत समिति, उनियारा, हैडक्वार्टर अलीगढ़ में शिक्षा विभाग के ऐसे कर्मचारियों को जो उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं क्यों रखा गया है ?

(३) क्या कोई पंचायत समिति किसी ऑफिसर को अपने पास लेना चाहे तो उसका दूसरी पंचायत समिति से ट्रान्सफर किया जा सकता है ?

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां।

(२) जी हां। वह अधिकारी राज्य सरकार के आदेश के पूर्व से ही कार्य कर रहा है।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(३) यदि प्रशासनिक दृष्टि से उचित समझा जावे तो एक पंचायत समिति के अनुरोध पर दूसरी पंचायत समिति से प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण किया जा सकता है, किन्तु यह आवश्यक नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने कहा कि ऐसा सर्कुलर जारी हो चुका है कि एक पंचायत समिति में जिले का रहने वाला अधिकारी काम नहीं कर सकता है। इसके उत्तर में आपने 'जी हां' कहा है। जब सर्कुलर निकल चुका है तो उसकी तामील क्यों नहीं होती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह ऑब्लीगेटरी है, मेन्डेटरी नहीं है, हिदायत के तौर पर है। एक प्रसारण अधिकारी एक जिले में न रहे और दूसरे में रहे। लेकिन कई हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट की यह राय है कि ओन दी होल सब जगह इसको लागू कर देना ठीक नहीं होगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उनियारा में डिप्टी इन्सपेक्टर, एजुकेशन की शिकायत की थी कि यह यहां का रहने वाला है, वर्ष हो गये हैं, यहां का यहीं रह रहा है। इसको नहीं रखना चाहिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : शिकायत को तो मुझे मालूम नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप तलाश कर लीजिये।

प्रश्न संख्या ७५८

श्री अध्यक्ष : श्री मोगजी भाई।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

होयारडी (जोधपुर डिविजन) कृषि सहकारी समिति

७५६. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) होयारडी (जोधपुर डिविजन) कृषि सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन कब, किस नाम पर तथा किसके द्वारा किया गया ?

(२) इस सोसाइटी के कौन सदस्य हैं तथा वे कहां कहां के रहने वाले हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर, नाम, पता, निवास स्थान सहित, रखने का कष्ट करें।

(३) इस सोसाइटी के पास कितनी भूमि है तथा यह भूमि कब कब किस किस प्रकार से मिली हुई है ?

(४) इसकी शेयर कैपिटल क्या है तथा कोऑपरेटिव बैंक व सरकार से कब कब कितना कितना ऋण किस किस कार्य के लिये मिला हुआ है ?

सहकारिता मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जोधपुर जिले में कोई नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिह : भोपारडी जोधपुर डिविजन में नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने लिखा "होयारडी" । मैंने बहुत सोचा । आपको ऐसा महसूस भी न हो, इसलिए मैंने इसके लिए बहुत सोचा लेकिन कोई नाम नहीं है ।

श्री भैरोंसिह : भोपारडी ।

श्री नाथूराम मिर्धा : भोपारडी भी नहीं है ।

प्रश्न संख्या ७६०

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर दिलाया जाय ।

रानी पंचायत समिति के प्रधान श्री सज्जनसिंह द्वारा बर्ती गई अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही

७६०. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) [श्री मूलचन्द डागा (पाली) द्वारा पूछा गया] : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि रानी पंचायत समिति के प्रधान द्वारा तकावी का सारा ऋण साल भर तक यों ही पड़ा रखा गया एवं सहकारी समितियों को विकास कार्यों के लिये नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) क्या यह सही है कि प्रधान ने कुछ महीनों पूर्व आधी रात के समय शराब के नशे में रानी में बीज गोदाम पर जाकर प्रसार अधिकारियों से बेहूदा ढंग से झगड़ा किया एवं गाली गलोज कर समिति की प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचाया है ?

(ग) क्या यह सही है कि प्रधान ने रानी समिति के बैठकों की मिनट बुक के सफे फाड़ कर रेकॉर्ड में गड़बड़ी की है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही की है ?

(घ) क्या यह सही है कि प्रधान ने स्थायी समितियों के अधिकारियों का अपहरण किया है. स्थायी समितियों के निर्णयों को अपनी आज्ञाओं द्वारा रोक देना और उन्हें किसी प्रकार का जनहित कार्य समय पर न करने देना ही इनका एक मात्र उद्देश्य रहा है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

(ङ) क्या यह सही है कि इस प्रधानजी ने एक पत्र में समिति के सदस्यों में नैतिकता का अभाव यानी मोरल स्टेंचर नहीं होने का विकास अधिकारी रानी को लिखा था, इस तरह के अल्फ़ाज़ प्रयोग में लिये गये हैं ? यदि हां, तो उस पत्र को सदन की मेज पर रखा जावे ।

(च) क्या यह सही है कि यह पत्र प्रजातन्त्र का घातक है और विकेन्द्रीकरण को धक्का पहुंचाने वाला है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ऐसे प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

(छ) क्या यह सही है कि रानी पंचायत समिति के प्रधान, श्री सज्जनसिंह के विरुद्ध

(श्री शंकरलाल)

जब वे देवली के जागीरदार थे उस वक्त प्रशासन के मुकदमे में पंचायत देवली व तहसील पंचायत, देसूरी से फैसला होकर जुर्माना हुआ था और वह आज तक बकाया है ? यदि हां, तो कितने रुपये बकाया हैं और कब तक वसूल किये जायेंगे ?

सहकारिता मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जी नहीं।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

फतहपुर (शेखावाटी) की नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध आये अविश्वास प्रस्ताव पर फैसले की तारीख को एस. डी. एम. का अनुपस्थित रहना

७६१. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि फतहपुर (शेखावाटी) की नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध गत दिनों में आये हुए अविश्वास के प्रस्ताव पर फैसले की तारीख सरकार द्वारा निश्चित कर दी गई थी ? यदि हां, तो कौन सी ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त तारीख को वहां से एस० डी० एम० के अनुपस्थित रहने के कारण उस प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं लिया गया ? यदि हां, तो निश्चित की गई तारीख पर एस० डी० एम० के अनुपस्थित रहने का क्या कारण था ?

(ग) क्या यह सही है कि फतहपुर (शेखावाटी) की नगरपालिका के सदस्यों ने एस०-डी० एम० द्वारा अनुपस्थित रहने के कारणों से सम्बन्धित कोई शिकायत तार द्वारा सरकार को की ? यदि हां, तो तार की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(घ) क्या सरकार ने अभी तक उक्त शिकायत के सम्बन्ध में कोई जांच कराने की व्यवस्था की है ? यदि हां, तो किसके द्वारा ?

(ङ) क्या सरकार नगरपालिका के प्रशासन में अधिकारियों द्वारा बरती गई इस प्रकार की उदासीनता पर कोई प्रशासनिक कार्यवाही करेंगी ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क) दिनांक २३–७–६०। जी हां।

(ख) जी हां, उन्हें आवश्यक सरकारी कार्य होने के कारण डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर रहना पड़ा।

(ग) जी नहीं।

Page No 10

(श्री सम्पतराम)

(घ) व (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

श्री किशनाराम : कौनसा ऐसा आवश्यक कार्य था जिसके लिए उनको हैडक्वार्टर पर आना पड़ा ?

श्री सम्पतराम : यह मैंने जांच नहीं की कि कौनसा आवश्यक कार्य हो गया था। उनको सरकारी काम होने से डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर बुलाया गया।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या यह कार्यवाही सरकार के हुक्म से की गई थी या कलेक्टर ने स्वयम् को ?

श्री सम्पतराम : यह तो मेरी जानकारी में नहीं है। एस० डी० एम० को आवश्यक कार्य के लिए जिले के हैडक्वार्टर पर बुलाया जाता है। लोकल सेल्फ विभाग ने नहीं बुलाया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि लोकल सेल्फ से शिकायत की थी कि ऊपर के हुक्म से एस० डी० एम० को उस रोज जब कि अविश्वास के प्रस्ताव पर वोट लिये जाने थे और उस अविश्वास के प्रस्ताव पर वोट न लिये जा सके इसलिये जिले के हैड-क्वार्टर पर बुला लिया गया था ?

श्री सम्पतराम : इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ।

श्री भैरोंसिंह : इस तरह की कोई शिकायत आई थी या नहीं ?

श्री सम्पतराम : मैं इसका दुबारा जबाब देना आवश्यक नहीं समझता जब कि मैं स्पेसिफिकेली इसका जबाब दे चुका।

श्री भैरोंसिंह : आपके नहीं समझने का यह सवाल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को अलाऊ कर चुके हैं तो उस हालत में आप उसका जबाब दें। चेयरमैन को बचाने की दृष्टि से एस० डी० एम० को बुला लिया गया।

श्री सम्पतराम : प्रश्न का "ग" भाग देख लीजिये: "क्या यह सही है कि फतहपुर (शेखावाटी) की नगरपालिका के सदस्यों ने एस०-डी० एम० द्वारा अनुपस्थित रहने के कारणों से सम्बन्धित कोई शिकायत तार द्वारा सरकार को की ?" इसके साथ साथ "घ" भाग है उसमें पूछा है: "क्या सरकार ने अभी तक उक्त शिकायत के सम्बन्ध में कोई जांच कराने की व्यवस्था की है ? यदि हां, तो किसके द्वारा ?" मैंने उत्तर में कहा था कि कोई जानकारी नहीं मिली। स्पेसिफिक रिप्लाई था यह।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या सरकार को तार नहीं मिला था जिसमें यह शिकायत थी कि चेयरमैन को बचाने की दृष्टि से उनको जिला हैडक्वार्टर पर कलेक्टर ने बुलाया ?

श्री सम्पतराम : मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है। आपके प्रश्न का "ग" भाग है "क्या यह सही है कि फतहपुर (शेखावाटी) की नगरपालिका के सदस्यों ने एस०डी० एम० द्वारा अनुपस्थित रहने के कारणों से सम्बन्धित कोई शिकायत तार द्वारा सरकार को की ? यदि हां, तो तार की प्रति सदन की

(श्री सम्पतराम)

मेज पर रखने की कृपा करें।" मैंने उत्तर दिया था कि "जी नहीं"।

श्री भैरोंसिंह : सरकार से मतलब कलेक्टर को उसमें शामिल नहीं करते हैं ?

श्री सम्पतराम : सरकार का मतलब मैं "सरकार" को लेता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : तो कलेक्टर को सरकार में शामिल नहीं करते हैं ?

श्री सम्पतराम : सरकार से मतलब मैं सेक्रेटेरियेट से समझता हूँ। कलेक्टर के लिए कहते हैं तो मैं दुबारा जांच करा सकता हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : चेयरमैन नगरपालिका के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रखा जाय और उस दिन वे हाजिर न रहें और जब प्रश्न पूछते हैं तो सरकार उसको आवश्यक नहीं समझती है कि जांच करे कि क्यों नहीं उपस्थित थे, क्या विशेष कारण था ? ऐसा कौनसा महत्वपूर्ण दूसरा मसला था कि जिससे ऐसे महत्वपूर्ण मसलों पर वे हाजिर न रहें ? इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिये।

श्री सम्पतराम : एस. डी. एम. को बहुत काम होते हैं। किसी काम की इम्पोर्टेन्स को देख कर एक काम स्थगित कर देना चाहिये तो करना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : इम्पोर्टेन्स किसी काम की हो सकती है, लेकिन जब यह प्रश्न पूछा गया तो मन्त्री महोदय को इसकी जानकारी करके आना चाहिये था कि वह इम्पोर्टेन्ट वर्क क्या था।

श्री सम्पतराम : मैं इस बारे में कई बार कह चुका हूँ कि सरकार द्वारा काम होने की वजह से बुला लिया गया।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : यह कह देने से प्रश्न का जवाब नहीं आता, वह आवश्यक कार्य बताया जाय जिसके कारण उनको बुलाया गया। जब वोट ऑफ नो कॉन्फीडेन्स आता है तो उसके लिये उपस्थित रहना चाहिये। क्या उससे भी अधिक इम्पोर्टेन्ट वर्क था ? Merely saying that he was called for an important work does not justify that he was called for an important work.

श्री सम्पतराम : इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सेन्ट्रल एम्पलॉइज की स्ट्राइक के सम्बन्ध में अकाउन्ट्स पेश करना था जो दो–तीन दिन बाद भी किया जा सकता था ?

श्री सम्पतराम : इस बारे में मैं अर्ज कर चुका हूँ। नेचर ऑफ वर्क क्या था, वह मैं कह नहीं सकता।

श्री भैरोंसिंह : अकाउन्ट पेश करने के लिये ४ बजे टेलीग्राम देकर उनको बुलाया गया, वह भी इसलिये कि कांग्रेसी चेयरमैन के खिलाफ जो नो कॉन्फीडेन्स मोशन आया है उससे उनको बचाया जा सके।

Page No 12

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, ऐसे मामलों में जब कि कांग्रेसी चेयरमैन के खिलाफ नो कॉन्फीडेन्स के मोशन पर वोट लेने थे उस समय उनको उपस्थित होना था लेकिन उनको बचाने के लिये तार द्वारा उनको बुला लिया गया। ऐसी हालत में नो कॉन्फीडेन्स मोशन पेश करने का कोई महत्व नहीं। इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो जो उसके साथ जानकारी है वह भी प्राप्त करके आना चाहिये। मैं तो यह समझता हूँ कि मन्त्री महोदय को जानकारी अवश्य है लेकिन वे उसको छिपाने की बातें करते हैं, इसकी जानकारी सदन को मिलनी चाहिये।

श्री अर्जुनदास (अजमेर–पश्चिम) : Is it a fact that the particular Chairman is a Congressman ?

श्री अध्यक्ष : He wants notice.

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री मुरलीधर व्यास : यह तारीख किसने निश्चित की थी ?

श्री किशनसिंह बाटड़ (लक्ष्मणगढ़) : उनको खास तौर से जीप भेज कर बुलाया गया जब कि नो कॉन्फीडेन्स का प्रस्ताव पहले रख दिया गया था जिस समय एस० डी० ओ० को वहां हाजिर रहना चाहिये था उनको मिनिस्टर साहब ने जीप भेज कर बुलाया, यह करीब ११ बजे की बात है।

श्री भैरोंसिंह : और वे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के बंगले पर ठहरे हुए थे।

श्री अर्जुन दास: That's the thing.

श्री किशनसिंह बाटड़ : जब हम इसके लिये सुबह कलेक्टर के पास गये उस समय उन्होंने कुछ कहा नहीं क्या काम था और किस वजह से उनको वहां बुला लिया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने जो हालात बतलाये हैं उससे यह जाहिर होता है कि उनको जीप भेज कर बुलवाया गया। आखिर ऐसा क्या काम था, उसकी जानकारी दी जानी चाहिये।

श्री किशनाराम : तारीख निश्चित करके भाग गये, इसका क्या कारण है ? मैं अध्यक्ष महोदय, वहां हाजिर था, वहां माल मन्त्री मौजूद थे, उनकी मेहरबानी से यह हुआ। एस० डी० एम० को एक्साइज डिपार्टमेंट की जीप भेजकर स्पेशल तौर से बुलवाया गया, माल मन्त्री के कहने से बुलाया गया, इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : इससे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकारी काम काज नहीं था, व्यक्तिगत हैसियत से उनको बुलाया गया था।

श्री अध्यक्ष : आप इसको जैसा मन चाहें इन्टरप्रेट कर सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं नहीं कह रहा हूं, जो माननीय सदस्य वहां उपस्थित थे, वे कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि वे जांच करेंगे कि किस काम के लिये बुलाया गया। वैसे यह मामला गंभीर है।

Page No 13

(श्री अध्यक्ष)

जैसी कि परिस्थिति माननीय सदस्य बताते हैं अगर ये बातें सही हैं, गलत तरीके से कलेक्टर बुलाते हैं तो यह गंभीर चीज है। आप इसकी जांच कर लें कि आखिर उनको क्यों बुलाया गया ? आप पहले तसल्ली कर लें, उसके बाद सदन में इसका जवाब दे दिया जाय।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मेरा अर्ज करना यह है कि जब तक नेचर ऑफ वर्क क्या था, इस बारे में जानकारी प्राप्त न कर लूं तब तक मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन हो सकता है उससे भी ज्यादा जरूरी काम हो उसके लिये यहां बुलाया गया हो। जब तक नेचर ऑफ वर्क मालूम न कर लिया जाय उसके लिये इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन्स ठीक नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : जिन सर्कमस्टान्सेज का माननीय सदस्यों ने जिक्र किया अगर उनको सही माना जाय तो यह गम्भीर चीज है। इसीलिये मैंने निवेदन किया है कि आप इसकी जांच कर लें और उसके बाद सदन के सामने तथ्य रख दें।

श्री सम्पतराम : इसकी जांच कर लूंगा कि किस काम के लिये बुलाय गया था।

प्रश्न संख्या ७६२

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ७६३

श्री विशम्भरनाथ जोशी

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

पंचायतों व पंचायत समितियों के चुनावों के तरीकों में परिवर्तन की अपेक्षा

७६४. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) इस बार समूचे राजस्थान में पंचायतों व पंचायत समितियों के हुए चुनावों में सरकार का कुल कितना खर्चा हुआ ?

(ख) क्या सरकार इस मौजूदा तरीके को खर्चा कम करने की नीति से बदलने का विचार रखती है ?

(ग) क्या सरकार सहवरण (Co-option)' प्रधानों के चुनाव व न्याय पंचायतों के चुनाव एक ही दिन करने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (क) राजस्थान में पंचायतों एवं पंचायत समितियों के चुनावों पर कुल १३.१४ लाख रुपया खर्च हुआ।

(ख) राज्य सरकार पंचायतों के चुनाव के मौजूदा तरीके को बदलने का इस समय कोई विचार नहीं रखती है। इस बात का अवश्य प्रयत्न किया जायेगा कि इस प्रणाली में कम खर्चा हो।

(ग) पंचायत समिति में कोऑप्शन व प्रधानों के चुनाव का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है। न्याय पंचायतों का चुनाव जिस दिन कोऑप्शन हो उसी दिन होना संभव नहीं है। पंचायतों के कोऑप्शन के रोज न्याय पंचायतों का चुनाव भी सम्भव नहीं है क्योंकि

Page No 14

(श्री मूलचन्द डागा)

सहवृत्त होने वाले व्यक्ति सहवरण की बैठक में उपस्थित हों, यह न तो अनिवार्य ही है और न किया ही जा सकता है।

भारत-पाक पानी समझौते के फलस्वरूप गंगा नगर जिले में सिंचाई योग्य जल में कमी

७६५. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या मन्त्री, राजस्थान केनाल विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा पाकिस्तान के साथ होने वाले पानी के समझौते से राजस्थान नहर के जरिये राजस्थान को जल कब तक मिलने लग जावेगा और इस नहर के जरिये कहां कहां कितना पानी मिलने लग जावेगा ?

(ख) क्या यह सत्य है कि इस समझौते के बाद से गंगानगर जिले में गंग नहर से जो जल किसानों को सिंचाई के लिये मिलता था उसमें भारी कमी हो गई है जिससे फसल में बड़ी क्षति हुई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और उस क्षति को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

राजस्थान केनाल मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (क) सन् १९६० में पाकिस्तान के साथ होने वाले पानी के समझौते के अनुसार सन् १९६१ से राजस्थान नहर को खरीफ की फसल के लिये पानी उपलब्ध है और वह नोरंगदेसर और रावतसर डिस्ट्रिब्यूटरीज़ द्वारा दे दिया जावेगा, यदि सन् १९६१ ग्रीष्म ऋतु तक नहर आवश्यक लम्बाई तक पूर्ण हो जावेगी।

(ख) जी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है कि पाकिस्तान के समझौते के बदौलत गंग नहर के कुछ इलाकों में पानी की कुछ कमी हुई है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जितना पानी गंग नहर में प्री पार्टीशन के समय मिलता था उतना ही मिलता है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या यह सही है कि पार्टीशन के बाद से लेकर १९६० तक गंग नहर में जितना पानी आता था समझौते के बाद उतना क्युसेक्स पानी नहीं आया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी: बहुत ज्यादा कमी आई हो, ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : कितनी कमी आई है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : लगभग ३०० क्युसेक्स।

श्री भैरोंसिंह : इस समझौते के पहले ३,१०० क्युसेक्स पानी आता था और समझौते के बाद २,५०० ही आने लगा है और अब केवल १,३०० क्युसेक्स आता है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : सिवाय सर्दी के मौसम में जब कि वहां पानी की कमी होती है कम मिलता है लेकिन जो मुकर्रर किया है उतना अब भी मिल रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार पानी की कमी से फसल को कितना नुकसान हुआ है और उससे रेवेन्यू में कितना घाटा हुआ है, बता सकते हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

पंचायत समितियों में सहवरण सम्बन्धी हुई अनियमितताओं की जांच हेतु इलेक्शन पिटीशन की व्यवस्था

७६६. **श्रीमती सतवन्तकौर** (श्री करणपुर) : क्या पंचायत मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

क्या यह सत्य है कि पंचायत समितियों में सहवरण (Co-option) में हुई अनियमितताओं के विषय में इलेक्शन पिटीशन करने का कोई भी प्रबन्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई नियम बनाने का विचार कर रही है ?

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : पंचायत समिति जिला परिषद् अधिनियम (संशोधन) विधेयक १९६१ हाल ही में विधान-सभा ने पास किया है; उसके द्वारा धारा ७१ (ए) को समाविष्ट कर धारा १३ के प्रावधान धारा ११, १८, २० और ४४ के अन्तर्गत की गई कार्यवाही को लागू कर दिया गया है। शुरू में यह नई धारा ऑर्डिनेन्स नं. १३ के द्वारा जोड़ी गई थी । अब इस धारा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति सहवरण में हुई अनियमितताओं के बारे में सिविल जज के समक्ष चुनाव याचिका प्रस्तुत कर सकता है । वैसे चुनाव नियमों में करप्ट प्रेक्टिस की कोई व्याख्या नहीं है ।

तहसील करोली के बांधुआ के नाले पर बांध का निर्माण

७६७. **श्री उम्मेदीलाल** (करोली-सु.) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

[१] क्या सरकार तहसील करोली के बांधुए के नाले का बांध बनाने का इरादा रखती है ?

[२] क्या यह सच है कि इस बांध के बनाने से उस क्षेत्र के आसपास की भूमि को पानी मिलने से अनाज का उत्पादन काफी बढ़ सकता है ?

उप-मंत्री सिंचाई (श्रीदौलतराम सारण):

(१) जी नहीं ।

(२) यह नाला गम्भीरी नदी का सहायक है । गम्भीरी नदी का पानी भरतपुर क्षेत्र के काम में आता है और इसमें पानी शेष नहीं है ।

रामरतन पुरोहित निवासी खातोली को बैलों की खरीद के लिए प्रदत्त तकावी

७६८. **श्री रामनारायण वर्मा** [पीपल्दा—सु०] : क्या पंचायत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

[१] क्या पंचायत समिति, इटावा ने सन् १९६० में श्री रामरतन पुरोहित खातोली निवासी को १,०००) रु० बैलों की तकावी दी थी ?

[२] यदि हां, तो श्री रामरतन पुरोहित के खाते में किस किस नम्बर की कितनी जमीन है ?

Page No 16

(श्री रामनारायण)

[३] यदि नहीं है, तो १,०००) रु० तकावी क्यों दी गई है ?

[४] क्या यह भी सही है कि यह रकम प्रधान, पंचायत समिति, इटावा ने श्री रामरतन पुरोहित के झूठे दस्तखत करके प्राप्त कर ली है ?

[५] क्या यह भी सही है कि उक्त शिकायत की जांच एस० डी० ओ०, कोटा भी कर चुके हैं ?

[६] यदि हां, तो परिणाम क्या रहा ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : [१] जी हां।

[२] खसरा नं० १२४ : ८५८ रकबा ३ बीघा ६ बिस्वा खालसा तथा खसरा नं. १२४ रकबा ६ बीघा ६ बिस्वा माफी यानी १२ बीघा व १२ बिस्वा भूमि श्री रामरतन के नाम में है। इसके अलावा श्री रामरतन की मां मुसम्मात फूली बाई के खाते माफी की जमीन रकबा ६२ बीघा १८ बिस्वा १–७–५८ को खालसा हो चुकी है और यह जमीन खुदकाश्त रामरतन के है। इस जमीन की मुन्तकबी खातेदारी हक श्री रामरतन के कागज तहसील में चल रहे हैं।

[३] प्रश्न ही नहीं उठता।

[४] उक्त रकम श्री गोपीलाल, भूतपूर्व प्रधान ने अपने पिता श्री रामरतन के हस्ताक्षर करके प्राप्त की है। यह कार्य किसी बदनीयत से नहीं किया गया, ऐसा मालूम होता है।

[५] जी हां।

[६] विचाराधीन है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : यह आपने कैसे कहा कि बद नीयत से काम नहीं किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो फैक्ट्स को देखते हुए कहा है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : स्वयं रामरतन ने दस्तखत नहीं किये और न कोई एप्लीकेशन दी। प्रधान ने अपने पिता के दस्तखत करके यह किया, तो इसमें बदनीयती स्पष्ट मालूम होती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : उसकी जमीन है और दूसरी जमीन में भी उसकी खातेदारी की कार्यवाही चल रही है। फिर बदनीयती कहां से हो गई ?

श्री भैरोंसिंह : (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि तकावी के नियमों के अनुसार जिसने तकावी ली है उसी के दस्तखत होने चाहिए और खुद की दरख्वास्त होनी चाहिए ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसकी खुद की दरख्वास्त है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : दस्तखत प्रधान ने किये, रामरतन के नाम से तो इसका मतलब स्पष्ट है कि जालसाजी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : दरख्वास्त तो उसकी खुद की है।

Page No 17

श्री भैरोंसिंह : दरख्वास्त रामरतन की है या गोपीलाल की है ? अगर रामरतन के दस्तखत हैं तो किसके किये हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने अपने पिता की ओर से दस्तखत नहीं किये हैं, बल्कि अपने पिता के दस्तखत किये हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : रकम उसके पिता के नाम से ली है । दस्तखत पिता की तरफ से उनके हैं ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह कैसे कह रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास सूचना है इसलिए कह रहा हूँ ।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

बीमा विभाग में सुपरवाइजर्स की असिस्टेन्ट डाइरेक्टर के पद पर पदोन्नति हेतु वांछित योग्यता

७६६. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या वित्त मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बीमा विभाग में सन् १९५५ में सुपरवाइजर्स को असिस्टेन्ट डाइरेक्टर के पद पर तरक्की देने के लिए पी० एस० सी० ने सलेक्शन में यह एक शर्त लगाई थी कि वे ग्रेजुएट अवश्य हों ?

(२) क्या यह भी सही है कि सन् १९५६ में विभाग ने स्वयं ही इस शैक्षणिक योग्यता की शर्त को हटा दिया तथा कुछ ऐसे व्यक्तियों को तरक्की दे दी जो मैट्रिक व इन्टर योग्यता के थे ?

(३) यदि हां, तो क्यों व किन किन व्यक्तियों को यह तरक्की दी गई ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) सन् १९५५ में राज्य बीमा विभाग में कोई सुपरवाइजर नहीं था । अतः उस समय में सुपरवाइजर को सहायक संचालक के पद पर पदोन्नति देने के लिए राज्य सेवा आयोग से स्नातक की शर्त लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(२) वर्णित परिस्थिति में विभाग द्वारा शैक्षणिक योग्यता की शर्त हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता है । हां, १९५६ में दो कर्मचारी जिनकी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक व इन्टर थी उन्हें अस्थाई रूप से स्थानापन्न सहायक संचालक के पद पर लगाया ।

(३) सर्व श्री भंवरलाल अजमेरा व रामेश्वरप्रसाद पुरोहित को जो क्रमशः सुपरिन्टेन्डेन्ट व सुपरवाइजर के पद पर कार्य कर रहे थे अस्थाई रूप से स्टेट इन्श्योरेन्स सर्विस रूल्स, १९५६ के प्रकाशित होने तक के लिए स्थानापन्न सहायक संचालक के पद पर लगाया था ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : ये सर्व श्री बी० एल० अजमेरा और रामेश्वरप्रसाद दोनों सहायक संचालक हैं या सुपरवाइजर हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसका तो मुझे पता नहीं ।

Page No 18

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि श्री बी० एल० अजमेरा को, इसलिये कि वह ग्रेजुएट नहीं है, वापिस रिवर्ट कर दिया गया और दूसरे आदमी को प्रोमोशन दिया गया जो कि मैट्रीक्युलेट है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे ख्याल से इन्होंने खुद ने ही लिखा है कि अस्थाई तौर पर लगाया गया था और चूंकि वह क्वालीफिकेशन पूरी नहीं रखते थे इसलिये उनको रिवर्ट कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या इसी बेसिस पर रिवर्शन किया गया कि वह ग्रेजुएट नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, इसी बेसिस पर किया है कि वे नियत योग्यता के मुताबिक नहीं थे।

श्री भैरोंसिंह : जब एक आदमी को इसलिये रिवर्ट कर दिया कि वह ग्रेजुएट नहीं है और दूसरा व्यक्ति जो कि मैट्रिक्युलेट है और उसकी सर्विस की लेन्थ भी कम है तो उसको प्रोमोशन कैसे दे दिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उनके बारे में मेरे पास ज्यादा जानकारी नहीं है और मेरे पास सप्लीमेन्टरी जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने कहा है कि उनकी क्वालीफिकेशन नहीं है तो उनको रिवर्ट होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : श्री बी० एल० अजमेरा ग्रेजुएट नहीं हैं इसलिए उनको रिवर्ट किया लेकिन उनको तो रिवर्ट किया पर दूसरा व्यक्ति जो कि मैट्रिक्युलेट है उसको प्रोमोशन दिया तो यह डिस्क्रिमिनेशन कैसे रह गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे ख्याल से जिसके लिए क्वालीफिकेशन ग्रेजुएट प्रेस्क्राइब्ड है तो अगर दोनों ही ग्रेजुएट नहीं हैं तो दोनों ही नहीं रहेंगे; दोनों ही रिवर्ट होंगे। अस्थाई तौर पर बनाया, परमानेन्ट नहीं।

श्री भैरोंसिंह : दोनों अस्थाई थे लेकिन जब ग्रेजुएट ही क्वालीफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड है तो एक को रिवर्ट करना और दूसरे को प्रोमोशन देना क्लीयर डिस्क्रिमिनेशन है। इसलिये मैं सरकार से कहूँगा कि इसको दुरुस्त कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

बीकानेर जिले के रेगिस्तानी हिस्से में ट्यूब वैल इर्रिगेशन का प्रयास

७७०. **श्री भीमसेन** (लूंणकरणसर) : क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या सरकार भारत सरकार के एक्सप्लोरेटरी ट्यूब वेल ऑर्गेनाइज़ेशन की सहायता से इस राज्य के बीकानेर जिले के रेगिस्तानी हिस्से में ट्यूब वैल इर्रीगेशन का प्रयास करने का इरादा रखती है ?

(२) क्या यह सही है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में इस प्रकार कम से कम बीस स्थानों पर बोरिंग करने के सुझाव बीकानेर जिला परिषद द्वारा राज्य सरकार के पास भेजे जा चुके हैं ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

Page No 19

उप-मन्त्री,कृषि (श्री दौलतराम सारण): (१) सरकार, भारत के एक्सप्लोरेटरी ट्यूब-वैल ऑर्गेनाइज़ेशन की सहायता से बीकानेर जिले में ट्यूब वैल्स लगवाने का इरादा रखती है। जहां तक ट्यूब वैल से इर्रिगेशन का सवाल है उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि वहां ट्यूब वैल न लग जायें और उनके पानी का डिस्चार्ज व क्वालिटी वगैरह मालूम न हो जाये।

(२) जी हां,यह सही है कि बीकानेर जिला परिषद द्वारा राज्य सरकार के पास इस प्रकार के कम से कम बीस बोरिंग तृतीय पंचवर्षीय योजना में करने के सुझाव प्राप्त हुये हैं और इसकी राज्य सरकार एक्सप्लोरेटरी ट्यूब वैल स्कीम में जिसे भारत सरकार द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना में कार्य किया जायेगा सम्मिलित कर लिया है परन्तु, अभी तक भारत सरकार का इस कार्य को करने का कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा):प्र०सं०७७१

जागीरदारी बोण्ड्स के लिए जयपुर में पब्लिक डेट ऑफिस

७७१. **श्री लक्ष्मीचन्द**[(सांचोर) [श्री अनूपसिंह (बालोतरा) द्वारा पूछा गया]: क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

क्या सरकार पी०डी०ओ० (पब्लिक-डेट- आफिस) जागीरदारी बोण्ड्स के लिये जयपुर में खुलवाने के लिये प्रयत्न कर रही है?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है और कार्यालय के लिये उचित स्थान प्राप्त किये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

अजमेर नगरपालिका के चुनाव

७७२. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अजमेर नगरपालिका की अवधि कब समाप्त होती थी?

(२) अवधि समाप्त होने पर कब कब, क्यों व कितने समय का एक्सटेन्शन किया गया?

(३) क्या अब वहां एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(४) नगरपालिका के चुनाव अब तक करा दिये जायेंगे? चुनाव कार्यवाही किस स्टेज पर है?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) दिनांक ६-२-६० को।

(२) नगरपालिका की अवधि ३१-१-६१ तक बढ़ाई गई थी।

(३) जी हां।

(४) चुनाव के लिए नगरपालिका के वार्डों का अन्तिम प्रकाशन हो चुका है। अब चुनाव शीघ्र ही कराये जायेंगे।

Page No 20

श्री भैरोंसिंह : जिस समय नगरपालिका की अवधि समाप्त हुई तो उसमें वृद्धि किस कारण से की गई थी ?

श्री सम्पतराम : एक्ट में प्रोविजन है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी नगरपालिका की अवधि समाप्त होने पर किसी भी बोर्ड का पीरियड एक्सटेन्ड कर सकती है और चाहे तो किसी बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर सकती है।

श्री भैरोंसिंह : एक्ट में इस प्रकार का प्रोविजन है वह तो मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, लेकिन यह चाहने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई ?

श्री सम्पतराम : इसलिए कि सदन ने उस कानून को पास किया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार ने इस मामले में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करके जिस डिस्क्रिशन को एप्लाई किया उसमें उसने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है ?

श्री सम्पतराम : लेकिन एक्ट में क्लियर है कि स्टेट गवर्नमेंट को पॉवर है कि वह टाइम एक्सटेन्ड कर सकती है और एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर सकती है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : कानून में यह लिखा है कि कुछ कानून के आधार पर यह कार्यवाही की जाये और प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि क्या कारण थे ?

श्री सम्पतराम : मैंने साफ तौर पर बताया कि किसी भी बोर्ड का पीरियड समाप्त होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर सकती है और पीरियड बढ़ा सकती है। इस सम्बन्ध में जो स्टेट गवर्नमेंट ने उचित समझा वह किया। इसका पीरियड पहले ही ३ दफा बढ़ाया जा चुका था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि नगरपालिका की अवधि में उसी समय वृद्धि की जा सकती है जब कि उक्त नगरपालिका के चुनाव के सम्बन्ध में कार्यपालिका जो कार्य कर रही है वह उक्त नगरपालिका की अवधि में समाप्त होना संभव न हो और आवश्यकता इस बात की हो कि वहां एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करना पड़े ?

श्री सम्पतराम : अगर किसी नगरपालिका का पीरियड खत्म हो जाये तो राज्य सरकार एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर सकती है।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय पीरियड समाप्त हो गया तो उसी समय राज्य सरकार ने क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया ?

श्री सम्पतराम : यह जरूरी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्री महोदय क्या इन्टरप्रिटेशन कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है। कानून में ऐसा डिस्क्रिशन नहीं है कि मर्जी में आये वहां सरकार एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दे। आखिर इसके लिए आपको एक पॉलिसी ले डाउन करनी पड़ेगी। मर्जी आये उस जगह एक्सटेन्शन कर दें और एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दे, ऐसा राज्य सरकार नहीं कर सकती। आखिर कोई पॉलिसी तो होगी ?

Page No 21

श्री सम्पतराम : मैं माननीय सदस्य का ध्यान धारा २६५ की उप-धारा (२) की ओर दिलाऊंगा उसमें स्टेट गवर्नमेंट को स्पेसिफिक पॉवर्स हैं।

श्री भैरोंसिंह : वे पॉवर्स इतने अनकन्ट्रोल्ड नहीं हैं कि गवर्नमेंट जिस तरह चाहे अपना डिस्क्रिशन एप्लाई करे।

श्री अध्यक्ष : सरकार को डिस्क्रिशन है कि टाइम बढ़ाये या नहीं, लेकिन मतलब यह होता है कि कुछ कारणों से ही ये पॉवर्स एक्सरसाइज़ सरकार करे। तो आप बता सकते हैं कि क्या कारण थे या यह था कि दो दफा टाइम एक्सटेन्ड किया गया तो तीसरी दफा भी कर दिया ?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, आम तौर से म्युनिसिपैलिटीज़ का पीरियड बढ़ाने के पक्ष में सरकार रहती है। लेकिन इसका पीरियड तीन दफा बढ़ाया गया। लेकिन रेग्युलरली शिकायत मिल रही थी कि वहां का काम ठीक तरह से नहीं हो रहा था इसलिए इसका कार्य एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में देना ही सरकार ने उचित समझा। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या क्या चार्जेज़ थे; किन्तु उनकी डिटेल में चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : इस औचित्य का क्या कारण था ? आपने जिस कारण से उचित समझा वही पूछा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : इस समय तो बताया है उन्होंने।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : उन्होंने यही कारण बताया कि हमने उचित समझा।

श्री भैरोंसिंह : यह बताया है कि नगरपालिका के सदस्यों के विरुद्ध कुछ शिकायतें थीं और इसलिए एक्सटेन्शन करना वाजिब नहीं समझा गया और एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करना उचित समझा।

श्री सम्पतराम : यह आपका दृष्टिकोण है, मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा है कि उनके काम के बारे में कई तरह की शिकायतें आ रही थी।

श्री सम्पतराम : मैंने बराबर कहा कि उसमें झगड़े हो सकते हैं, काम भी न चले उसके दूसरे कारण हो सकते हैं और किसी इन्डिविजुअल मेम्बर के खिलाफ भी शिकायत हो सकती है, लेकिन कुल मिला कर सरकार इस बात से संतुष्ट थी कि इन हालात में पीरियड बढ़ाना उचित नहीं था और एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाये।

श्री भैरोंसिंह : आपने अभी जो कारण बताया दो तीन सेन्टेन्स के पहले, जिसमें इस बात का संकेत किया कि नगरपालिका का काम असन्तोषजनक होने की बात की शिकायत थी। उनकी शिकायत के आधार पर एक्सटेन्शन नहीं करना चाहते थे....

श्री अध्यक्ष : एक कारण यह भी हो सकता है, मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है।

श्री भैरोंसिंह : अब तो वे बदल रहे हैं।

Page No 22

श्री बिश्वम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) : Does the Government consider itself free to exercise the powers conferred by this sub section un-fettered by any well established principles or criterian or does it not ?

श्री सम्पतराम : The Government is free to execute it in the same spirit in which it has been passed by the Legislature

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस वक्त यह एक्ट पास हुआ और धारा २६५ पास हो रही थी तब उस समय के मंत्री महोदय ने इस हाउस में कई मर्तबा यह आश्वासन दिया था कि डेमोक्रेटिक ढंग से अगर किसी का कुसूर होगा तो चार्ज शीट देकर फिर कार्यवाही की जावेगी, उसका जबाब लिया जावेगा ? तो धारा २६५ का प्रीएम्बल साफ है कि जब तक एक्सप्लेनेशन का मौका नहीं देंगे तब तक कुछ एक्शन नहीं लेंगे....

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : इसमें आश्वासन देने का सवाल नहीं है। २६५ का सब सेक्शन क्लीयर है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : प्रीएम्बल पढ़ कर सुनाइये। यह आश्वासन नहीं होता तो यह धारा पास नहीं होती।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जाब्ते में नोटिस देकर कार्यवाही की जावेगी, इसका प्रोविजन है इसमें। पर इसमें साथ साथ यह भी रखा गया है कि अगर बोर्ड की मयाद खतम हो जाय या बोर्ड के अधिकांश सदस्य इस्तीफा दे दें तो नोटिस किसको दिया जाय। तो नोटिस देने का सवाल उस स्थिति में पैदा नहीं होता। इसलिये जो आश्वासन दिया था उसको सरकार स्टिक करती है। इसके बिना तो यह प्रोपोजल इल्लीगल हो जावेगा। किसी की मयाद बाकी है और मयाद के भीतर किसी की शिकायत है तो नोटिस जरूर दिया जाना चाहिये, पर जब मयाद ही खतम हो गई तो नोटिस किसको दें ? बोर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता। बाकी रीजन्स क्या हैं यह तो माननीय सदस्य बतावेंगे।

श्री अर्जनदास (अजमेर पश्चिम) : Is it a fact that the election of the President, Ajmer Municipality was held on 25th November, 60 ?

श्री अध्यक्ष : बहुत प्रश्न बाकी हैं। There are other ways and we cannot have a discussion like this.

श्री भैरोंसिंह : एक क्वेश्चन।

जिस समय पहली बार अवधि समाप्त हुई थी और अवधि में फिर वृद्धि की गई थी उस समय और दुबारा जिस समय एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइन्ट किया गया था उस समय दोनों समयों की स्थिति में कोई अन्तर था ? पहले कुछ और स्थिति थी और एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइन्ट करते वक्त और स्थिति थी ? क्या अन्तर था दोनों वक्त की स्थितियों में ?

श्री सम्पतराम : अन्तर था या नहीं, इसकी मुफस्सिल जानकारी मुझे नहीं है। तीन बार हमने मयाद बढ़ाई। पहले ३०-३-६०

(श्री सम्पतराम)

को, फिर ३०—६—६० को और फिर ३१—१—६१ को। इसके बाद झगड़ा होता है, बराबर रिपोर्ट आती है। फिर इस म्युनिसिपैलिटी के मामले पर काफी बहस की जा चुकी है पहले और मैंने स्पेसिफिक कारण भी बता दिया। इसके बाद फिर वही सवाल करना केवल सदन का समय लेना है।

श्री भैरोंसिंह : मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि आपने तीन बार एक्सटेन्शन किये उस वक्त क्या सरकमसटेन्सेज थे और बाद में फिर एक्सटेन्शन नहीं करके एडमिनिस्ट्रेटर अपोइन्ट किया उस वक्त के सरकम्सटान्सेज में क्या अन्तर पड़ गया ?

श्री सम्पतराम : मैं सारे सरकम्स्टांसेज के बारे में जवाब दे चुका हूँ। इसका कार्य-काल समाप्त हो गया था इसलिये किया। आप बार बार वही बात स्ट्रेस करते हैं। कारण भी मैंने बताये।

श्री भैरोंसिंह : सवाल मेरा बिल्कुल सीधा है। तीन बार आपने एक्सटेन्शन किया उस समय के सरकम्स्टान्सेज़ में और चौथी बार एक्सटेन्शन नहीं करके आपने एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया उस समय के सरकम्सटान्सेज़ में क्या अन्तर आया ?

श्री अध्यक्ष : यह तो बहस की बात हो गई।

श्री भैरोंसिंह : मामला स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय, एक बार पहले एक ग्रुप का चैयरमैन था और जब दूसरी पार्टी का चैयरमैन आया तो एडमिनिस्ट्रेटर अपोंइन्ट कर दिया, जब तक एक पार्टी का चेयरमैन रहा तब तक एक्सटेन्ड करते रहे। यह है बात।

श्री अर्जुनदास : Is it a fact that the newly elected president was not a Congressman ?

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीप्रसाद माथुर।

लालसोट कस्बे हेतु नगरपालिका

७७३. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि लालसोट कस्बे को पुनः नगरपालिका बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने रखा एवं उस सम्बन्ध में आपत्तियां भी मांगी गई ?

(२) क्या यह सही है कि आपत्तियों की अवधि समाप्त हो गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब कब तक निर्णय ले लिया जावेगा ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां !

(२) जी हां। यह सरकार के विचाराधीन है। शीघ्र ही निर्णय लिया जावेगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह भी निर्णय ले लिया गया था कि पंचायत का चुनाव नहीं कराया जाय ?

श्री सम्पतराम : इस प्रकार का आदेश दिया जाता तो इम्पलीमेंट होता।

Page No 24

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : पंचायत का चुनाव नहीं हो, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी में परिवर्तन किया जावेगा, ऐसा आदेश था, फिर चुनाव कैसे हुआ ?

श्री सम्पतराम : यह मेरी जानकारी में नहीं है। पर क्वेश्चन का भी कोई सम्बन्ध ज्यादा नहीं है। नोटिफिकेशन म्युनिसिपैलिटी में कन्वर्ट करने का निकला है, वह सवाल हमारे विचाराधीन है।

गबन के मामले

७७४. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् १९५० से अब तक कितने केसेज सरकारी राशि के गबन के ध्यान में आये हैं ?

(२) उनमें कुल कितनी राशि गबन की गई ?

(३) अब तक कितनी राशि वसूल की जा चुकी है।

(४) अब कितनी राशि के और कितने केसेज विचाराधीन हैं ?

(५) कितने केसेज में अभियुक्तों को निर्दोष पाया गया और उसके सम्बन्ध में कितनी राशि निहित थी ?

(६) वसूली असम्भव होने अथवा अन्य कारणों से कितनी राशि राइट ऑफ की गई ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) ९५०।

(२) २८,०९,३३५. रु० १५ नये पैसे।

(३) ४,६६,१७२. रु० ४३ नये पैसे।

(४) ६७५ केसेज रकम २२,७७,६५६. रु०, ६० नये पैसे।

(५) ८१ केसेज में अभियुक्त अदालतों द्वारा निर्दोष पाये गये। रकम ३,०७,३७६. रु० २६ नए पैसे।

(६) ६५,२०२. रु० ८२ नये पैसे।

राजस्थान नहर उपनिवेशन विभाग

७७५. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या मन्त्री, राजस्थान कैनाल विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान नहर उपनिवेशन विभाग की स्थापना कब हुई ? इस विभाग की स्थापना से चालू साल तक की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जावे।

राजस्थान कैनाल मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : राजस्थान नहर उपनिवेशन विभाग की स्थापना मई सन् १९५५ में हुई थी। वर्ष १९५५–५६ से लेकर १९५९–६० तक की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है। १९६०–६१ की रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई क्योंकि अभी वर्ष समाप्त हुआ ही है।

(सूची अति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम सेवकों का वेतन

७७६. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या पंचायत मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा लगभग ३।। वर्ष पूर्व ग्राम सेवकों का वेतन ७५—४—६५ ई. बी. ५—१४० घोषित किया गया था ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त आदेश डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर के आदेश नम्बर एफ (३) (४१) डी.डी. । ५६ पी. II ११। १६२६४ दिनांक १८ दिसम्बर, १६५७ द्वारा स्थगित कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) ग्राम सेवकों के वेतन के बारे में अब क्या निर्णय लिया गया है और कब और अगर नहीं लिया गया, तो क्यों ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी नहीं।

(२) चूंकि आदेश संख्या डी २(८) आर./५६ दिनांक १६ जुलाई, सन् १६५७ जो कि वित्त विभाग से जारी किये गये थे स्पष्ट नहीं था, अतः खण्ड अधिकारियों को इस कार्यालय के पत्र संख्या एफ ३ (४१) डी. डी. ५६ पी. II/ १६२६४ दिनांक १८—१२—५७ में यह लिख दिया गया था कि जब तक वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हो उक्त आदेश पर कोई कार्यवाही न की जाय।

(३) इस सम्बन्ध में जून सन् १६५८ में ही निर्णय ले लिया गया था। ग्राम सेवकों के लिए लागू वेतन शृंखला की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि १६ जुलाई, ५७ के आदेश के अनुसार ७५। ४। ६५। १४० की ग्रेड निर्धारित की गई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने बताया कि पहले वाले हुक्म को रोक दिया गया था। दूसरा हुक्म जारी किया था और बाद में सारी वेतन शृंखला दे दी है।

श्री भैरोंसिंह : पहले जो आदेश दिया था उसमें इतनी तनख्वाह निर्धारित की गई थी क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले जो वेतन शृंखला रखी थी उसमें ६०।४।८० ई. बी. ५।१३० रखा था।

श्री भैरोंसिंह : १६ जुलाई, ५७ के ऑर्डर के स्पष्टीकरण के लिये दूसरा ऑर्डर इश्यू किया गया था, तो जिस ऑर्डर का स्पष्टीकरण करना था क्या वह ऑर्डर ७५।४।६५। ई. बी. ५। १४० की ग्रेड का था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले तो कोई नहीं था। बाद में ७५।४।६५।५। १४० वाली की।

म्युनिसिपल कर्मचारियों के सर्विस रूल्स

७७७. **श्री लक्ष्मीचन्द** : (सांचोर) [श्री अनूपसिंह (बालोतरा) द्वारा पूछा गया] :—

Page No 26

(श्री लक्ष्मीचन्द)

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :-

क्या राजस्थान में म्युनिसिपल कर्मचारियों के सर्विस रूल्स बने हुए नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक बनाने का सरकार विचार रखती है ?

स्वायत शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम): राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ८८ के अन्तर्गत नगरपालिकाओं को अपने कर्मचारियों (एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर के अलावा) के लिए नियम बनाने का अधिकार है ।

जहां तक एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर आदि के सर्विस रूल्स से सम्बन्ध है राज्य सरकार द्वारा आवश्यक नियम बना दिये गये हैं ।

भीलवाड़ा जिले के कृषि विभाग द्वारा स्वीकृत टेन्डर

७७८. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले के कृषि विभाग द्वारा जिले के अन्य स्थानों पर खाद, बीज आदि पहुंचाने के लिये टेन्डर्स मांगे गये थे ?

(२) यदि हां, तो कितने टेन्डर्स किस २ रेट के आये ? उनमें से कितने विचारार्थ नहीं लिये गये और क्यों ?

(३) किन २ टेन्डर्स ने अर्नेस्ट मनी जमा कराई थी और किन २ ने नहीं ?

(४) किन २ टेन्डर्स को विचारार्थ लिया गया और किस का किस रेट का टेन्डर मन्जूर किया गया ? क्या यह लोएस्ट रेट थी ?

उप-मन्त्री कृषि (श्री दौलतराम सारण): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का आशय किस वर्ष के टेन्डर से है, यह स्पष्ट नहीं है इस प्रश्न में ।

श्री भैरोंसिंह : आपके पास जो सूचना आई है वही बता दें । वर्ष तो अपने आप प्रकट हो जायेगा ।

श्री दौलतराम सारण : आप निश्चित सूचना पूछ लें ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा मतलब ६०-६१ से है ।

श्री दौलतराम सारण : ६०-६१ की सूचना जो है वह आपको बता देता हूँ ।

[१] जी हां ।

[२] तीन टेन्डर्स आये थे । इनमें से एक की राजस्थान गुड्स ट्रान्सपोर्ट कम्पनी दर ढाई पाई प्रति मन प्रति मील कच्ची सड़क पर व ३ पाई प्रति मन प्रति मील पक्की सड़क व दूसरी फर्म भीलवाड़ा गोल्डन ट्रान्सपोर्ट कम्पनी की दर ३ पाई प्रति मन प्रति मील कच्ची सड़क व ३ पाई प्रति मन प्रति मील पक्की सड़क की थी लेकिन ४० मील से ज्यादा दूरी पर पक्की सडक की रेट २ पाई

Page No 27

(श्री दौलतराम सारण)

प्रति मन प्रति मील थी । इनमें से एक विचारार्थ नहीं लिया गया, क्योंकि इसका टेन्डर नियमानुसार नहीं था ।

[३] तीनों ने ही जमा कराई थी ।

[४] राजस्थान गुड्स ट्रान्सपोर्ट व भीलवाड़ा गोल्डन ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के टेन्डरों को विचारार्थ लिया गया । भीलवाड़ा गोल्डन ट्रान्सपोर्ट कम्पनी जिसकी दर २ पाई प्रति मन प्रति मील पक्की सड़क पर ४० मील से ज्यादा दूरी पर था उसका टेन्डर मन्जूर किया गया और यह न्यूनतम दर थी ।

श्री भैरोंसिंह : क्या अर्नेस्ट मनी टेन्डर मन्जूर होने के पहले जमा कराई गई थी या बाद में ?

श्री दौलतराम सारण : जब करवानी चाहिए थी तभी करवाई गई थी ।

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा): वह करा ली है ।

प्रश्न संख्या ७७६

श्री अध्यक्ष : श्री मोगजी भाई ।

(अनुपस्थित)

गालवा नदी को रोक कर कच्चे बांध का निर्माण

७८०. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नगरपालिका, उनियारा, जिला टोंक के द्वारा गालवा नदी को रोक कर कच्चा बान्ध बनाया गया था जो हाल ही में हुई वर्षा के कारण टूट गया था ?

(२) क्या उनियारा की जनता ने नगरपालिका के प्रशासक के पास इस बान्ध को बंधवाने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे तथा प्रशासक, नगरपालिका ने इसे बंधवाने से इन्कार किया ?

(३) अगर हां, तो किस कारण से ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां ।

(२) जनता के प्रार्थना-पत्र आने पर कच्चा बांध बंधवा दिया गया उसके बाद जनता से कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

रावराजा सरदारसिंह क्या यह सही है कि जनता ने प्रार्थना पत्र दिया था और खुद जनता के प्रतिनिधि मैंने भी एडमिनिस्ट्रेटर को चिट्ठी लिखी थी ? फिर आप कहते हैं कि एक दफा खुल गया और दूसरी दफा के लिए प्रार्थनापत्र नहीं आये ?

श्री सम्पतराम : यह ठीक है कि आपके प्रार्थना पत्र आये और उनके संबंध में कार्यवाही की गई । २६-१-६१ को अधिक वर्षा होने की वजह से बांध का हिस्सा टूट गया । उसकी मरम्मत करने के लिए इर्रिगेशन विभाग को लिखा गया है । अब पानी का वहां बहाव भी कम हो गया है और कोई

Page No 28

(श्री सम्पतराम)

दिक्कत नहीं है। वह भी अगले वर्ष तक ठीक हो जायेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा जानकारी के लिए निवेदन करूंगा कि आप यह अक्सर फरमाते हैं कि जनता की प्रार्थना नहीं आई, इसलिए बांध नहीं बनाया गया है। अब मैं आप से निवेदन करता हूँ कि म्युनिसिपैलिटी का स्टाफ वहां रहता है, आपका सेक्रेटरी वहां रहता है, आपके चपरासी वहां रहते हैं। वह जो एक नाला गलवा बान्ध का है वह ओवर-फ्लो होता है उसके लिए गांव वाले गांव के पास बांध देते हैं ताकि गांव के मवेशी आराम पायें। पहले भूतपूर्व जागीरदार बनवाते थे। बाद में म्युनिसिपैलिटी को हैण्ड ओवर कर दिया तो वह हमेशा बनवाती है। गलवा बान्ध में ज्यादा पानी आने से बीच हुआ और वह टूट गया। पहले प्रार्थना की लोगों ने और मैंने भी आपके एडमिनिस्ट्रेटर को लिखा लेकिन वह नहीं बना है तो लोग उससे महरूम रहते हैं।

जालोर जिले को लोहे का कोटा

७८१. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) [श्री अनूपसिंह (बालोतरा) द्वारा पूछा गया] : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :-

जालोर जिले को लोहे की चद्दर व लोहे का कोटा सन् १९५५ से प्रति वर्ष में कितना २ दिया जाता रहा है ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मन्त्री कृषि (श्री दौलतराम सारण): सन् १९५५ से ६१ तक प्रति वर्ष जालोर के लिए लोहे की चद्दरें और लोहे का अन्य सामान प्राप्त हुआ है उसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

९ मार्च, १९६१ का स्थगित प्रश्न

प्रश्न संख्या ११

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

(दिनांक १६ मार्च, १९६१ का स्थगित प्रश्न)

पशुपालन विभाग को मिली सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग

३३९. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि डाइरेक्टर, एनिमल हस्बेन्डरी, राजस्थान रिन्डरपेस्ट की स्टेशन वेगन तथा विलेज स्कीम की जीप का खुद के घूमने के लिये उपयोग करते हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट के इन्सपेक्टर द्वारा इन दोनों गाड़ियों की लॉग बुक्स की जांच करवाई गई ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

(ग) इस विभाग में मास इम्यूनीसेशन यूनिट्स की कितनी जीप हैं और कहां कहां ?

(घ) मोबाइल डिस्पेन्सरी की कितनी जीप्स हैं और कहां कहां ?

Page No 29

(श्री भैरोंसिंह)

(ङ) क्या यह सही है कि गत वर्ष इन गाड़ियों के लिये निर्धारित पैट्रोल की रकम वर्ष पूरा होने के पूर्व ही समाप्त हो गई थी ? यदि हां, तो यह बताया जावे कि किस किस अधिकारी ने इन गाड़ियों में कितना २ टूर किया ? गत वर्ष के लिये निर्धारित कार्य पूरा हुआ या नहीं ? यदि हां, तो कितना कार्य निर्धारित था ? इसके डिटेल्स बताये जावें ।

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां, पहले के उपयोग के सम्बन्ध में जांच करवाई गई, जिसका मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(घ) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ङ) इसकी जांच की जा रही है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक, पाली की बकाया की वसूली

३४२. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक, पाली की आज तक कितनी २ रकम किन २ सोसाइटीज़ में बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(ख) किन २ सोसाइटीज़ में कर्जा ओवर ड्यू हो चुका है और क्यों ?

(ग) सरकार ने उसकी वसूली के लिये आज तक क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) सूची परिशिष्ट (क) सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) जिन समितियों में ऋण ओवर ड्यू हो चुका है उसका उल्लेख उन समितियों के सामने संलग्न सूची परिशिष्ट (क) में कर दिया गया है । ओवर ड्यू होने का कारण सदस्यों का समय पर ऋण जमा न कराना है ।

(ग) सहकारी समितियों के अधिनियम की धारा ६७ और ६६ के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

श्री मोतीबाबा चौधरी (बाली) : ओवर ड्यू कितने सालों से है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रकम परिशिष्ट में सामने लिखी हुई है ।

Page No 30

(दिनांक १८ मार्च, १९६१ का स्थगित प्रश्न)

प्रश्न संख्या ३६२

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (चांदीकुई) : One question, Sir-763. It is a Question of public importance. I shall be highly grateful.

श्री अध्यक्ष : We will repeat all the questions then.

(विराम)

श्री मोगजी भाई।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द।

जिला जालोर के प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स व डिस्पेन्सरीज़ में स्टाफ का अभाव

७५२. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) [श्री अनूपसिंह (बालोतरा) द्वारा पूछा गया]: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में प्रत्येक प्राइमरी हैल्थ सेन्टर व डिस्पेन्सरी में कितने कितने स्टाफ रखने का नियम है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर के अन्तर्गत प्राइमरी हैल्थ सेन्टर व डिस्पेन्सरीज़ में नियमानुसार स्टाफ नहीं है ? यदि हां, तो किस किस जगह कमी है और कमी के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (क) इस विभाग के द्वारा खोले गये प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में निम्नलिखित स्टाफ स्वीकृत है:-

सी. ए. एस. क्लास १ डॉक्टर	१.
सी. ए. एस. क्लास २ डॉक्टर	१.
कम्पाउन्डर	५.
लेडी हैल्थ विजीटर	१.
मिडवाइव्ज़	४.
सेनिटरी इन्सपेक्टर	१.
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	८.

डिस्पेन्सरियों में स्टाफ निर्धारित करने के कोई नियम नहीं हैं। जिन जिन डिस्पेन्सरियों के के लिये जो जो स्टाफ स्वीकृत है वही वहां पर लगाया जाता है।

(ख) स्वीकृत स्टाफ में से जिन स्थानों में ट्रेन्ड स्टाफ के उपलब्ध न होने के कारण स्थान रिक्त हैं, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

कोषाध्यक्ष जालोर द्वारा बिलों पर बार बार एतराज किया जाना

७६२. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) [श्री अनूपसिंह (बालोतरा) द्वारा पूछा गया]: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री लक्ष्मीचन्द)

(१) कोषाध्यक्ष, जालोर द्वारा बिल को कार्यालय में पहुँचने के बाद साधारण तौर पर कितने दिनों में पास करने के नियम हैं ?

(२) क्या यह सत्य है कि जो बिल काबिल होते हैं उन पर जितने एतराज होते हैं वे कोषाध्यक्ष द्वारा एक साथ ही नहीं किये जाकर बार २ किये जाते हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जालोर, कोष कार्यालय में बिल आने केबाद प्राय तीन दिन के अन्दर पास कर दिये जाते हैं। यह अवधि प्राय: सभी कोष कार्यालयों में प्रचलित है। चालान उसी समय एवं जागीर कम्पेन्सेशन के केश वाउचर उसी दिन अथवा दूसरे दिन पास कर दिये जाते हैं।

(२) सभी एतराज बिलों पर प्राय: एक ही बार किये जाते हैं। पीस मील एतराज नहीं किये जाते हैं। परन्तु यदि एतराजों के प्रत्युत्तर के उपरान्त भी कोई समस्या उपस्थित हो जाय तो उसका खुलासा करना ही पड़ता है।

बांदीकुई प्लन्टेशन सम्बन्धी अखिल भारतवर्षीय सोइल इरोजन कॉन्फरेन्स की सिफारिशें

७६३. **श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** (बांदीकुई) : Will the Forest Minister be pleased to state :—

1. Whether it is a fact that the All India Soil Erosion Conference recently held in Jaipur, had visited the Bandikui plantation, 1957 ?

2. What were the impressions and the recommendations of the above conference regarding that plantation ?

3. Whether it is a fact that the Conference had recommended the inclusion of more area in the plantation and the enhancement of the per acre amount of expenditure ?

4. If so, what steps, if any, have so far been taken by the Department for the implementation of the above recommendations of the Conference ?

वन मंत्री (श्री सम्पतराम) : 1. Yes.

2. No recommendations were made.

3. No.

4. The question does not arise.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : Were any recommendations made in connection with the Bandikui Plantation by the departmental officers ?

श्री सम्पतराम : The question does not relate to the departmental officers. It specifically relates to the recommendations made by the Conference.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : In connection with the visit of that Confere-

(श्री विशम्भरनाथ जोशी)

nce to Bandikui plantation, 1957, were any recommendations, in the light of the discussions of the conference made by the departmental officers ?

श्री सम्पतराम : It was appreciated. No additional remarks were made by the conference. The question of taking further action does not arise.

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर–सु०) : माननीय सदस्य हिन्दी में बोलने का अभ्यास करें।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : If no such report was made, then what was the utility of taking the party to Bandikui Plantation, 1957 ?

श्री सम्पतराम : It does not mean that we wanted to get additional recommendation. We wanted to show them our work. That is why they were taken together there. They saw it and they appreciated it.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : Is it not a fact that the per acre expenditure being sanctioned at present for that Plantation is being considered less than what is required ?

श्री सम्पतराम : This is a vague question. Any amount can be enhanced or any amount can be reduced. It cannot be said specifically at this stage whether the amount spent on the area is adequate for the development of the area or not.

श्री अध्यक्ष : श्री मोगजी भाई।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव

(सदन की मेज पर रखना)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव सदन की मेज पर रखता हूँ।

राजस्थान कृषि उपज विपणि विधेयक, १९६०

(प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग बिल, १९६० पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का, असहमतिपत्र सहित, उपस्थापन करता हूँ।

कार्य सलाहकार समिति का २२वां प्रतिवेदन

(उपस्थापन एवं सदन द्वारा एवं स्वीकृति)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

के २२ वें प्रतिवेदन को उपस्थापित करता हूँ।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के २२ वें प्रतिवेदन से सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

जयपुर मातमी रूल्स (वैधकरण) विधेयक, १९६१

(पुरःस्थापन)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर मातमी रूल्स (वैधकरण) विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जयपुर मातमी रूल्स (वैधकरण) विधेयक, १९६१ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

(१२. ११. म. प.)

राजस्थान न्यायालय शुल्क तथा वाद मूल्य निर्धारण विधेयक, १९६०

(खण्डशः विचार–विमर्श एवं पारित)

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी तथा कर मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान न्यायालय शुल्क तथा वाद मूल्य निर्धारण विधेयक, १९६० को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान न्यायालय शुल्क तथा वाद मूल्य निर्धारण विधेयक, १९६० को उसी प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। उसी प्रवर समिति के सुपुर्द क्यों किया जाय, यह तो मैं बाद में बताऊंगा।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कोर्ट फीस लागू करने का कानून सदन के सामने है। पहले उसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया गया था। लेकिन मैं सदन के सामने यह बताना चाहता हूँ कि राजस्थान कोर्ट फीस और स्टाम्प ड्यूटी बिल का लोगों पर क्या असर पड़ेगा ? हमने यह तय किया था कि राजस्थान में न्याय सस्ता हो, लेकिन सस्ते न्याय के बजाय हम देखते हैं कि राजस्थान में न्याय का मूल्य दिन–ब–दिन बढ़ता हुआ

(डॉ० बहादुरसिंह)

चला जा रहा है और इस कानून के बाद संभवतः और भी अधिक बढ़ जायेगा। राजस्थान में जब न्याय का मूल्य अधिक बढ़ता है तो न्याय प्राप्त करने के लिये बड़ी भारी असुविधा राजस्थान की जनता को होगी। मैं आपके सामने ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करूंगा जिससे मालूम हो सकता है कि राजस्थान में न्याय का मूल्य बराबर बढ़ता चला जा रहा है। मैं इसको उसी सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द इसलिये करना चाहता हूँ कि इस कमेटी के जो २४ सदस्य हैं उनमें से १७ एडवोकेटस हैं। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो कानून से अनभिज्ञ हूं लेकिन जनता की वास्तविक कठिनाइयों से सदन को अवगत कराना चाहता हूं।

हमारे यहां टैक्स लगाये जाते हैं। इस साल के बजट में हमने देखा कि १३६.५० लाख के टैक्स जनता पर लगाये हैं। अध्यक्ष महोदय, इस न्याय प्रशासन पर होने वाले व्यय के बारे में यदि गंभीरता से सोचें और टैक्स के अलावा स्टाम्प्स और रजिस्ट्रेशन की जो फीस है उससे करीब आपको ८१ लाख की बचत होगी, क्योंकि स्टाम्प्स की बिक्री ३.५० लाख की होगी और हमारे कोर्ट्स पर खर्चा ५१.९७ लाख पड़ता है। मैं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ वह इस प्रकार है कि हमारे फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी ने इस सम्बन्ध में रिपोर्ट दी है। उसका एक कोटेशन सदन में प्रस्तुत कर दूं तो माननीय सदस्य इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि जो रेट्स सिलेक्ट कमेटी से प्रपोज़ होकर आई हैं वे भारी–भरकम हैं और स्टाम्प्स ड्यूटी और कोर्ट फीस बहुत भारी हो जाते है।

फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के पेज १८१ का हवाला देना चाहता हूँ जिसमें इस प्रकार लिखा है : "View has often been expressed that court fees should only cover the cost of adminstration of law and justice and that the State should not look to the fees as a source of revenue..."

माननीय अध्यक्ष, इससे स्पष्ट हो गया कि हमारी फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी की इस प्रकार की राय थी कि स्टेट को कोर्ट फीस वगैरह अपने स्टेट की रेवेन्यू के आधार पर नहीं रखनी चाहिये। हालांकि स्टेट को रेवेन्यू भी टैक्सेज़ के जरिये होती है, लेकिन उसका एवरेज १९१ लाख तक पहुंच गया। लेकिन रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प्स का हैड है उसका हिसाब लगाया जाय तो ढाई गुना हो जाता है। इसलिये आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें इस बिल को दुबारा सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करना चाहिये। और दुबारा जब इस पर विचार करें तो खास तौर से कुछ धाराएं ऐसी हैं जिन पर विचार करना है। धारा २५ में इस प्रकार की व्यवस्था है कि ५०००) रु. तक के सूट्स के लिये ५०) रुपये स्टाम्प ड्यूटी रखी है जो करीब ५ पर्सेन्ट पड़ती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि ५०) रुपये एक व्यक्ति से टेक्स के लें चाहे उसके दावे की रकम एक हजार की हो या तीन हजार की हो या पांच हजार तक हो तो यह एवरेज ५ पर्सेन्ट आकर पड़ती है। इसके बजाय न्यायपूर्ण बात यह होगी कि यदि ५० रुपये निश्चित नहीं करके यह करते कि ५ पर्सेन्ट स्टाम्प्स ड्यूटी ली जायेगी तो न्यायपूर्ण बात होती। जब कि ५,०००) रु. पर ५० रुपये की बात आती है, I am sorry १ पर्सेन्ट ड्यूटी लगाते हैं तो यह ५ हजार के ऊपर आकर

(डॉ० बहादुरसिंह)

पूरा पड़ जाता है। इसी प्रकार १०० रुपये वसूल होने की बात है।

इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं इसलिये मैं पुनः इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। हमारा टैक्सेशन इस तरह होना चाहिये कि समानता आ जाय। जिस पर ज्यादा रकम है यदि पर्सेन्टेज का हिसाब ज्यादा पड़ता है तो ज्यादा वसूल किया जाय और कम है तो कम किया जाय। इस सम्बन्ध में और क्लॉज़ेज का कोटेशन भी पेश करूंगा। क्लॉज़ २७ में इस प्रकार की व्यवस्था है कि मान लीजिये यदि कुछ निश्चित रकम कर दी गई, यदि कम बैठती है तो जो ज्यादा की गई उससे वसूल की जाय। मेरी समझ में नहीं आया कि हम न्याय की बात करते हैं और इस प्रकार से फीस वसूल करना चाहते हैं। यदि कम मालियत है तो कम ही फीस लेने की व्यवस्था करनी चाहिये। इस प्रकार क्लॉज़ २८ में व्यवस्था है। शिड्यूल पर विचार करें तो उससे भी स्पष्ट हो जाता है। शिड्यूल नं० १ में १० रुपयों पर ६० नये पैसे रखे हैं यानी ६ पर्सेन्ट या १ आना रुपया पड़ता है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने १०–१० के खंड किये हैं उनको न करके पर्सेन्टेज करते तो ज्यादा उपयुक्त होता और मेग्जिमम टार्गेट पोइन्ट है वह भी पूरा हो जाता है। संभवतः इस बारे में मेरा संशोधन भी है। लेकिन मैं चाहूँगा कि सिलेक्ट कमेटी पहले इस पर विचार कर ले और इस दृष्टिकोण से देखे कि न्याय सस्ता हो! यदि न्याय सस्ता नहीं है तो हम राजस्थान की जनता को राहत नहीं दे सकते और राजस्थान के लोगों की फाइनेन्शियल कन्डीशन इस बात के लिये मजबूर करती है कि न्याय सस्ता किया जाय।

इसी प्रकार से मैं फिक्स्ड फीस के बारे में निवेदन करूंगा। एक छोटी सी बात सदन के सामने लाऊंगा वह है शिड्यूल का पार्ट ३, सब-पार्ट २ (बी)। उसको सलेक्ट कमेटी ने डिलीट कर दिया है और उसकी जगह, जो 'सी' था उसको 'बी' कर दिया है, इन अदर केसेज़ में इसमें १० रुपये थे, वे जाकर १०० रुपये हो गये। तो जरा सिलेक्ट कमेटी के संशोधन से एकदम दस गुना हो जाता है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम जो फीस वगैरह हैं इस सम्बन्ध में हमें फिर से विचार करना चाहिए और इसका विचार जो हमारी फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी हैं उसके दृष्टिकोण से करेंगे तो निश्चित तौर पर हम काफी लोगों को राहत दे सकते हैं। क्योंकि फीस वगैरह होती हैं वे कोई हमारी इन्कम की सोर्स नहीं होती हैं।

मैं पुनः सदन से, अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व, निवेदन करना चाहूँगा कि जो माननीय सदस्य इस समिति में हैं उन २८ सदस्यों में से १७ एडवोकेट हैं वे इस सम्बन्ध में राय दे सकेंगे कि क्या संशोधन होने चाहिए। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि फीस वगैरह के क्लॉज़ेज २०,२१,२२,२३,२४,२५ से ४५, ४६ और शिड्यूल्ड २ के ऊपर विचार करें। दूसरी तरफ जहां फीस नहीं लगती, जहां वापिसी का प्रश्न आये, जो फीस वापिसी का प्रोविज़न है उसमें इस प्रकार से कर दिया है कि हाफ फीस वापिस की जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ कारणों से फीस वापिस होती है वह क्लॉज़ २६ के अन्दर है।

Page No 36

(डॉ० बहादुरसिंह)

जहां इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं कि फीस वापिस की जाय, वहां जो हमने कम से कम आधी फीस की बात लिखी है वह आधी न होकर जो खर्चा रेवेन्यू स्टाम्प्स, सेल, एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा बैठता है वह मैं समझता हूँ कि १-४ से ज्यादा नहीं बैठ सकता है किसी हालत में भी; इसलिए ३ फीस वापिस करने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन वह नहीं कर पाये हैं।

तो मैं ये बातें इसलिए रखना चाहता हूँ कि जब सलेक्ट कमेटी इस पर विचार करे तो कुछ गम्भीरता से विचार कर ले और मैं चाहूँगा कि सदन इस पर पुनः विचार करके सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करें; क्योंकि यह न्याय और फीस की बात है। इससे कोई विशेष लाभ सरकार को होने वाला नहीं है, जो लाभ होने वाला है उसके लिए हम और कोई दूसरे टैक्स लगा सकते हैं लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है वह सस्ता हो, इस तरफ ज्यादा ध्यान देंगे और मेरा प्रस्ताव है उसको स्वीकार करेंगे।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे कुछ और बातें भी निवेदन करनी हैं। पहली बात तो यह है कि जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी या जो कोई समितियों की रिपोर्ट हैं उनमें उन्होंने इसको आमदनी का साधन नहीं बताया है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे प्रभारी मन्त्री महोदय इसको आमदनी का साधन मानते हैं, तो कोई हर्ज नहीं, यदि माननीय मन्त्री बताते हैं कि यह हमारी आमदनी का जरिया है। हालांकि अगर इस प्रकार माननीय मन्त्री कहते हैं कि यह आमदनी का साधन है तो उनकी न्याय व्यवस्था एक तिजारत के सिवाय कुछ रहती नहीं है। लेकिन फिर भी यह स्टेटमेंट या यह जो मत है इसको माननीय मन्त्रीजी स्पष्ट रूप से नहीं कहेंगे। इसका नतीजा यह है कि बिल हमारे सामने अत्यन्त जटिल रूप में आया है। यदि वे वास्तव में फीस बढ़ाना चाहते या आमदनी बढ़ाना चाहते तो सीधा और सरल उपाय था कि जिस प्रकार का सेन्ट्रल एक्ट है उसकी जो पद्धति है, उस पद्धति को दुगुना कर देते, तिगुना कर देते, चार गुना कर देते, पांच गुना कर देते। लेकिन उस पद्धति को बदल कर, उसमें कई नवीनतायें लाकर डालने की चेष्टा की है।

हो सकता है ऐसी कई स्टेट्स हैं जिनके अन्दर ऐसे कानून हैं जिनमें इस तरह की जटिलतायें हों, लेकिन कोई एक स्टेट एक विशेष प्रकार का कदम उठा लेती है और हम, क्योंकि उसके समान एक स्टेट हैं इसलिए हूबहू उसकी नकल या अनुकरण करने लग जायं तो इसमें हमारी बुद्धिमत्ता या क्या विशेषता हुई, यह बात है। तो माननीय मन्त्रीजी को दो प्रश्नों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए पहली बात तो यह है कि क्या इस पैसे के द्वारा वे उस कमी को पूरा करना चाहते हैं, जो हमारे विकास कार्यों में खर्चा होने के कारण बढ़ रही है, जो हमारी आमदनी कम हो रही है और खर्चा बढ़ रहा है क्या इस कमी को न्याय शुल्क या इस कानून के द्वारा पूरा करना चाहते हैं ? इस प्रश्न का पहले निर्णय कर लेना चाहिए और यदि इस कमी को पूरा करना चाहते हैं तो

(श्री तनसिंह)

इसको इतना जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। हमें साफ कहना चाहिए कि हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति घाटे में जा रही है। ऐसी अवस्था में हमको चाहिए कि इसको जटिल बनाने और दूसरे क्लॉजेज़ को रखने के बजाय स्पष्ट रूप से यह रख देते और सेन्ट्रल एक्ट से दुगुना कर देते, चौगुना कर देते, पंचगुना कर देते। तो उसका एक स्पष्ट चित्र सामने आता।

तो आज स्थिति यह है कि न तो यह कह सकते हैं कि आपने इसकी सरलता का ध्यान रखा है और न यह कहा जा सकता है कि न्याय को सस्ता बनाने का ध्यान रखा है। दोनों अर्थों, दोनों दृष्टिकोणों से हमारे सामने जो बिल है वह ऐसा है जिस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। सिलेक्ट कमेटी ने जो कुछ इस पर विचार किया है वह उस रूप में विचार किया है जिस रूप में उसके सामने यह गया। मैं समझता हूँ कि सिलेक्ट कमेटी को विशेष डाइरेक्शन्स दे दिये जायं। वह सलेक्ट कमेटी इसलिए बनाये कि वह विचार करें कि क्या यह सम्भव है या नहीं कि इसे सेन्ट्रल एक्ट के मुताबिक बनाया जाय, ताकि हमारे सारे के सारे हिन्दुस्तान के अन्दर एक समान व्यवस्था हो सके और साथ साथ सरलता हो सके। ये दोनों प्रश्न नहीं हैं, इसलिए उसके बाद कितने ही इन्टरप्रिटेशन के मामले चलेंगे। इसमें इतनी जटिलतायें हैं कि आप एक न्याय बनाना चाहते हैं जिसमें बहुत झंझट पड़े। ये दो चीजें हैं, इन पर माननीय मंत्री को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। सब विचार भी कर लें और सहमत भी हो जायें तो भी यह सम्भव नहीं है। इस पर जो अमेंडमेंट होंगे वे सदन में लिये जा सकेंगे जब तक कि सिलेक्ट कमेटी उनको ठीक प्रकार से रखने के सम्बन्ध में विचार नहीं करती है। इसलिए माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस अमेंडमेंट बिल की धाराओं पर कुछ विचार किया। अभी तक यह समझ में नहीं आ पा रहा है कि इस बिल का वास्तव में ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या हम इस बिल को अमेंड करने के बाद लोगों को न्याय देने के लिए कोर्ट फीस को एक आमदनी का जरिया बनाना चाहते हैं या वास्तव में हमारा उद्देश्य लोगों को सही मायने में सस्ता न्याय देना है? मैंने इस बिल के कुछ क्लॉजेज को देखा और मुझे यह महसूस हुआ कि सलेक्ट कमेटी ने जिन धाराओं पर विचार किया और संशोधन करने की राय दी, मैं समझता हूँ, पूर्णरूपेण उन सारी चीजों पर विचार नहीं किया गया है, जैसा कि होना चाहिए था। अफसोस मुझे इस बात का है कि कहा जाता है कि इस बिल की सिलेक्ट कमेटी में हमारे माननीय सदस्यों में से कई वकील पेशा हैं फिर भी इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जो रोज मर्रा अदालत में देखने में आती हैं।

अध्यक्ष महोदय, हम इस बिल को आम तौर पर उन क्लॉजेज को लें कि जिनमें कोर्ट फीस की वृद्धि के लिए सिफारिश की गई है। हम देखेंगे कि उनमें एक बात नजर आती है और वह यह है कि कम से कम कोर्ट फीस इतनी होनी चाहिए। अमुक प्रकार के दावों में इस प्रकार का निर्धारण इसमें किया गया

(श्री नृजसुन्दर शर्मा)

है लेकिन इस बात का ध्यान इसमें नहीं रखा गया कि क्या छोटे छोटे दावों में जो गांवों में चलते हैं, वे चाहे ईजमेंट से सम्बन्धित हों, चाहे जायदाद से सम्बन्धित हों, चाहे छोटे मोटे मकानों से सम्बन्धित हों, क्या यह ठीक होगा कि कोई केस १००) रु० की जायदाद के बारे में है उसमें भी हम मिनिमम कोर्ट फी २०) रुपये, २५) रुपये लें ? प्रीएम्शन के सूट्स तो गांवों में होते हैं। उनमें हम मिनिमम कोर्ट फीस लें या जो डिक्लेरेटरी सूट्स होते हैं जिनमें अमुक आदमी की १००, २०० या ४०० रुपये की जायदाद होती है और उसमें एडॉप्शन का सवाल चलता है, उसमें निम्नतम कोर्ट फीस निर्धारित की गई है। हम एक ऐसी बात करना चाहते हैं कि चाहे मामला छोटे से छोटा हो उनको पूरी कोर्ट फीस देकर अदालत में केस लड़ना पड़ेगा।

मिसाल के तौर पर माननीय अध्यक्ष, मैं इस सदन के सम्मुख निवेदन करना चाहता हूँ कि क्लॉज २४ में डिक्लेरेटरी सूट्स का सवाल है, वहां लिखा हुआ है :

"Where the prayer is for a declaration and for possession of the property to which the declaration relates, fee shall be computed on the market value of the property, subject to a minimum fee of twenty rupees."

अगर २००) रु० की जायदाद है और पजेशन के लिये डिक्लेरेशन चाहता है तो भी उसको २०) रुपये देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि हमने बड़ी कोर्ट फीस लगा कर जो छोटी छोटी प्रोपर्टी के केसेज हैं उनमें इतनी बड़ी फीस लगाई और इस प्रकार हम गरीबों को छोटे लोगों को न्याय प्राप्त करने से वंचित रखना चाहते हैं।

इस तरह आगे बढ़ें तो एडॉप्शन के सूट्स में भी रखा गया है कि कम से कम वे कहते हैं :

"Wherye the market value of the property involved in or affected by the relief is rupees five thousand or less-Rupees fifty."

एडॉप्शन के किसी मामले में ५०) रु० की कोर्ट फीस दे तभी डिक्लेरेटरी नालिश हो। जो इस प्रकार की नालिश है, ५०) रुपये हों तभी एडॉप्शन के लिये लड़ सकता है, जो उचित नहीं है।

और भी, इनके अलावा ऐसी क्लॉजेज हैं जिनको देखेंगे तो सदन को पता चलेगा कि किस तरह इस बिल को एक मात्र जरिया बनाया गया है रेवेन्यू कलेक्ट करने का। मैंने इस सदन के सम्मुख पहले भी निवेदन किया था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ज्यादा से ज्यादा आमदनी का जरिया बढ़ाने के लिये नहीं होना चाहिये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस केवल इन्साफ देने के लिये होना चाहिये। पर इस बिल को देखते हैं तो केवल एक भावना इसमें नजर आती है कि किस तरह से ज्यादा से ज्यादा आमदनी कोर्ट फीस के दावों के जरिये से बढ़ा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में निवेदन किया था कि किस प्रकार फिजूल खर्चियां एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के मद के

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

ऊपर होती हैं। सरकारी दावे चलते हैं, उन पर जो खर्चा होता है, वकीलों और कोर्ट फीस वगैरह का वह सब खर्चा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के मद में दिखा कर बताया जाता है कि न्याय प्रशासन पर हम इतना खर्चा करते हैं, जब कि बहुत सा पर्सेन्टेज सरकार अपने दावों पर खर्च करती है वह भी इसमें शामिल होता है। सरकार द्वारा वकीलों को जो रुपया सरकार के केसेज़ लड़ने के लिये दिया जाता है वह भी इसमें शामिल होता है। हजारों दावे आज गवर्नमेंट पर चल रहे हैं। हर ऑफिसर अपना बर्डन दूसरे के ऊपर फिक्स करने की कोशिश करता है और डिक्री हो जाती है तब जाकर कहीं चैन लेता है और कहता है कि अब मेरे ऊपर कोई वज़न नहीं आयेगा, डिक्री हो गई, कोर्ट अपने आप वसूल करेगा। नहीं तो लोग कहते कि इसने इतनी रकम दिला दी, कोई न कोई बात होगी। इस तरह की भावना आज ऑफिसर्स में है; इस बिल से उनकी इस तरह की भावना को बढ़ावा देते हैं। उनको जिम्मेदार नहीं ठहराते कि कोई अच्छी बात हो तो उसको आउट ऑफ कोर्ट ही सेटल कर लें।

तो इस बिल में कई डिस्क्रिपेन्सीज़ हैं, खामियां हैं, जिनसे यह आम जनता के लिये बहुत कष्ट कर सिद्ध होगा और उन लोगों की नाहक में परेशानियां बढ़ेंगी। यह देखेंगे अध्यक्ष महोदय, कि जिस तरह क्लॉज़ २४ में यह बात है उसी तरह और सभी क्लॉजेज़ को देखें उन सब क्लॉजेज़ में यह चीज़ मौजूद है, जिससे गरीब आदमी को इन्साफ से वंचित रहना पड़ता है।

एडवोलेरम कोर्ट फीस के बारे में हिसाब लगाया गया है। वहां भी इसी तरह की चीज़ नजर आती है और स्पेसिफिक परफॉर्मेन्स के दावों में भी यही चीज़ नजर आती है, जिसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। उनके लिए कोई एक्सप्लेनेशन सिलेक्ट कमेटी देती या और कोर्ट भावना होती उसको दिखाया जाता तो समझ में आ सकता था।

सेन्ट्रल कोर्ट फीस एक्ट में जितनी बातें दर्ज हैं, जो रकम दर्ज है, वेल्यूएशन के तरीके दर्ज हैं उनसे भिन्न इस बिल में रखने का क्या कारण है, यह इसमें दर्ज नहीं है।

वेल्यूएशन ऑफ सेल के बारे में भी यही है। ५०) रुपया कोर्ट फीस रखी है और वह आगे बढ़ती जाती है। उसके लिए भी निश्चित चीज होनी चाहिये कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके बगैर यह करना ठीक नहीं होगा और इससे न्याय के प्रति लोगों का विश्वास उठ जायेगा।

इसलिए मेरा निवेदन करना है कि इस बिल पर फिर से विचार किया जाय और इसमें जितनी डिस्क्रिपेन्सीज हैं और भिन्नतायें सेंट्रल एक्ट से हैं उन पर विचार करके फिर बाद में सदन में पेश किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह बात निश्चित है कि न्याय के जरिये कोई आमदनी का जरिया नहीं हो। न्याय निःशुल्क दिया जाना चाहिये, यह सिद्धान्त बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इसका विरोध करे। पर हर देश की स्थिति, परिस्थितियां अलग अलग हैं। मैं बताना चाहूँगा कि

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

हमारे देश में ऐसा कौनसा प्रोविन्स है जहां न्याय बिना पैसे के दिया जाता है या हमारे यहां से कम शुल्क लिया जाता है। अभी एक जगह के चीफ जस्टिस थे उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि निःशुल्क दिया जाना आवश्यक है, पर हमारे देश की परिस्थिति ऐसी नहीं। हमारे यहां योजनाएं चल रही हैं, उनके लिए पैसे की आवश्यकता है। जब दूसरे आमदनी के जरिये प्राप्त हो जायेंगे तब इस पर विचार किया जायेगा कि न्याय शुल्क घटाया जाय या बिल्कुल नहीं रखा जाय। पर अभी तो देखना है कि प्रस्तावक महोदय ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने का आधार बताया है कि रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी से इतनी आमदनी होती है कि न्याय शुल्क बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी न्याय से ताल्लुक नहीं रखतीं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसे मेरे माननीय मित्र ने समझने की कोशिश नहीं की है।

डिक्लेरेटरी सूट पर फीस के बारे में सिलेक्ट कमेटी में पूरी तरह से विचार किया गया था और गरीबों को न्याय सस्ता मिले, इस पर विचार किया। इसीलिए १,०००) रु. से कम के दावे हैं उन पर कोर्ट फीस कम की। पर जो डिक्लेरेशन कराना चाहते हैं, पराई प्रोपर्टी का मालिक बनना चाहते हैं, दूसरे की कमाई पर, दूसरे की सम्पति पर डिक्लेरेशन कराना चाहते हैं उस डिक्लेरेशन में उसे १० हजार की या ५ हजार की प्रोपर्टी मिलती है तो उसके लिए यह ५०) रुपया फीस कोई ज्यादा नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी): २००) रु. की ही प्रोपर्टी हो तो क्या होगा ?

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : कर्ज होगा तो क्या होगा ? ५०) रुपये और खर्च हो जायेगा ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मेरे लायक दोस्त सुन तो लें। अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि मुझे इस तरह डिस्टर्ब....

श्री अध्यक्ष : कानून का मामला है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : २०० रु० की प्रोपर्टी वाले को ५०) रुपया फीस का देना पड़ेगा, यह बात ठीक है। हमने सिलेक्ट कमेटी में इस पर बहस की, अच्छी तरह विचार किया गया लेकिन यह देखा गया कि स्माल कॉज कोर्ट में ढाई सौ से ५००) तक के दावे सुनते हैं तो ७॥ रुपया सैकड़ा फीस ली जाती है। तो जिसकी अपील नहीं है वहां ७॥ पर्सेन्ट लेते हैं तो सिविल कोर्ट में डिक्लेरेशन को, जिसकी सेकिन्ड अपील होती है उसके लिए कहें कि फीस कम कर देनी चाहिए, यह समझ में नहीं आता। स्माल कॉज कोर्ट की अपील नहीं होती, इसकी अपील दर अपील होती है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसकी अलग कोर्ट फीस ली जाती है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : ५) रु० लिये जाते हैं। स्माल कॉजेज़ कोर्ट की भी अपील रख देते। इसके लिए अनेकों बातें सोचनी पड़ती हैं, इसलिए अपील जुरिस्डिक्शन रखा है। प्रोपर्टी के डिक्लेरेशन का मामला है, दूसरे की सम्पत्ति अपने नाम डिक्लेरेशन कराना चाहता है उसके लिए

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

इसमें वृद्धि की गई है और यह हमारे यहां ही नहीं, बल्कि दूसरी कई स्टेटों में देखें तो मालूम होगा........

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व) : डिक्लेरेशन के सूट्स कौन कौन सी कोर्ट में होते हैं, यह देखना है।

एक माननीय सदस्य : आप स्माल कॉज़ कोर्ट में ही प्रेक्टिस करते हैं। माननीय मित्र एडवोकेट हैं लेकिन इसको समझ नहीं सकते।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैंने यह कहा है कि स्मॉल कॉज़जे कोर्ट के जजमेंट की अपीलें नहीं होती हैं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : डिक्लेरेशन में हजारों के काम होते हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि इस छोटे से डिक्लेरेशन में हजारों रुपयों के मामले तय करा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि ५०) रु० फीस के जो रखे हैं वह उचित है। क्योंकि वह तो हजारों की प्रोपर्टी का मालिक बनना चाहता है। यहां पर कोई गरीबों के साथ अन्याय नहीं होगा। यह तो कोर्ट फीस उन्हीं से ली जावेगी जो गोद बनना चाहते हैं या किसी की प्रोपर्टी के मालिक बनना चाहेंगे। इसलिए जो सम्पत्ति लेगा उसको भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इसलिए जो रखा गया है वह सोच समझ कर रखा गया है और इसको वापिस सिलेक्ट कमेटी में भेजने की जरूरत नहीं है।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि मैंने इस पर एक मेरा नोट ऑफ डिसेन्ट रखा है। वह इंग्लिश वर्शन में तो है और हिन्दी में है नहीं। रिपोर्ट का नोट ऑफ डिसेन्ट एक पार्ट है इसलिए वह आना चाहिये। यदि मेरे नोट ऑफ डिसेन्ट के बारे में यह कहा जावे कि वह हिन्दी में था तो बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य श्री भीमसेन का नोट ऑफ डिसेन्ट हिन्दी वर्शन में नहीं है। उसका ट्रान्सलेशन हिन्दी में होना चाहिये। इसलिये यह रिपोर्ट इन्कम्पलीट है।

श्री अध्यक्ष : आपका नोट ऑफ डिसेन्ट है वह हिन्दी की कॉपी में नहीं है। अंग्रेजी की कॉपी में तो है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : यह तो सहूलियत के लिए करते हैं। नियम के अनुसार जिज भाषा में समिति ने रिपोर्ट लिखी हो उसमें ही आना चाहिये।

श्री तनसिंह : If it is in both, what is the harm ? इसमें हर्ज ही क्या है ? हिन्दी में रखना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : अगर समिति की रिपोर्ट हिन्दी में नहीं है और अंग्रेजी में है तो उसका अंग्रेजी में होना आवश्यक है। सहूलियत के लिये हिन्दी कर दी गई है। कॉन्स्टीट्यूशनली यह ठीक है।

श्री तनसिंह : तो हमारा एतराज रद्दी खाते में ही गया ?

श्री अध्यक्ष : आपके पोइन्ट का उत्तर माननीय सदस्य ने दिया है। कॉन्स्टीच्यूशनल पोजीशन यह है कि जिस भाषा में समिति ने रिपोर्ट लिखी थी उसमें आना चाहिये उसमें आ गया है। इसलिये माननीय सदस्य को कोई असुविधा नहीं हुई है केवल इसलिये कि आपका नोट हिन्दी में नहीं छप सका।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : अध्यक्ष महोदय, धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि इस बिल को वापिस सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जावे उसका मैं समर्थन करता हूं। मेरे समर्थन का कारण यह है कि इसमें जैसा अभी धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि २१ में से १७ एडवोकेट हैं ....

एक माननीय सदस्य : २४ सदस्यों में से १७ एडवोकेट हैं।

श्री सम्पतराज जैन : २४ में से १७ एडवोकेट थे उन्होंने यह सोच–समझ कर ही किया होगा। लेकिन यह नहीं कह सकते कि उन्होंने जनता के विचारों को ध्यान में रखा होगा।

अभी किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने भाषण के दौरान में बताया कि हमें विकास के कार्य करने हैं इसलिये धन की अत्यधिक आवश्यकता है। इससे यह पाया जाता है कि हम न्याय से आमदनी प्राप्त करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि न्याय एक ऐसी वस्तु है जिसको प्रत्येक व्यक्ति सस्ता और सुलभ प्राप्त कर सके। अगर आप इस प्रकार से ज्यादा कोर्ट फीस रखेंगे तो वह सस्ता न्याय किस प्रकार से उपलब्ध कर सकेगा जिसको प्राप्त करने का उसको अधिकार है ?

मैं यह कहूंगा कि राज्य में काफी तादाद में करों के रूप में पैसा आता है। म्युनिसिपैलिटी और लोकल बॉडीज़ भी अपना काफी कर बढ़ा रही हैं और भी कई कर लग रहे हैं। अगर हम न्याय पर भी अधिक शुल्क लगा कर न्याय से भी पैसा प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं यह कहूंगा कि जो गरीब लोग हैं, जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं अगर उनके साथ अन्याय कोई करेगा तो मैं समझता हूं कि वे न्यायालयों में इन्साफ के लिये नहीं जा सकेंगे और उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि न्याय विभाग से पहले ही काफी आमदनी प्राप्त हो रही है और इसको और ज्यादा बढ़ाना अच्छी बात नहीं होगी। मैंने कुछ दिन पहले सदन के सामने सुप्रीम कोर्ट के बड़े जज श्री महाजनी ने जो राय दी थी उसका जिक्र किया। जब वे जोधपुर के दौरे पर जा रहे थे उस समय उन्होंने बताया था कि राज्य सरकार न्याय विभाग से ज्यादा आय प्राप्त करना चाहती है। एक राज्य में ८० लाख रुपये न्याय विभाग का खर्चा निकालने के बाद बचत रहती है। उन्होंने उस राज्य का नाम तो नहीं लिया, मगर शायद वह राज्य मध्य-प्रदेश था। उन्होंने कहा कि जनता को न्याय सस्ता और सुलभ मिलना चाहिये। जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यह कहते हैं कि न्याय हमको सस्ता और सुलभ, जल्दी से जल्दी प्रदान करना चाहिये; यह मैं नहीं कहता, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं। सिलेक्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है उससे न्याय विभाग से और

(श्री सम्पतराज जैन)

अधिक आमदनी बढ़ेगी और न्याय को बेच कर पैसा वसूल करेंगे। न्याय को नहीं बेचा जाना चाहिये और पैसा वसूल नहीं किया जाना चाहिये। काफी तादाद में पैसा खर्च होता है और साधारण आदमी को राहत नहीं मिल सकती और कोर्ट फीस ज्यादा होने से गरीब लोग कोर्ट में नहीं जा सकेंगे। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अदालतों का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो यह बढ़ा हुआ खर्चा कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे? उनको पेशियों पर जाना पड़ता है और वे ट्रान्सपोर्ट का खर्चा सहन नहीं कर पाते और इसका नतीजा यह होगा कि वे न्याय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। मौजूदा जो स्थिति है उससे भी अधिक खराब स्थिति उनकी हो जाएगी। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि राज्य की आय को न्याय बेच कर नहीं बढ़ाना चाहिये।

मैं यह निवेदन करूंगा कि प्रवर समिति ने जो रिपोर्ट दी है उसमें बहुत सी बातों को नजर अन्दाज नहीं रखा गया है। इसलिये इसको सिलेक्ट कमेटी में वापिस भेजा जावे। मैं खण्ड ७ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जिसमें जमीन का मूल में २० गुणा था और अब २५ गुणा रखा है। हमने जमीन का मुआवजा देते समय बारानी का १५ गुणा रेन्ट से और चाही का रेन्ट से २० गुणा तय किया है। इतना ही नहीं, जो बांधों और नहरों से भी निकलती है उसका भी उसी तरह बारानी का १५ गुणा और चाही का २० गुणा। अब आपने यहां पर २५ गुणा रख दिया है। यह तो सरासर अन्याय होगा। जब हम एक दफा कानून बना कर तय कर चुके कि बारानी का १५ गुणा और चाही का २० गुणा रुपया देंगे तो फिर राज्य की आय अधिक वसूल करने और अधिक कोर्ट फीस वसूल करने के लिये २५ गुणा या ३० गुणा कीमत आंकते हैं तो यह सरासर अन्याय होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस पर प्रवर समिति को पुनः दुबारा विचार करना चाहिये। २५ गुणा वाद का मूल्य निर्धारित करने का रखा गया है वह उचित नहीं है।

उसके आगे मैं निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, पहले कोई आदमी किसी कोर्ट के अन्दर दावा लेकर जाता था तो वहां पर केवल दावा दायर करने वाले से ही कोर्ट फीस ली जाती थी। मान लीजिये कि एक व्यक्ति ने पांच सौ रुपये का दावा दायर किया किसी व्यक्ति पर। अमूमन दावे या तो बड़े लोग करते हैं और उनको छोड़ कर काश्तकार दावे करते हैं। पहले दावा करने वाले से कोर्ट फीस दावा दायर करने की ली जाती थी। जब डिक्री होती थी तो मुद्दायले पर उस कोर्ट फीस आदि का खर्चा अदा करने का भार रहता था। लेकिन इस बिल की अनुसूची १ में हम यह व्यवस्था करने जा रहे हैं कि दावा दायर करने से तो फीस ली जावेगी ही लेकिन उसके साथ साथ जो जबाब दावा पेश करेगा, जिस पर दावा दायर किया गया है, वह अपना जबाब दावा पेश करेगा तो उस पर भी उसको कोर्ट फीस दाखिल करनी पड़ेगी। जो मुजरायी पेश करेगा उससे भी कोर्ट फीस लेने का रखा है। दावा दायर करे उससे कोर्ट फीस ली जाय, यह तो वाजिब हो सकता है लेकिन जबाब दावा पेश करने वाले से कहा जाय कि अमुक व्यक्ति ने तेरे ऊपर ५००) का दावा किया है, ४००) वह मन्जूर कर

(श्री सम्पतराज जैन)

लेता है तो उस पर कोर्ट फीस लगेगी और इस प्रकार से डबल कोर्ट फीस उस व्यक्ति से वसूल कर ली जाय यह अन्यायप्रद होगा।

आपको यदि कोर्ट फीस से अधिक आमदनी करनी है तो कोर्ट फीस बढ़ा दीजिये। लेकिन यह नहीं कह सकते कि दावा दायर करने वाले से और जिस पर दावा दायर किया है उससे भी कोर्ट फीस ली जाय। यह नहीं हो सकता। दोनों तरफ से गरीब को मारना उचित नहीं कहा जा सकता है और यह न्यायप्रद बात नहीं है। यह दोहरी मार है! जनता से यह बर्दाश्त नहीं होगी। साहूकार ने एक हजार रुपये का दावा किया है, काश्तकार कहेगा कि ८००) तो दे दिये। ८००) की कोर्ट फीस और एक हजार की फिर कोर्ट फीस, इस प्रकार से डबल कोर्ट फीस उससे वसूल करना अनुचित है, नावाजिब है और किसी हालत में यह वसूल नहीं की जानी चाहिये। प्रवर समिति ने यह किया है, यह अनुचित है। दावा दायर करने वाले का खर्चा होगा, डिक्री होगी उसकी कोर्ट फीस का खर्चा भी मुद्दायले पर और मुद्दायले ने जबाब दावा पेश किया है उस पर भी कोर्ट फीस। इस तरह से डबल फीस उस पर हो जाती है। जो मुद्दायला पहले ही कर्ज से दबा हुआ है वह इस प्रकार डबल कोर्ट फीस से और दब जायेगा। इस प्रकार इसमें कई खामियां हैं। इसलिए इसको प्रवर समिति में भेजना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : कोर्ट फीस के सम्बन्ध में प्रवर समिति ने रिपोर्ट सदन में रखी है। प्रवर समिति ने इतना ही मात्र ख्याल रखा है कि सरकार किस प्रकार से कोर्ट फीस को बढ़ाये और जिस प्रकार से दूसरा दृष्टिकोण इसमें रखा जाना चाहिये था वह नहीं रखा गया है कि किस किस प्रकार से आज के जमाने में जनता को न्याय सुलभ मिले और सस्ता मिले। हमने हमारे मुल्क में गणराज्य की घोषणा की है। उसके साथ साथ इस बात की भी घोषणा की है कि हर व्यक्ति को न्याय सुलभ और सस्ता मिले और वह व्यक्ति न्याय के दरवाजे पर पहुंच कर अपनी बात कह सके और न्याय प्राप्त कर सके। उस मूलभूत बात पर विचार करना चाहिये। एक ओर संविधान के अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देते हैं, कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को न्याय के दरवाजे तक पहुंचने का अधिकार है और यह चाहते हैं कि उसको जितना न्याय सुलभ और सस्ता मिल सके वह मिले। दूसरी ओर इस प्रकार के बिलों के द्वारा इस प्रकार रखते हैं कि यदि न्याय प्राप्त करना है तो अनिवार्य रूप से उसको इतनी कोर्ट फीस देनी होगी, नहीं तो वह न्याय नहीं प्राप्त कर सकता। संविधान की दृष्टि से ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत नजर आती हैं, जो न्यायसंगत नहीं कही जा सकतीं। मुल्क की आजादी के बाद पुरानी परम्परा और व्यवस्था जिस प्रकार से चलती रही है उसके आधार पर हम हमेशा सोचते रहे हैं। जहां यह मकसद है कि राज्य के खजाने में पैसा चाहिये वहां यह भी मकसद होना चाहिये कि पैसा इसलिए चाहिये कि सस्ता न्याय दे सकें, लोगों को सुविधा दे सकें।

एक ओर तो सुविधा की बात कहते हैं और दूसरी ओर जो सुविधा उस व्यक्ति को मिलनी चाहिये उसको प्राप्त करने के लिए इतना पैसा खर्च करना पड़े और अनिवार्य

(श्री मुरलीधर व्यास)

रूप से उसको खर्च करना पड़े और वह भार स्वरूप हो जाय तो वह न्याय न्याय नहीं कहा जा सकता। इस मूल बात पर हमको सोचना चाहिये। कोर्ट फीस सम्बन्धी कानूनों को हमको एबोलिश ही कर देना चाहिये। इस प्रकार के कानून तो रखने ही नहीं चाहिये। पुरानी परम्परा के आधार पर यह कार्य चल रहा है। ठीक है कि एक व्यक्ति यदि वकील के पास न्याय लेने के लिए जाय तो वह कह सकता है कि मुझे इतना पैसा दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन सरकार खुद कहती है कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, न्याय तुमको मिलना चाहिये, लेकिन उसके साथ साथ यह बात भी कहती है कि इतना पैसा तो तुमको अनिवार्य रूप से देना ही पड़ेगा। उसके सिवाय तुमको न्याय नहीं मिलेगा। तो मैं तो कहता हूँ कि यह तो वकीलों से भी गिरा हुआ कार्य हो जाता है। वकील तो उसकी मदद के लिए उसके पेशे की दृष्टि से मांगता है। सरकार तो कल्याणकारी काम करना चाहती है, जनता को न्याय दिलाना चाहती है, सुविधा देना चाहती है....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व) : वकीलों के लिए ख्वामख्वाह एतराज कर रहे हैं। वकील किसी को मजबूर नहीं करता है कि इतना पैसा तो दो ही।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं आपकी ही बात का समर्थन कर रहा हूँ। वकील बाध्य नहीं करता है। वकीलों के पास जो आदमी जाते हैं वे उनको पैसा देते हैं। लेकिन सरकार तो कहती है कि तुमको न्याय प्राप्त करना है तो तुमको अनिवार्य रूप से इतना पैसा कोर्ट फीस का देना ही पड़ेगा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): वह भी अपनी पंचायत समिति से फैसला करा ले।

श्री मुरलीधर व्यास : यह भी एक पंचायत है। हमारी सरकार क्या है? सरकार एक बड़ी पंचायत है और इसको पंचायत के रूप में ही लेना चाहिये। चाहे गांव की पंचायत हो या जिले की पंचायत हो, यह एक बड़े राज्य की पंचायत है। पंचायत परमेश्वर होती है और परमेश्वर के लिए समान दृष्टिकोण होता है। लेकिन सरकार का आज समान दृष्टिकोण नहीं है। समाजवादी दृष्टिकोण को लीजिये। जो व्यक्ति साधन सम्पन्न हैं उनका पैसा सरकार के खजाने में आना चाहिये, उससे सरकार अधिक पैसा ले तब तो माना जा सकता है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : गरीब के लिए कोर्ट फीस माफ है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : 'Pauper' शब्द है।

श्री मुरलीधर व्यास : उसमें और इसमें बड़ा फर्क है। कल मन्त्री महोदय कह रहे थे कि सरकार इनकम टैक्स लेना चाहती है। ठीक बात है, आमदनी ज्यादा बढ़ती है तो इनकम टैक्स लेना चाहिये। ऐसा क्यों नहीं कानून में परिवर्तन करते हैं जो साधन विहीन हैं, जिनको हम वास्तविक रूप में सस्ता न्याय देना चाहते हैं, संविधान में भी प्रावधान है कि सस्ता और सुलभ न्याय प्रत्येक नागरिक को मिल सके और उसकी स्थिति नहीं है तो

Page No 46

(श्री मुरलीधर व्यास)

निश्चित रूप से उस व्यक्ति से कोर्ट फीस नहीं लेंगे । ऐसा कोई कानून-नई नीति का रखना चाहिये । इसमें वह नहीं है । हम तो केवल लेना जानते हैं, देना कुछ नहीं । एक बड़ी स्थिति आज यह हो गई है कि सरकार टैक्स लेना ही जानती है, किसलिए लेती है और उससे जनता को वास्तव में क्या देना है, यह कुछ नहीं । देने के लिए जनता को कुछ नहीं है । सस्ता न्याय बनाने का सवाल है, न्याय के दृष्टिकोण से इसको सोचें और ऐसे व्यक्ति को न्याय मिल सके उसके लिए परिवर्तन करें ताकि कुछ न कुछ उसको दे सकें । लेने के लिए सब कुछ, लेकिन देने के लिए कुछ नहीं है । सरकार की हर चीज में लेने की प्रवृत्ति है और वह यह प्रवृत्ति अपनाती भी जा रही है इस नाम से, गरीबों की भलाई के नाम से, योजनाओं के नाम से, और नाना प्रकार की बातें कह कर सरकार केवल लेना ही चाहती है; यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है । कल्याणकारी राज्य में तो ज्यादा से ज्यादा देने की प्रवृत्ति प्रारम्भ करनी चाहिये और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा मिल सके, जो कि मिली नहीं है, इसको सामने रखना चाहिये । इस दृष्टिकोण को अब तक अलग रख दिया गया है ।

जब न्याय का प्रश्न आता है तो कहा जाता है कि हाईकोर्ट की बैंच क्यों हटा दी, कुछ नहीं, उसके लिए नाना प्रकार की बातें करते हैं । सरकार को सारे अधिकार हैं, अपने आप मानते हैं कि परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि न्याय सस्ता मिले । कैसे मिलेगा ? यदि उस ओर परिवर्तन करने के लिए कोई क्रान्तिकारी कदम नहीं उठाते हैं तो उससे मालूम होता है कि जो मूलभूत उद्देश्य संविधान में रखा गया है कि हर व्यक्ति को सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त होना चाहिये उस ओर कोई ध्यान नहीं है और केवल एक मात्र पैसा लेने की ही प्रवृत्ति है । बम्बई, कलकत्ता प्रेसिडेन्सीज़ में कोई कोर्ट फीस नहीं ली जाती है । दूसरे बड़े २ स्थानों में भी नहीं ली जाती है । राजस्थान में डीसेन्ट्रलाइज़ेशन किया है, नये नये प्रावधान किये हैं । लोगों को जो कुछ मिलना है वह आगे मिलेगा, लेकिन जो चीज मिलने वाली है उसकी ओर तो आप कोई क्रान्तिकारी कदम ही नहीं उठाते । इसलिए मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कोर्ट फीस कानून को ही एबोलिश कर देना चाहिये और आम लोगों की भलाई के दृष्टिकोण से, जनता के हित के दृष्टिकोण से कोई नया कदम अपनाना चाहिये ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान न्यायालय शुल्क तथा वाद मूल्य निर्धारण विधेयक, जो प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित है हमारे सामने प्रस्तुत है उस पर माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं । इस विधेयक का उद्देश्य यह बताया गया था कि हमारे राज्य के अन्दर भिन्न भिन्न प्रकार की कोर्ट फीस के नियम लागू थे । फाइनेन्स इन्क्वायरी कमीशन ने सुझाव दिया कि इसके लिए एक एकीकृत कानून बनाया जाय जिससे सारी अड़चनें असुविधायें भिन्न भिन्न अदालतों के अन्दर अलग अलग कोर्ट फीस होने के कारण उठानी पड़ती हैं वे दूर हो सकें । उसको दूर करने के निमित्त हो यह कानून लाया

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

गया है । लेकिन जिस प्रकार का विधेयक लाया गया है, जैसा कि इस साल के बजट में संकेत है हमारे राज्य के अन्दर योजना के कारण रुपये की अधिक मांग होती जा रही है। अधिक आमदनी हो, उसके लिये नये नये साधन जुटाने की आवश्यकता है। नये साधनों के अन्दर प्रमुख रूप से यह पाया गया है कि जितने भी न्यायालय हैं, जहां जनता को दावे करने पड़ते हैं उन पर सरकार द्वारा शुल्क बढ़ा देने के कारण सरकार को आमदनी होगी और इस तरह से जो आमदनी होगी उससे हम योजना के कार्य को सफल करने में सफल होंगे ।

अध्यक्ष महोदय, न्याय एक इस प्रकार की चीज है जिसकी पवित्रता के सम्बन्ध में किसी की दो राय नहीं हो सकती । जिस चीज को हम सब पवित्र मानते हैं, संविधान में इस बात की शक्ति दी है कि न्याय सस्ता और सुलभ हो, इसलिये हमने इस प्रकार की व्यवस्था की । जो छोटे छोटे गांव हैं उनके अन्दर लोग फैले हुए हैं वे अदालतों में आते हैं तो उन पर खर्चा बहुत पड़ता है वकीलों को भी फीस के रूप में पैसा देना पड़ता है । इसलिये हमने उनके लिये पंचायतों और न्याय पंचायतों का प्रावधान किया है, यह इसलिये कि उनको न्याय सस्ता और सुलभ हो । लेकिन जो विधेयक हमारे समक्ष है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो कदम हमने उठाया है उसको एक तरह से समाप्त कर देता है । न्याय पंचायतों में केवल ढाई सौ रुपये तक के मामले सुने जाते हैं । अगर उससे ज्यादा के मामले हैं तो उसको अदालतों का शिकार होना होगा । इसमें एक हजार से ऊपर के जो मुकदमे हैं उनमें रियायत की है । मैं पूछना चाहता हूँ कि एक हजार से ऊपर के दावे होते कितने हैं ? इस प्रकार की जो सीमा हमने बांध दी है वह ठीक नहीं है । अगर हम ढाई हजार से ऊपर और हजार रुपये से नीचे के मामलों का हिसाब लगावें तो ऊपर के मामले बहुत आते हैं । उसके अन्दर गरीब आदमियों को रियायत मिली है । अभी जो वाद-विवाद बजट पर हो रहा था उस समय सरकार की ओर से कहा गया था कि राजस्थान के अन्दर पूंजीपतियों की संख्या बहुत कम है, राजाओं की, जागीरदारों की संख्या कम है, यहां बड़े बड़े शरमायेदार बहुत कम हैं, अतः बड़े बड़े लोगों पर टैक्स लगाने से ही आमदनी हो सकती है, यह बात नहीं है। मेरा उनसे निवेदन है कि वहां भी यही उदाहरण लागू करें। इससे स्पष्ट दिखाई देता है कि बड़े दावे करने वाले एक लाख, बीस हजार, दस हजार पांच हजार के बहुत कम होते हैं लेकिन एक हजार से लेकर पांच हजार तक दावे देखेंगे तो इस प्रकार के दावों की संख्या बहुत अधिक होती है । इनको रियायत देने की आवश्यकता थी । जो सीमा सिलेक्ट कमेटी ने रखी एक हजार तक की अगर उसको पांच हजार तक कर दिया जाता तो बहुत उचित रहता । इससे वास्तव में जो गरीब लोग हैं उनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है । सरकार जहां यह कहती है कि हम न्याय को सस्ता करेंगे वहां हम पांच हजार तक के दावों को इसमें ले लेते हैं तो गरीबों को फायदा मिल सकता है ।

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से छोटे छोटे मामलों में हमें जो दिक्कतें होती हैं वे प्रशासनिक अधिकारी होते है उनके पास ज्यादा मामले जाते हैं और इससे अब क्या

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

होगा कि साधारण सी शिकायत करने पर भी कलेक्टर, एस.डी.एम. के पास जाने के लिये, शिकायत–पत्र पेश करने के लिये फीस देनी पड़ेगी। वहां पर हमने आठ आने का प्रोविजन कर दिया। इसको इस आधार पर करते हैं कि इससे कलेक्टोरेट का खर्चा निकल जायेगा। मैं इसको मान नहीं सकता । कलेक्टोरेट का खर्चा नहीं निकल सकता इससे क्या होगा कि छोटे छोटे मामलों में दरख्वास्तें देनी पड़ती हैं, पंचायत में किसी प्रकार का झगड़ा हो गया, पुलिस की कोई शिकायत हो गई इसके लिये प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाने की आवश्यकता होती है। प्रशासनिक अधिकारी के पास शिकायत पेश करने के लिये हम फीस का प्रोविजन करते हैं वह देनी पड़ेगी। इससे सरकार को बहुत लाभ हो जायेगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन इससे बहुत लोगों को असुविधा हो जायेगी। जहां हम प्रशासनिक मामलों में जनता को राहत देना चाहते हैं वहां हमें इस प्रकार की फीस नहीं रखनी चाहिये, इससे जनता को राहत नहीं मिलेगी। एस. डी. एम. और कलेक्टर के पास छोटे छोटे लोगों की शिकायत जाती है। उन शिकायत पत्रों पर आठ आने की फीस निर्धारित की है वह नहीं रखी जाय। इससे ज्यादा से ज्यादा लाख, दो लाख रुपये की आमदनी हो सकती है लेकिन इससे जनता को बहुत बड़ी असुविधा होगी।

इसके साथ ही किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि डिक्लेरेटरी सूट्स पर जो चार्ज बढ़ाया है उसको उचित बताया है। डिक्लेरेटरी सूट्स दूसरे के लिये आवश्यक हो, यही बात नहीं है लेकिन यह तो स्वयं की जायदाद के लिये भी हो सकता है। दूसरे लोगों ने मान लीजिये किसी की जायदाद

(१. म. प.)

पर कब्जा कर लिया, उसके लिये वह भी डिक्लेरेटरी सूट फाइल करता है, उस वक्त भी उसको उतनी ही फीस देनी पड़ेगी।

इसके अलावा इन्जक्शन्स के मामले हैं वे भी बहुत थोड़े मामले आते हैं। मान लीजिये किसी ने किसी की जमीन पर नाली निकाल ली, मोरी निकाल ली, इस प्रकार के जो मामले आते हैं वे बड़ी मात्रा के अन्दर आते हैं और बड़ी मात्रा में आने के कारण जो मामले ऐसे हैं जो गरीब लेकर आते हैं वे बिल्कुल गरीब होते हैं और इसलिये आवश्यक था कि उनको राहत देते।

हाई कोर्ट में बड़े बड़े लोग लखपति करोड़-पति जाते हैं। छोटों की तो पहली, दूसरी अपील में जज के पास ही पहुंच होती है। तो उन बड़े लोगों पर पैसा बढ़ावें तो आपत्ति नहीं। पर आज तो प्रशासनिक मशीनरी से लड़ने के लिये लोगों को हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। हाई कोर्ट की रिपोर्ट मंगा कर देखा जावे तो मालूम हो जावेगा कि कितनी रिट पिटीशनें सरकार के विरूद्ध होती हैं। तो कम से कम इन रिट पिटीशनों के लिये फीस ज्यादा नहीं करनी चाहिये। इसके स्थान पर न्याय सस्ता मिले, इस दृष्टि से जरूरी है कि रिट की फीस कम करें।

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था इसलिये उठाया गया था वह

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

मामला। इसलिये हाई कोर्ट जयपुर में लाना चाहिये कि हाई कोर्ट में रिट पेश करने में गरीब लोगों को और उन साधारण स्थिति के लोगों को राहत मिले। प्रशासनिक कारणों से जो सरकारी हस्तक्षेप होता है हर मामलों में, पंचायतों के चुनावों में भी, म्युनिसिपैलिटी के चुनावों में भी और भी अनेक मामलों में तो उनकी सहूलियत के लिये हाई कोर्ट जयपुर में आना चाहिये, वर्ना तो लखपति, करोड़पति तो कहीं भी जा सकते हैं। वे तो सर्वोच्च न्यायालय में दिल्ली तक भी जा सकते हैं। तो न्याय सस्ता मिले, यह सवाल है प्रमुख रूप से हमारे सामने। सरकारी मशीनरी के हस्तक्षेप से लड़ने का सवाल अधिक आता है तो यह और महत्व का प्रश्न बन जाता है। किसी को किसी मामले में, किसी को किसी मामले में दरख्वास्त देनी पड़ती है। तो अगर इन मामलों में भी पैसा लेना शुरू कर दिया तो न्याय सस्ता करने की हमारी संविधान की मंशा के विपरीत हम यह काम करने जा रहे हैं।

अब एक प्रश्न और है। सरकार इससे कोई पांच, दस, बीस लाख रुपया अगर वसूल करने की सोच रही हो तो उसे ऐसा कहना चाहिये। इस पर सदन विचार कर सकता है और अमुक तबके पर जो सक्षम हैं देने में उस पर भार भी पड़े तो हर्ज नहीं। पर सरकार यह कह कर नहीं आवे यहां कि केवल उसे तो पैसा बढ़ाना है। अब आप यह भी नहीं बताते कि वास्तव में आप कितना बढ़ाना चाहते हैं। १.३५ करोड़ के टैक्स बजट में आपने बढ़ाये। पर बाकी की घाटे की रकम कहां से आवेगी, यह आपको चिन्ता लगी हुई है। तो बजट में यह एक लेकुना आपने छोड़ दिया है। उस घाटे को पूरा करने के लिये आप अनापशनाप तरीकों से पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हैं और इस फीस बढ़ाने के पीछे भी यही छिपी हुई मन्शा है। मन्त्री महोदय कहेंगे कि केवल कानून को सरल किया गया है। केवल दो–चार लाख की आमदनी होगी। पर सही बात यह है कि बजट के अनकवर्ड डिप्रेशन को कवर करने के लिये इस प्रकार का प्रावधान लाया जा रहा है। यह अनकवर्ड डिप्रेशन बहुत ज्यादा है। फिर भी अगर यह बात है तो स्पष्ट तौर से सदन में कहना चाहिये। स्पष्ट मंशा लेकर अगर सरकार सदन के सामने आवे तो सदन विचार भी कर सकता है। आखिर सरकार हमारी चलती है और वह घाटे में अगर चलती है तो यह हमारे लिये भी शर्म की बात है। वह स्पष्ट कहे कि कोर्ट फीस से हमें दस लाख रुपया चाहिये। इस पर बहादुरसिंहजी ने संशोधन प्रस्ताव रखा है प्रवर समिति में भेजने का, तो प्रवर समिति से कहा जा सकता है कि वह प्रावधान करे कि यह दस लाख रुपया किस तरह से आ सकता है। रास्ते तलाश कर सकती है। तो सरकार को खुले हाथ आना चाहिये, सामने अगर उसकी नीयत साफ है तो। पर चूंकि सरकार खुले हाथ स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रही है इसलिये लगता है कि उसकी नीयत खराब है। वह अधिक मात्रा में इससे धन बटोरना चाहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह स्पष्ट रूप से यह घोषणा करे कि इतना रुपया हम बटोरना चाहते हैं। स्पष्ट बात सामने आने पर ही सदस्य कह सकते हैं कि कितना इसे घटाया–बढ़ाया जा सकता है। यह बात कह कर, बहादुरसिंहजी के प्रस्ताव को स्वीकार करना

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

चाहिये, यह मेरा निवेदन है, जिससे सदन स्पष्ट रूप से इस पर विचार कर सके ।

श्री किशनसिंह बटाटड़ (लक्ष्मणगढ़): मैं भी यह मानता हूँ कि हम ड्यूटी ज्यादा बढ़ा रहे हैं और इसमें माननीय मन्त्रीजी और राज्य सरकार की नीयत साफ नहीं है । मेरा ख्याल है, उधर जो माननीय सदस्य बैठे हैं उन्होंने ठीक बात ही रखी है ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : इधर तो कांग्रेसी बैठे हैं ।

श्री किशनसिंह बटाटड़ : आगे और बैठे हैं । अब इसमें एक बात और देखनी थी कि वकील कितनी फीस लेता है । उसकी कोई लिमिट नहीं है, मनमानी फीस वह ले लेता है । तो इसके लिये भी विधेयक आना चाहिये, ताकि वकील भी नियन्त्रण में आ सके ।

फिर अदालतों के मामलों में यह होता है कि एक बार जो किसी मामले में अदालत में चला गया वह अगर जीत कर भी निकलता है तो बराबर हो जाता है क्योंकि वकील के चंगुल में फंसने के बाद वह फीस ही फीस में दब जाता है । इतना ही कह कर मुझे बैठना है ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिलेक्ट कमेटी में राजस्थान न्यायालय शुल्क तथा वाद मूल्य निर्धारण विधेयक, १९६० के सम्बन्ध में जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको एक दूसरी प्रवर समिति के समक्ष विचार करने हेतु भेजा जावे, मैं इसका समर्थन करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव का समर्थन करने से पूर्व मैं सबसे पहले सदन का ध्यान इस विधेयक को प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी जो सरकार ने उद्देश्य बताये हैं उनकी ओर आकर्षित करना चाहूंगा । मैं ऐसा समझता हूँ कि जो उद्देश्य इस विधेयक को पारित करने के सम्बन्ध में सरकार ने बताये है उनके विपरीत इस विधेयक के अन्दर कार्यवाही की गई है । जैसा कि इसके पेज ४९ के ऊपर जहां उद्देश्य तथा कारणों का विवरण दिया गया है उसमें इस बात का उल्लेख आया है कि इस कानून को बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई । उस आवश्यकता की ओर सदन का ध्यान ज्यादा आकर्षित कराया गया है । उसमें मुख्य रूप से फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी की सिफारिशों की ओर सरकार ने कार्यवाही करने की चेष्टा की है । फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी ने अपनी सिफारिशों के अन्दर राज्य सरकार को यह सलाह दी थी कि आज जिस प्रकार की व्यवस्था है वह व्यवस्था एक कन्सोलिडेटेड फॉर्म में नहीं है, जिस तरह से बताया है ।

वित्त जांच समिति की सिफारिश के पालन करने हेतु राजस्थान राज्य के लिए इस विषय पर एक स्वयं पर्याप्त विधि का होना आवश्यक है । इसलिए यह विधेयक बनाया गया है । इस विधेयक का अभिप्राय राजस्थान राज्य में न्यायालय शुल्क और वादों के मूल्यन के सम्बन्ध में विधि का पुनः निरीक्षण तथा एकीकरण करना है ।

(श्री भैरोंसिंह)

अब प्रश्न यह आता है कि जो सरकार ने इस विधेयक को पास कराने में अपने उद्देश्य तय किये थे क्या उन उद्देश्यों के अनुरूप ही इस पर कार्यवाही की गई है ? मैं ऐसा समझता हूँ कि सरकार का जहां उद्देश्य था कि पुनः निरीक्षण करने के पश्चात कोर्ट फीस के मस्ले को कन्सोलीडेट किया जावे उस स्थान पर हमारी सरकार ने एक ओर इसे कान्सोलीडेट करने की व्यवस्था की है लेकिन साथ ही साथ इस बात की भी चेष्टा की है और इस प्रकार की व्यवस्था के रूप में संशोधन स्वीकार किये गये हैं, बिल के अन्दर इस प्रकार के प्रावधान भी रखे गये हैं कि कोर्ट फीस जो अब तक राज्य सरकार कई मसलों पर नहीं लगाती थी वह लगाई जाये और साथ में जिनमें राज्य सरकार की दृष्टि से फीस कम थी उस फीस को बढ़ाया भी जाये। मैं ऐसा समझता हूं कि फीस बढ़ाने का प्रश्न या नये मुद्दों पर फीस लगाने का प्रश्न ये दोनों ही सरकार ने अपने उद्देश्य इस बिल के सम्बन्ध में बताये हैं उनके विपरीत हैं।। यहां प्रश्न केवल कन्सोलीडेट करने का था या मद्रास का जो कोर्ट फी एक्ट था उसके अनुसार हमारी सरकार को अपनी सारी फीस के स्ट्रक्चर को री-एग्जामिन करके उसके आधार पर इसको रीमोडल करने के लिए रखा था, लेकिन माननीय मंत्री महोदय यदि फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ें तो उनको इस बात का संकेत मिलेगा, उसमें इस प्रकार का उल्लेख है कि राजस्थान राज्य में कोर्ट फी ज्यादा है और उसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जा सकती है। यहां मैं ऐसा समझता हूँ कि राज्य सरकार ने उस कमेटी की रिपोर्ट को इन पार्ट माना है।

इस कमेटी की रिपोर्ट के दो मुख्य अंग थे एक तो यह कि इसको कन्सोलीडेट किया जाये और दूसरा यह कि कोर्ट फी में किसी प्रकार की बढ़ोतरी की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों बातों में जो आपके अनुकूल पोर्शन था उसको स्वीकार कर लिया और जो सरकार के प्रतिकूल पड़ता था उसको स्वीकार नहीं किया। यदि उस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही हमारी सरकार को कोई कार्यवाही करनी है तो सबसे पहला सरकार का कर्तव्य होता है कि हम उस कमेटी की रिपोर्ट को इन पार्ट स्वीकार नहीं करें, जिस तरह से उस कमेटी ने सिफारिश की है उसी आधार पर उसको स्वीकार करें और उस आधार पर हम स्वीकार करते हैं तो उसका निश्चित रूप से यह परिणाम निकलता है कि न तो हम कोई फीस लगा सकते हैं और न जो फीस ऑलरेडी है उसमें किसी प्रकार की वृद्धि कर सकते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि सिलेक्ट कमेटी में इस मसले पर विचार नहीं किया गया। अगर सिलेक्ट कमेटी में इसी मसले पर विचार किया जाता तो निश्चित रूप से हमारी सरकार इस मान्यता को स्वीकार करती कि हमें उस कमेटी की सिफारिशों के उद्देश्यों के अनुसार ही इस बिल का रूप बनाना है। मैं ऐसा समझता हूं कि इस गंभीर मसले पर सिलेक्ट कमेटी ने किस प्रकार से विचार नहीं किया, यह तो सिलेक्ट कमेटी के माननीय सदस्य ही विचार करें, लेकिन सदन का कर्तव्य हो जाता है कि इस प्रकार के अहम मसले पर विचार करने का जब अवसर मिला है तो उसका वह लाभ उठाये।

(१. २० म. प.)

(श्री भैरोंसिंह)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि आज राज्य के अन्दर जिस प्रकार की न्याय प्रदान करने की स्थिति है उसकी ओर भी हमें देखना पड़ेगा। किस प्रकार से जनता को सस्ता न्याय मिल सकता है, किस प्रकार जनता सरकार तथा न्यायालय के विरुद्ध अपील दायर कर सकती है और कानून के अन्दर किस प्रकार का संरक्षण मिल सकता है। इस सारे मसले को आज की परिस्थिति को सामने रख कर इस विधेयक के ऊपर यदि हम दृष्टिपात करें तो यह नतीजा निकलेगा कि जो फीस बढ़ी है वह गरीब जनता के ऊपर अतिरिक्त भार है।

ऐसी परिस्थिति में मैं यह कहना चाहूँगा कि जहां हमारा संविधान इस बात की ओर आह्वान करता है कि हमारे राज्य के अन्दर और विशेषकर राज्य जो प्रजातांत्रिक पद्धति के ऊपर आधारित है और जहां हम सस्ता न्याय देना चाहते हैं, जहां हम लोगों के प्रशासनिक मसलों को साधारण दृष्टि से और सस्ते तौर पर निपटाना चाहते हैं यदि कोई भी न्याय पसन्द सरकार होगी और जो न्याय देना चाहती है तो उस सरकार का कर्तव्य होगा कि वह सस्ता न्याय जुटाने का प्रबंध करे, लेकिन बदकिस्मती है कि हमारी सरकार एक तरफ भाषण देने में, मान्यतायें स्थापित करने में, व्यवस्था देने के बारे में, किसी प्रकार का निर्णय लेने के अन्दर कहने को जरूर कहती है कि हम जनता को सस्ता न्याय देना चाहते हैं, लेकिन हम देखें तो उसके विपरीत सरकार आचरण करती है।

मैं यह पूछना चाहूँगा कि क्या यह दृष्टिकोण है कि कोर्ट फी के द्वारा हम सरकारी खजाने के अन्दर जो आमदनी हो सकती है उसको बढ़ायें ? इस प्रकार का दृष्टिकोण यदि हमारी सरकार का है तो हम सब इसके सिद्धान्ततः विरोधी हैं। कोर्ट के द्वारा जितनी भी फीस वसूली कर सकते हैं वह वसूली राज्य सरकार का कन्सोलीडेटेड फण्ड है उसका इम्पोर्टेन्ट पार्ट नहीं हो सकता है। वह इसलिए कि वहां जो आमदनी के जरिये हैं वे सरकार के रेवेन्यू के रिसोर्सेज हैं और जहां जुडिशियल आधार पर लोगों से फीस लेकर रेवेन्यू में कन्वर्ट करते हैं तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हम अपने मूलभूत अधिकारों और मान्यताओं के विपरीत आचरण करते हुए स्वयं उनके ऊपर कुठाराघात करते हैं।

मैं तो उपाध्यक्ष महोदय, यह भी कह सकता हूं कि राजस्थान की विधान सभा में यह कानून यदि इसी रूप में पारित होगा तो यह विधान सभा के लिए नहीं बल्कि सारे देश की प्रजातांत्रिक पद्धति के लिए कलंक होगा। यह कलंक इसलिए होगा कि न्याय प्रदान करने की जो व्यवस्था है उसके ऊपर सरकार एन्क्रोच करना चाहती है। जहां सरकार एक पार्टी की है और एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुचलने की कोशिश कर रही है, एक पार्टी माइनोरिटी के राइट्स को क्रश करने की कोशिश करे और फण्डामेन्टल राइट्स पर एन्क्रोच करने की कोशिश करती जा रही है वहां यह आवश्यक होता है कि हम उन लोगों से अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कराने के लिए जितनी भी जिस प्रकार से सहूलियत प्रदान कर सकें उस प्रकार की सहूलियत प्रदान करें। मैं ऐसा कहूंगा कि यदि कोई भी सरकार न्याय

Page No 53

(श्री भैरोंसिंह)

पसन्द होगी तो दुश्मन की भी तारीफ करेगी और सरकारको चुनौती देने का मौका देगी और चुनौती की यदि आवश्यकता हुई तो स्वीकार करके स्पोर्ट्स मैन स्प्रिट का परिचय देगी। लेकिन हमारी सरकार विपरीत आचरण करती जा रही है। जो आज कारनामे—छोटी अदालतें जो कि एग्जीक्यूटिव पॉवर्स के अण्डर में वर्क कर रही हैं उनके कारनामे सदन को बताये जायें तो कोई भी व्यक्ति मानने में संकोच नहीं करेगा कि जो आज के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की कार्यवाहियां इस प्रकार की हैं कि जिनके द्वारा हम जनता को सस्ता न्याय प्रदान नहीं कर सकते हैं।

अब जहां हमारे सामने इस प्रकार को परिस्थिति आती है, हम उस परिस्थिति के अन्दर भी आज जहां व्यवस्था यह करना चाहते थे कि हम एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के सेपरेशन को तुरन्त स्वीकार कर लेते, लेकिन हम लोगों को उस प्रकार का न्याय नहीं देना चाहते, जुडिशियरी को इन्फ्लुएन्स करना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव पॉवर से जुडिशियरी की इन्डिपेन्डेन्स पर एन्क्रोच करना चाहते हैं एग्जीक्यूटिव की ऑथोरिटी के बेसिस पर। वहां हमें यह भी मानना पड़ेगा कि जो कुछ आज की जुडिशियरी है, जो कुछ आज के कोर्ट्स की पोज़ीशन है उसके अन्दर गरीब जनता को जाने से रोक दें तो यह मान कर चलना पड़ेगा कि आज की सरकार चाहे कॉन्स्टीट्यूशन के तावे अपने आपको डेमोक्रेटिक सरकार कह सकती है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज की अपने आपको डेमोक्रेटिक कहने वाली सरकार टोटेलीटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने की योजना के अन्तर्गत कार्यवाही कर रही है। हमारी सरकार डेमोक्रेसी के अन्दर जो लोगों के पॉवर्स हैं, जो फर्ज हैं उनके ऊपर चाहे एग्जीक्यूटिव बेसिस पर, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से कर लगा कर उन लोगों को रिड्रेस प्राप्त करने में बाधा पैदा कर सकती है, तो यह प्रेजुएली उस ओर बढ़ने का ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आगे जाकर डेमोक्रेसी का खात्मा हो सकता है।

जहां सरकार यह कह सकती है कि फीस बढ़ाने का दृष्टिकोण नहीं है वहां सरकार ने अभी जो शिड्यूल लिखा है, जो परिशिष्ट जोड़ा है उस परिशिष्ट के अन्दर अपने कई नये टैक्सेज़ भी शामिल किये हैं, नई फीस भी शामिल की है। इस प्रकार की फीस शामिल की गई है उपाध्यक्ष महोदय, जिसके बारे में यदि विचार किया जाय तो उसका विचार करना उपयुक्त होगा तो आज सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है। इसके अन्दर एक जगह सरकार ने ऐसा लिखा है, किसी मसले पर फीस लगाई है कि सरकार के अन्दर किसी व्यक्ति की कोई रकम जमा है और जमाशुदा रकम सरकार द्वारा निर्धारित समय पर वापिस नहीं ली जाती है या वह वापिस नहीं मिलती है और जमा हो जाती है और उस रुपये को वापिस लेने के लिए किसी व्यक्ति को दर्ख्वास्त देनी पड़ेगी तो कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। मैं सरकार को यह पूछना चाहूँगा कि यह तो व्यवस्था कर दी है कि अमाउन्ट लैप्स हो जाय वह डिपाजिटेड अमाउन्ट लैप्स हो जाय, उसके बाद में वापिस मांगे तो कोर्ट फीस देनी पड़ेगी तो सरकार को अपनी मशीनरी के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए कि किसी आदमी के ड्यूज़ डिपोज़िटेड हैं उनके ड्यूज़ समय से

(श्री भैरोंसिंह)

पहले ही वापिस करना चाहते हैं लेकिन आपकी सरकारी मशीनरी के रैड टेपिज्म के कारण उसका समय पर पेमेन्ट नहीं होता है तो सरकार ने किस तरह का दण्ड उनको देने का प्रावधान रखा है। मैंने देखा है कि सिविल सप्लाइज के ऐसे बहुत से केसेज़ पड़े हुए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अन्दर ऐसे केसेज़ पड़े हुए हैं, पी. डब्लू. डी. में ऐसे केसेज़ पड़े हुए हैं और इर्रिगेशन डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्टर्स के ऐसे केसेज़ पड़े हुए हैं, इस प्रकार से कई लोगों के केसेज पड़े हुए हैं जिनमें सरकार के पास डिपोज़िट पड़ा हुआ है अर्नेस्ट मनी के रूप में, सिक्योरिटीज़ के रूप में पड़ा हुआ है, जो रकम सरकारी अधिकारियों ने समय पर इसलिए नहीं पे की कि उस रकम का कुछ हिस्सा उनको मिले या धीरे धीरे यह रकम डेड अमाउन्ट में आ जाय और डेड अमाउन्ट पार्टी स्वीकार कर ले तो उसमें आधी, तीन-चौथाई रकम खा कर उस व्यक्ति को एक चौथाई रकम दे दें।

मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि यदि सरकार अपने आपको थोड़ी बहुत भी प्रजातान्त्रिक कहती है तो प्रजातान्त्रिक शासन का तकाजा है कि उसको स्वीकार करना चाहिए कि जहां पर डिपोजिट्स ड्यू डेट पर नहीं चुकाये जाते हैं वहां सरकारी अधिकारियों को जो डिपोज़िट नहीं चुकाये गये उसमें जिसकी गलती है उसको दण्ड दिया जाय। वहां पर जब दण्ड का सवाल आता है, कोई पनिशमेंट का सवाल आता है तो सरकार मौन रहती है। मौन इसलिए रहती है कि सरकारी मंत्रि मंडल आज सरकारी अधिकारियों से जिस प्रकार से अच्छा काम लेना चाहिए उस प्रकार से काम नहीं ले सकता है। सरकारी मशीनरी गवर्नमेंट के मंत्रि-मंडल पर पूरी तरह से हावी है। हावी होने की स्थिति में आज सरकार में किसी प्रकार का साहस नहीं रहा कि सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कोई किसी प्रकार की कार्यवाही कर ली जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं कहूँ कि सरकार ने कितनी नई कोर्ट फीस प्रपोज़ की है तो सदन को यह जानकारी मिले। इसमें हमारी सरकार ने व्यवस्था की है, जैसा कि पेज ३१ में लिखा है "(iv) to the State Government in pursuance of a statutory right to appeal for which no court fee is leviable under any other enactment." इसका मतलब यह है कि अभी तक किसी भी कानून के अन्तर्गत किसी भी तरह की कोर्ट फी को लेवी करने का सरकार को अधिकार नहीं था। स्टेच्यूटरी राइट्स के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है, तो उसको भी कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। मैं सरकार से पूछूं कि इसमें सन् ४७ से लेकर आज तक आपके सामने इस प्रकार के जितने आवेदन पत्र आये हैं क्या उन आवेदन पत्र में ज्यादातर इस बात का उल्लेख नहीं था कि सरकारी अधिकारियों ने कानून का इन्टरप्रिटेशन ठीक नहीं किया है ? क्या इस बात का इन्टरप्रिटेशन नहीं था कि सरकारी अधिकारियों ने जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं दिया ? क्या उन आवेदन पत्रों में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि सरकारी मशीनरी के रेड टेपिज्म के शिकार हुए हैं ? आवेदन पत्र जिस जल्दी से डिसपोज़ ऑफ होने चाहिए थे उस जल्दी से डिसपोज़ ऑफ नहीं हुए हैं। राजाओं के राज्य में

(श्री भैरोंसिंह)

जिसके लिए हमारी सरकार बार बार सामन्तशाही कहकर, राजा महाराजाओं का राज्य कहकर आज इस प्रकार का उलाहना देती है, उस सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि सन् ४७ से पहले राजस्थान का कौन सा राज्य था, राजस्थान की कौन सी रियासत थी जिस रियासत में इस प्रकार की फीस लगा करती थी, जिस रियासत में आवेदन पत्रों पर कोर्ट फीस लगाई जाती थी ? हम कह सकते हैं कि सन् ४७ से पहले और ४७ के बाद से लगा कर आज तक जब कि कोर्ट फीस नहीं थी वह कोर्ट फीस हम इस समय लागू करना चाहते हैं। तो क्यों लागू करना चाहते हैं, इसका कारण सरकार नहीं कह सकती है। कारण केवल इतना सा है कि हमारे ऊपर घाटे का भूत सवार हो रहा है। उस घाटे को हम किसी प्रकार से भी समाप्त करना चाहते हैं; समाप्त करने के लिए हमारे खर्चे में कोई कटौती नहीं कर सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशियेन्सी को दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन गरीब जनता की जेब से करों के रूप में, कोर्ट फीस के रूप में किसी भी प्रकार से धन एकत्रित कर सकते हैं उतना धन एकत्रित किया जाय। यही हमारी सबसे बड़ी व्यवस्था है। मैं ऐसा समझता हूँ कि सरकार के धन एकत्रित करने का प्रश्न समझ में आ सकता है। उसको धन एकत्रित करने का अधिकार है, यह समझ में आ सकता है, लेकिन उसका एक दूसरा आम पहलू है कि जो धन एकत्रित होता है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उसका सदुपयोग होना चाहिए। लेकिन जिस समय दुरुपयोग की बात कहना चाहते हैं तो सरकार इस तरह से इम्यून हो चुकी है कि उन बातों का सरकार पर कोई प्रभाव नहीं होता है। सरकार पर प्रभाव नहीं होने की स्थिति में सरकार कोर्ट फीस और टैक्सेज बढ़ाने की बात लेकर चलती है।

अभी यहां दो दिन पहले बहस हुई थी। उस बहस के अन्दर कई माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि फर्स्ट फाइव इयर प्लान, सेकण्ड फाइव इयर प्लान और थर्ड फाइव ईयर प्लान, इन सबका उद्देश्य यह है कि देश के अन्दर जो इनइक्वेलिटी है देश के अन्दर जो असमानता है, उस असमानता को दूर करने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं उस सरकार से यह पूछना चाहूँगा कि जहां हम इस बात को स्वीकार करके चल रहे हैं और जिसका प्लान में बार बार उल्लेख करते हैं कि इस देश के अन्दर गरीब और अमीर दो प्रकार के तबके हैं मीडियम श्रेणी के लोगों के अन्दर आमदनी के सोर्सेज़ कम हैं, जहां पर आमदनी की असमानता का, आय की असमानता को दूर करने का या इस प्रकार की असमानता आती है वहां उस समय हमारी सरकार ऐसे मसलों के ऊपर जहां एक गरीब और अमीर के ऊपर बराबर टैक्स लगाया जाय उसमें किसी प्रकार का भेद क्यों नहीं करती है ?

जहां इस प्रकार की एप्लीकेशन्स ली जायेंगी, मैं समझता हूँ कि बिड़लाजी एप्लीकेशन देते हैं तो भी उतनी ही कोर्ट फी देते हैं और एक साधारण हरिजन गरीब व्यक्ति को डेफर्ड पेमेन्ट नहीं मिलता है, यदि उस प्रकार से हरिजन दरख्वास्त देता है तो उसको भी कोर्ट फी उतनी ही देनी

Page No 56

(श्री भैरोंसिंह)

पड़ेगी । अगर उस तरीके से असमानता दूर करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि यह असमानता दूर करने का तरीका नहीं है, बल्कि सरकार का खजाना भरने का तरीका है, दूसरे लोगों की जुबान पर ताला लगाने का एक अजीब तरीका है ।

इसी प्रकार से हमारी सरकार एक नया टैक्स लगा रही है वह पेज ३२ के ऊपर है । उसमें है–"9. Copy of any revenue or judicial proceding or order not other. wise provided for by this Act or copy of any account, statement, report or the like taken out of any court or office of any public officer." मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्रीजी कहेंगे कि अभी तक हमने इस प्रकार का टैक्स नहीं लगाया है और नहीं लगा कर बड़प्पन दिखाया है, उस सरकार को मैं यह कहना चाहूँगा कि सन् १९४७ से ६१ तक हम जिस चीज को स्वीकार करते आये हैं उस चीज को हम टैक्स या कर के रूप में वसूल करना चाहते हैं तो कौनसी आपके सामने ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि जिस परिस्थिति को लेकर जिसका अभी तक किसी कानून में प्रावधान नहीं था, जिसका उल्लेख नहीं आया था उन मसलों के ऊपर सरकार कोर्ट फी लागू कर सकती है, आज उन पर क्यों वसूल करने की तैयारी कर रही है ? मैं सोचता हूँ कि फाइनेन्स एन्क्वायरी कमीशन ने राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट के अनुसार आज जो राजस्थान में व्यवस्था है वह भी इस बात की स्वीकृति सरकार को नहीं देती है कि इन मसलों के ऊपर कर लगा कर या कोर्ट फीस इम्पोज़ करके इसको राज्य की आमदनी का जरिया बनायें ।

इसी प्रकार से मोटर व्हिकल्स एक्ट में, उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी का प्रश्न आता है, मैं यह कह सकता हूं कि अब तक जितने भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते थे उन पर किसी प्रकार का कोई टिकट नहीं लगाया जाता था । नहीं लगाने का कारण यह था कि मोटर ट्रान्सपोर्ट जो कि एक इन्डस्ट्री है उस इन्डस्ट्री का हम डेवलपमेंट चाहते हैं । जब प्लान का मसला आता है, राजस्थान के अन्दर डेवलपमेंट का मसला आता है, राजस्थान की लेबर फोर्स को एम्प्लॉय करने का मसला आता है, राजस्थान में जो पोपुलेशन बढ़ रही है उसको एब्ज़ॉर्ब करने का मसला आता है, हमारी सरकार एक बात कहती है और वह यह कि राजस्थान का विकास हमें करना है और उसके अन्तर्गत यह भी कहूँगा कि राजस्थान का हमें इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट भी करना है, कमियों की ओर संकेत करता हूँ । उधर सरकार यह भी कहती है कि मोटर ट्रान्सपोर्ट जिस स्टेज पर डेवलप होनी चाहिये उस पर नहीं होने पाई है । सन् १९४७ से पहले जितनी सरकारें थीं उन्होंने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है । उन्होंने इस तरह का परिचय कभी नहीं दिया कि रिन्यूवल या पर्मिट के लिये फीस जमा कराते हैं वहां कोर्ट फीस भी देनी चाहिये । इंडियन मोटर विहीकल एक्ट और उसके अन्तर्गत जो नियम हैं उनमें इस प्रकार का प्रावधान है कि रिन्यूवल कराना है तो टैक्स देना पड़ेगा, पर्मिट लेना है तो फीस देनी पड़ेगी, डीज़ल ऑयल वगैरह पर भी कर चुकाना पड़ेगा,

(श्री भैरोंसिंह)

मोटर के पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो उन पर सेल्स टैक्स चुकाना पड़ेगा। मोटर विहीकल का कोई ऐसा काम नहीं है जिस पर टैक्स नहीं देना पड़ता हो। लेकिन यह स्वीकृत किया हुआ था कि यदि वह व्यक्ति रिन्यूवल के लिए आवेदन-पत्र देता है तो उस पर टिकट लगाने की जरूरत नहीं थी। अब यहां सरकार को कौनसा घाटा आ गया है कि मोटर इन्डस्ट्री पर एन्क्रोचमेंट करके उस पर टैक्स लगाना चाहते हैं ? सरकार कह सकती है कि फीस बिल्कुल नोमिनल है २ रु० ५० नये पैसे, रीजनल ऑथोरिटी के सामने दर्ख्वास्त पेश करे तो २।।) रु० के टिकट लगाने पड़ेंगे। मैं देखता आया हूँ और सन् ४७ से; इस विधान सभा में बैठता हूँ सन् ५२ से। नोमिनल टैक्स लगा कर लोगों की आदत डाल कर दिखाना चाहते हैं। सरकार ने नोमिनल स्टेज का आश्वासन दिया था लेकिन नेक्स्ट इयर के बजट में उससे और भी वृद्धि हो गई। वृद्धि बढ़ते बढ़ते बहुत हो गई। मैंने जिस तरह से सदन का ध्यान आकर्षित किया था कि कई मुद्दों में तो आज ढाई गुना टैक्स की आमदनी सरकार की बढ़ गई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मसले राजस्थान से विकास से सम्बन्धित हैं उन पर फीस लगाते हैं तो आप यह भी स्वीकार करें कि हम राजस्थान को इन्डस्ट्रियलाइज़ नहीं करना चाहते, लेबर को एम्पलॉय नहीं करना चाहते और ट्रान्सपोर्ट का विकास नहीं करना चाहते हैं और यह भी नहीं चाहते कि कॉम्युनिकेशन की व्यवस्था सस्ते रूप से हो सके। यदि आप यह स्वीकार करना बर्दाश्त कर सकते हैं तो समझ में आ सकता है। अतिरिक्त रूप में घाटा आ रहा है उस पर भी लगाना पड़ेगा। इस तरह की स्थिति आज आने वाली है कि स्टेट ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी के सामने आवेदन–पत्र पेश करेंगे तो कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद: "Application or petition presented to any Executive Officer under any Act for the time being in force for the conservancy or improvement of any place if the application or petition relates solely to such conservancy or improvement."

मैं ऐसा समझता हूँ कि अजीब प्रकार का टैक्स सरकार ने लगाया है रिन्यूअल की दर्ख्वास्त के लिए, परमिट की दर्ख्वास्त के लिए। सरकार कोर्ट फीस लगाती है तो समझ में आ सकता है। सिद्धान्ततः हमें इससे विरोध है लेकिन सरकार इस प्रकार का टैक्स लगाती है तो समझ में आता है। लेकिन जहां एप्लीकेशन होती है तो उस पर २।।) रु० कोर्ट फीस के देने पड़ेंगे। सरकार के पास इसके पीछे कोई लोजिकल आर्गुमेंट नहीं है। एक ही चीज़ है, मौका है, सदन को मुगालते में डाल कर वसूल कर लिया जाय।

पेज ३३ पर कुछ नई फीस का जिक्र किया गया है। उसमें लिखा है : "(c) Application or petition presented to any Board of Executive Officer for a copy or translation of any order passed by such board or officer or of any other document on record in such office." अब तक किसी ऐसे मसले पर कॉपी लेने की आवश्यकता होती थी तो कॉपी को फीस जमा करानी पड़ती थी। लेकिन आवेदन-पत्र पर कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ती थी, स्टाम्प

(श्री भैरं : सह

नहीं खरीदना पड़ता था लेकिन अब सरकार ने इसके लिए भी फीस मुकर्रर की है। यदि किसी मसले पर हुक्म की कॉपी लेने की जरूरत है या किसी फैसले या हुक्म की ट्रान्सलेशन की कॉपी लेनी है तो आवेदन-पत्र के साथ साथ स्टाम्प भी लगाना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे मसले पर जहां जनता द्वारा शिकायत की जायेगी तो उस पर भी स्टाम्प लगाना पड़ेगा। लोकल ऑथोरिटी की मिसाल हमारे सामने रख देते हैं। पंचायत समिति या जिला परिषद के किसी एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर ने कोई ऑर्डर दे दिया तो उसकी नकल लेने के लिए अब तक तो चाहे कॉपिंग फीस देनी पड़ती थी लेकिन स्टाम्प नहीं लगाना पड़ता था; अब यदि नगरपालिका के किसी अफसर के ऑर्डर की कॉपी लेनी पड़ेगी तो कोर्ट फीस लगानी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि सरकार जुडिशियल कोर्ट और डाइरेक्ट जुडिशियल ऑथोरिटी हाई कोर्ट से लेकर पंचायत तक और जितने भी एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं उनके ऑर्डर के बारे में यदि किसी प्रकार की नकल लेने या जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी तो नकल की फीस जमा कराने के अलावा कोर्ट फीस और जमा करानी होगी। मैं समझता हूँ गरीब जनता के साथ यह जबर्दस्त अन्याय है। यदि सरकार यह चाहती है कि वह जो गलती करती है वह जनता की जानकारी में नहीं आवे और सरकार के कारनामे जानने के और सूचना प्राप्त करने के जितने साधन हैं, जितने जरिये हैं उनको खराब किया जा सके उतना ही अच्छा है; फाइनेन्शियली जनता को इतना वीक कर दिया जाय कि हमारे उचित और अनुचित कार्य के बारे में वह जानकारी प्राप्त नहीं कर सके। फाइनेन्शियली उसकी कमर तोड़ दी जाय ताकि सरकार को एक्सपोज़ नहीं करे।

आगे इस कानून में कहा है : "(d) Application to a Forest Officer by a forest contractor for extension of the period of lease.'

आगे लिखा है : "(e) Applicati for attestation of private documents intended to be used outside India."

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक फोरेस्ट ऑफिसर्स का क्वेश्चन आता है, कॉन्ट्रैक्ट या लीज़ के एक्सटेन्शन के बारे में यदि कोई एप्लीकेशन मूव की जाती है तो आज तक उस पर कोई कोर्ट फीस नहीं लगती थी और नहीं लगने का एक कारण था और वह था कि फोरेस्ट इनक्वायरी कमेटी राज्य सरकार ने नियुक्त की थी। उसने इस मसले पर विचार भी किया और विचार करके यह तय किया कि फोरेस्ट की ग्रोथ किस प्रकार से बढ़ सकती है, फोरेस्ट से इन्कम किस प्रकार से बढ़ सकती है? इन सारे मसलों को सामने रख कर जो टैक्स–मुक्त करने की बात कही उसके विपरीत राज्य सरकार यदि फोरेस्ट के सम्बन्ध में कॉन्ट्रैक्टर एप्लीकेशन देते हैं उन पर कोर्ट फीस लागू करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि फोरेस्ट के कई मसले ऐसे हैं जिन पर जब टेन्डर इन्वाइट करने की प्रोप्राइटी को चैलेन्ज किया है और इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया है कि फलां टेन्डर इन्वाइट किया गया था तो समय पर लोगों को सूचना नहीं मिली। पिछले दिनों सवाई माधोपुर में टेन्डर इन्वाइट किया गया था........

(श्री भैरोंसिंह)

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Bhairon Singh, I think we are not traversing within the scope of the Bill. So far as the consideration of a clause or its implications are concerned, we shall have ample time for discussion when the clauses are taken up. That is for your consideration.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझ कर चल रहा हूँ कि इस बिल के जितने रिलेवेन्ट पार्ट्स हैं मैं उनकी रिलेवेन्सी को डिस्कस कर रहा हूँ और मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूँ, आप कहेंगे तो मानने को तैयार हूँ, लेकिन मैं स्वयं—यह मानने को तैयार नहीं हूँ कि कोई बात इर्रिलेवेन्ट कह रहा हूँ। यदि माननीय उपाध्यक्ष के नोटिस में ऐसी कोई बात आई हो तो उसे इर्रिलेवेन्ट कहने के बजाय प्रोसिडिंग्ज़ में से एक्सपन्ज कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : I have never said that the portions of your speech were irrelevant. I said that let us be within the scope of the Bill. My opinion is that so far as details of the instances or examples which are likely to be cited by the Hon'ble member are concerned, they do go beyond the scope of the discussion and make the speech a little lengthier, whereas many of the Hon'ble members would like to speak on the same subject.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से फिर भी निवेदन कर रहा हूँ कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि स्कोप के बाहर कुछ बातें हैं, तो यह अच्छा होगा, मुझे इस प्रकार आदेश देने के साथ यह भी आदेश दिया जाय कि ये मसले स्कोप के बाहर हैं, उनको एक्सपंज कर दिया जाय; ताकि आगे के लिए मुझे उदाहरण मिल जाय और बार बार आपको....

श्री उपाध्यक्ष : It is for me to see what to say and what not to say. You will proceed.

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन कर रहा था कि जो मैं उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ, ऐसे कई केसेज़ हो रहे हैं, क्योंकि टेन्डर इन्वाइट करने के साथ साथ एप्लीकेशन आती है वह कई बार डाक से भेजनी पड़ती है और डाक से भेजने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ता है कि जो जानकारी फोरेस्ट कॉन्ट्रेक्ट वगैरह की समय पर मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन से और माननीय मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि सदन में एक भी मिसाल इस प्रकार की नहीं आई बल्कि हजारों मिसालें आई हैं कि लोगों को समय पर जानकारी न मिलने के कारण बहुत ही परेशानी हुई है और कइयों ने टेलिग्राम दिये कि अमुक टेन्डर इतने रुपये, इतनी प्राइस, इतने लाख का कोट करते हैं। कई लोगों ने कोटेशन तार से भेजे हैं, कई लोगों ने ऐसी सूचना समय पर न मिलने के कारण डाक से भेजे हैं। ऐसी स्थिति में जो जानकारी मिलती है उस जानकारी के आधार पर सरकार के कॉन्ट्रेक्ट में भाग न ले सके और कॉन्ट्रेक्ट के द्वारा

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार की आमदनी न बढ़ा सके, कॉन्ट्रेक्ट का, जिनका राइट प्रोफेशन हैं उसके ऊपर सरकार का एक प्रकार से धावा हो गया, उसको वे बर्दाश्त करते रहे। इस स्थिति में कोर्ट फीस इस प्रकार की एप्लीकेशन्स पर लगाने की व्यवस्था कर दें तो मैं निश्चित रूप मे कह सकता हूँ कि आज की सरकार में ऐसे करप्ट ऑफिसर्स हैं जिनके बारे में सदन में किया गया है उनको यह अधिकार मिल जाय कि किसी एप्लीकेशन पर कोर्ट फीस नहीं है, तो फिर किसी एप्लीकेशन में भले ही दुगुनी रकम का जिक्र किया गया हो, इस बेसिस पर कि उस एप्लीकेशन पर चार आने का टिकट नहीं था राज्य सरकार को चार लाख के नुकसान में डाल देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो मैं इस प्रकार के मिसाल सदन में प्रस्तुत करने को तैयार हूँ जिनमें केवल एप्लीकेशन की अवैज्ञानिक नीति के कारण, अदूरदर्शिता के कारण, सूचना समय पर न मिलने के कारण लोगों को जानकारी नहीं मिल सकी और उसके कारण लोग समय पर टेन्डर न भेज सके और सरकार को उसके कारण लाखों रुपयों का घाटा उठाना पड़ा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कोर्ट फीस का सिलसिला लगा दिया तो आपके ऑफिसर्स को टिकट का बहाना लेकर कॉन्ट्रेक्ट को रिजेक्ट करने का मौका मिलेगा और उसके कारण अन्त में जाकर सरकार को घाटा पड़ेगा।

आगे एक प्रश्न आता है जिसमें लिखा है:-

"Application for attestation of private documents intended to be used outside India."

मैं ऐसा समझता हूँ कि इसका मतलब है कि हमारी राज्य सरकार का मतलब यह हो सकता है कि पाकिस्तान के जितने भी लोग यहां से सर्टीफिकेट लेकर जाते हैं उन सर्टीफिकेटस के अटेस्टेशन की कार्यवाही करते हैं, उस पर कोर्ट फीस लगानी पड़ेगी। मैं ऐसा मान कर चलूं कि हमारे इन्टरनेशनल ट्रीटीज़ और इन्टरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं उनके बेसिस पर विसा के सम्बन्ध में, हर मामले में इन्टरनेशनल कोर्ट के अनुसार लॉज़ प्रेस्क्राइब कर रखे हैं, रूल्स प्रेस्क्राइब कर रखे हैं उसके अनुसार इन सब का एक्ज़ीक्यूशन होता है। आज राज्य सरकार को सर्टीफिकेट्स के मामले में, बाकी एन्टीसिडेन्ट के मामले में अगर कोई पाकिस्तान जाने वाला मुसलमान एप्लीकेशन देता है तो हमारी राज्य सरकार कहेगी कि पहले इस पर कोर्ट फी लागू की जाय, जब कोर्ट फीस लागू की जाती है, उसके बाद कोई कार्यवाही की जाय। माननीय सदस्यों को मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान जाने वाले कई पुरुषार्थी या नागरिक जब विधान सभा के सदस्यों के सामने आते हैं और अटेस्टेशन कराते हैं, वेरीफिकेश कराते हैं क्या उस वक्त यह आवश्यकता महसूस की जाय कि इस प्रकार की जो एप्लीकेशन इश्यू की जाय, उसका अटेस्टेशन या वेरीफिकेशन करा जाय तो उसको बिना कोर्ट फीस के किया जा सकता है क्योंकि कानून में अधिकार दे रखा है कि विधान सभा का सदस्य अटेस्टेशन कर सकता है? अब अगर वह कोर्ट में जायेगा तो वहां उसे कोर्ट फीस देनी पड़ेगी, अगर एम. एल. एज. के पास जायेगा तो कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ेगी। इसलिए यह विचार करना चाहिए कि डुप्लीकेट पोज़ीशन रहती है, उस पर अमल किस प्रकार से होगा। मैं कहना चाहूँगा कि आज

(श्री भैरोंसिंह)

इस स्थिति के अन्दर जहां बार बार यह कहा करते हैं कि पाकिस्तान के प्रति प्रेम जिनका होता है वे नागरिक पाकिस्तान जायं तो उनको कोर्ट फीस से बचायें ताकि पाकिस्तान में जाकर वे कह सकें कि हमारी सरकार ऐसी है कि अगर हम पाकिस्तान जाने की इच्छा करते हैं तो हम से कोर्ट फीस नहीं लेती । मैं कह सकता हूं कि अगर भारत सरकार या राजस्थान की सरकार ने यहां के नागरिकों से कोर्ट फीस, चाहे थोड़ी ही ली, भले ही एक रुपया लगाया है उसकी जब पाकिस्तान को सूचना मिलेगी तो हमारी राज्य सरकार ने केवल एक रुपया लगाया है वहां की सरकार पांच रुपये लगाने से नहीं चूकेगी और उसका असर दोनों देशों के नागरिकों पर पड़ेगा ।

आगे चल कर हमारी सरकार ने टैक्स लगाया है on applications for lapsed deposit इसके बारे में मैं निवेदन सदन में कर चुका हूं । ऐसी स्थिति में कई इस प्रकार के मसले हैं जिन मसलों के ऊपर हमारी सरकार ने नये टैक्सेज़ लगाये हैं, लेकिन इन सब टैक्सेज़ के ऊपर, जिसे कहना चाहिए शिरोमणि टैक्स, अगर हमारी सरकार ने कोई लगाया है तो वह है पेज ३७ पर जिसका उल्लेख किया है :–

"(t) Election petition questioning the election of a person in respect of the office of member or Chairman or Vice Chairman of a local authority."

आज तक हमारी सरकार यह बात कहती आई है कि इलेक्शन के सम्बन्ध में जितनी भी इस प्रकार की अनियमिततायें होती हैं उनको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जा सकता है । मैं यह निवेदन करना चाहूँगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन से और माननीय मन्त्री से कि विशेष करके एक बात को मान कर हम चल रहे हैं कि हमारे देश के अन्दर आज प्रजातन्त्र की स्थिति एक बच्चे की सी है और जिस देश के अन्दर प्रजातन्त्र की स्थिति बच्चे की तरह होती है, उस बच्चे के पालन-पोषण करने का भार या तो हमारी जनता के ऊपर आता है या सरकार के ऊपर आता है । वह सरकार जनता की स्पोक्स मैन बन कर डेमोक्रेटिक बच्चे को पनपाने की दृष्टि से फलता-फूलता देखने की चेष्टा करती है वहां सरकार का कर्तव्य होता है, सरकार अपने कार्य काल के अन्दर, अपने शासन काल के अन्दर बच्चे के ऊपर किसी प्रकार का कोई आघात नहीं आने दे । मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारी सरकार ने जो व्यवस्था की है कि इलेक्शन पिटीशन के के ऊपर यह कोर्ट फीस देनी पड़ेगी, यह कोर्ट फीस उस इलेक्शन के सम्बन्ध में है जो हमारा वाजिब अधिकार हो सकता है, सरकार की अनियमितताओं को, ऐसी कार्यवाहियों को चैलेंज करने के लिए यह अधिकार देने की चेष्टा की गई है । सरकार को चाहिए तो यह था कि इलेक्शन पिटीशन की गलती कोई पार्टीज़ के द्वारा नहीं होती । कई बार कानूनी इन्टरप्रिटेशन के द्वारा, कई बार सरकारी अधिकारियों के ओमीसन द्वारा कई बार डिपार्टमेंटल मिस्टेक्स के द्वारा, इन इलेक्शन्स की जो पवित्रता है उससे इनको दूर रखने की व्यवस्था की जाती है। आज इलेक्शन की पवित्रता को बनाये रखने के लिए इलेक्शन न्यायिक ढंग से होने चाहिए और इलेक्शन

(श्री भैरोंसिंह)

की प्रवित्रता पर आंच नहीं आनी चाहिए। जहां एक ओर ऐसी व्यवस्था करते हैं वहां दूसरी ओर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इलेक्शन पिटीशन के सम्बन्ध में हमें सरकार जितनी सहायता दे सकती है, जनता को जितनी सहूलियत दे सकती है वह दे। लेकिन बद-किस्मती इस तरह की है कि एक तरफ सरकारी अधिकारी गलती करते हैं, पक्षपात करते हैं, कानून का ठीक प्रकार से पालन नहीं करते हैं, जो पार्टी हारती है उसको जिताने की कोशिश करते हैं, जो पार्टी जीतने वाली होती है उसको हराने की कोशिश करते हैं, कानून का गलत अर्थ लगाते हैं। उस सारी स्थिति में जहां सरकार की जिम्मे-दारी होती है इलेक्शन सही कन्डक्ट कराने की, इम्पार्शियल इलेक्शन कराने की वहां सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि उसकी जिम्मेदारी को कोई व्यक्ति चैलेंज करता है उस व्यक्ति को सस्ते से सस्ता तरीका बतावें, जिसके आधार पर सरकार की गल-तियों को रख सके और डेमोक्रेसी की ग्रोथ के अन्दर सहायक बन सके। लेकिन बद-किस्मती है कि हमारी सरकार ने जो उसके अन्दर फीस लगती है उसकी वृद्धि करने की चेष्टा की है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि आज सरकारी व्यवस्था है पिटीशन के मामले में इस समय पर जो फीस उस पर लगी हुई है उसमें कमी करें। पंचायत के इलेक्शन में, पंचायत समिति के इलेक्शन में हमने बहुत फीस रखी है, जिसके आधार पर कोई गरीब व्यक्ति इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों के इलेक्शन हुए, पंचायतों के इलेक्शन हुए; उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, कांग्रेस पक्ष के कई जिम्मेदार सदस्यों ने सरकार पर आरोप लगाये हैं कि सरकारी अधिकारियों ने किस तरह से पक्षपात किया है। ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष महोदय, यदि कोई व्यक्ति इलेक्शन पिटीशन के द्वारा कोर्ट में जाना चाहे, सरकारी अधिकारियों की अनियमित कार्यवाहियों को जनता के सामने लाना चाहे तो सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उसको इस प्रकार के साधन दे, अगर वह गरीब है तो जैसा बाकी स्टेटस में है, मद्रास स्टेट में कानून लगा हुआ है कि उस स्टेट के गरीब तबके के व्यक्तियों को सरकार के खर्चे से वकील दिया जायेगा, उसे कोर्ट फीस से मुक्त किया जायेगा। वका-लत के मामले में, दावा करने के मामले में, दावे को लड़ने के मामले में जो कुछ सहायता दी जा सकती है वह दी जाती है। आज उससे विपरीत परिस्थिति बनती जा रही है कि हम लोग, जो लोकल ऑथोरिटी के सम्बन्ध में, अगर लीगल्ली क्वेश्चन करना चाहें तो पहले कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ, ऐसी स्थिति में सरकार ने कोर्ट फीस के मामले को एक रेवेन्यू का सोर्स बना लिया है। मैं इस रेवेन्यू के सोर्स के सिद्धान्तत: विरुद्ध हूँ। संविधान में सस्ता न्याय देने की व्यवस्था है उसकी मान्यता के विरुद्ध कोर्ट फीस राजस्व का सोर्स नहीं हो सकती। इसलिये राजस्थान सरकार का कर्तव्य है कि लोगों को सस्ता न्याय दे। मद्रास की नकल करते हैं तो जितनी वहां सुविधाएं देते हैं वे भी दें, जितने लिटिगेशन में वहां गरीबों को वकील वगैरह की सहायता देते हैं वह आप भी दीजिये।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : On a point of information, I would

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

like to know how does the Hon'ble member know that this Bill has been introduced on the Madras pattern ?

श्री भैरोंसिंह : यह तो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : मद्रास की नकल की है ?

श्री भैरोंसिंह : मद्रास के पैटर्न पर बना रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble member is satisfied ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : I am perfectly satisfied.

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : But I am not satisfied whether he is talking in sense here ?

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : On a Point of Privilege, Sir, I think he has no right to say whether the Hon'ble member is talking in sense or not. The Hon'ble member should be asked to withdraw his words.

श्री भैरोंसिंह : No, it was not in that sense...

श्री श्रीभानसिंह : The words may be examined. These words cast an aspersion on the Hon'ble member and he must be asked to withdraw.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : No, I don't feel discourteous...

(व्यावधान)

श्री उपाध्यक्ष : Yes, the expression is discourteous.

श्री भैरोंसिंह : मेम्बर नहीं मान रहे हैं कि डिस्कॉर्टियस है।

श्री श्रीभानसिंह : It is not a question of the Hon'ble member's feeling...

श्री उपाध्यक्ष : Whether the Hon'ble member feels aggrieved or not, this is not the question, but it has to be looked as to how does the House feel.

श्री श्रीभानसिंह : I would like to have your Honour's ruling...

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष,....

श्री श्रीभानसिंह : Whether this is parliamentary and can any Hon'ble member cast such aspersions ? I think it should be withdrawn or expunged.

श्री भैरोंसिंह : This has been ruled out.

श्री श्रीभानसिंह : No, I have raised a point of privilege...

श्री उपाध्यक्ष : I have observed that this is discourteous. Now the Hon'ble member wants that these words be expunged ?

Page No 64

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, आपने एक बार व्यवस्था दे दी, उसे माननीय सदस्य बार बार चैलेंज कर रहे हैं....

श्री श्रीभानसिंह : चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, इस प्रकार के एस्पर्सन्स, they are prejudicial to the integrety of the Hon'ble member.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : That amounts to the contempt of the House, not mine...

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : That was parliamentary.

श्री श्रीभानसिंह : No, it is not. The Hon'ble member should be asked to withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : Will please proceed with the debate. If atall they were directed against that member, he does not feel...

मेजर श्री फतहसिंह : There is nothing unparliamentary.

श्री भैरोंसिंह : निम्न स्तर में और स्तर में फर्क है ।....

श्री श्रीभानसिंह : कोई रूलिंग नहीं हुई ।

श्री उपाध्यक्ष : I drop it.

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : बार बार उसको दोहराते हैं तो आपके लिये भी कुछ निकल जायेगा ।

श्री श्रीभानसिंह : निकल जायेगा तो I will pay in the same coin.

श्री भैरोंसिंह : उस स्पिरिट को देखना चाहिये जिस स्पिरिट में हम बिल लाना चाहते हैं । मैंने मन्त्री महोदय का ध्यान स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स की तरफ दिलाया था । उनकी मंशा इस बिल को पेश करते जो समय थी वह मद्रास एक्ट की बिना पर आधारित थी, फाइनेन्स एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर आधारित थी । पर अब जो हमारी सरकार कानून पास करा रही है वह उन दोनों की मंशाओं के विपरीत है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में दिये गये कारणों के विपरीत है । फाइनेन्स एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट थी कि नये आइटम्स पर कोर्ट फीस नहीं लगाई जाय । हमारी सरकार नये आइटम्स पर कोर्ट फीस लगाती है तो इसका मतलब यह है कि सरकार आज अपनी ज्यादतियों के लिये अपने विरोधियों का मुकाबला करने के लिये तैयार नहीं है । सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ जो रेमेडीज़ दी हुई हैं उनको सरकार क्रश करना चाहती है ताकि लोग सरकार की ज्यादतियों का विरोध न कर सकें, सरकार को सही रास्ते पर न ला सकें, सरकार की ज्यादतियों से रेमेडी पाने की कोशिश न कर सकें ।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ सदन से निवेदन करूंगा और जो यहां गरीब तबके के लोग बैठे हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि गरीबों के ऊपर यह जो कोर्ट फीस का भार लादा जा रहा है, गरीबों के साथ बार बार सरकार की तरफ से अन्याय होता है, कोर्ट फीस के नाम से सरकार कर्व करने की कोशिश कर रही है.

(श्री भैरोंसिंह)

उसका सदन के गरीब तबके के प्रतिनिधि विरोध करेंगे।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मेरे मित्र ने अपने लम्बे प्रवचनों से कोर्ट फीस में बढ़ोत्तरी की ओर बड़े दिलचस्प तरीके से ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश की है। अन्त में उन्होंने कहा कि वे उस ओर सदन के गरीब तबके का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि इस बिल का सम्बन्ध देश के गरीब-अमीर तबके से नहीं, देश के नागरिकों से इसका सम्बन्ध है। गरीबी और अमीरी के विशेषण को लगा कर हम एक ऐसी फिजां पैदा करना चाहें कि कोर्ट फीस का यह कानून न लाया जाय तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है सारे राजस्थान में कोर्ट फीस के मामले में मुख्तलिफ कायदे कानून थे उनको रद्द करके समन्वित एकीकृत कानून बनाया जाय। इसका गरीबी और अमीरी के वातावरण में विचार करें तो लोगों को जो न्याय प्राप्त करने के अधिकार हैं, जो न्याय देने का तरीका है और इसके द्वारा आर्थिक आदान प्रदान का हमारा लक्ष्य है उस सारी पृष्ठ भूमि को ही खो देते हैं और इसके विपरीत केवल भावुकता के आधार पर ही विचार करते हैं। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मेरे मित्र को आपके जरिये निवेदन है कि कोर्ट फीस को समन्वित करने पर और एकीकरण का लक्ष्य है उस पर भावुकता से विचार नहीं करें, वैज्ञानिकता की दृष्टि से विचार करें तो ज्यादा उचित होगा।

माननीय मेरे मित्र ने पहले सूचना दी कि इस बिल का लक्ष्य इससे पूरा नहीं होता है और सरकार ने अपने लक्ष्य से विपरीत कार्य करने की कोशिश की है। सबसे बड़ी दलील इसके लिये उन्होंने यह दी है कि फाइनेन्स एन्क्वायरी कमेटी ने कहीं नहीं कहा है, जैसा कि वे कहते हैं कि इस कानून में कन्सोलिडेशन, कोडिफाई करने की सिफारिश है, बढाने की नहीं। तो कन्सोलिडेट करने का पर्पज है उसमें कहीं नहीं आता कि कन्सोलिडेट, कोडिफाई करते समय उसमें वृद्धि नहीं की जाय या कमी नहीं की जाय।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : ओन ए पोइन्ट आफ इन्फॉर्मेशन, सर, क्या माननीय सदस्य बता सकते हैं कि फाइनेन्स एडवाइजरी कमेटी ने क्या लिखा है ?

श्री जनार्दनराय नागर : यह लिखा है, कन्सोलिडेट करने के लिये सिफारिश की है तो उसका मतलब यह नहीं होता कि कमी हो वहां ज्यादा नहीं किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बता दूं कि फाइनेन्स एडवाइज़री कमेटी ने इस स्पेसिफिक पोइन्ट पर लिखा है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : ऐसा मालूम होता है कि दोनों माननीय सदस्यों ने रिपोर्ट नहीं पढ़ी है।

श्री भैरोंसिंह : रिपोर्ट का पैराग्राफ पढ़ कर सुनाता हूँ ....

श्री उपाध्यक्ष : Should I allow a third member? I think, it is desirable to ally any third member...

श्री श्रीभानसिंह : I should be allowed because I am in possession of the report and I can verify...

श्री जनार्दनराय नागर : यह तो आपका अहंकार है कि आप ही पढ़ते हैं। मैं आपके अहंकार के ऊपर चोट नहीं करना चाहता।

श्री श्रीभानसिंह : यह साहित्य एकेडेमी का विषय नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर : आप साहित्यिक नहीं हैं तो मैं कहना चाहता हूँ:—

"साहित्य संगीत कलाविहीन:"

पशु....आपने कहा इसलिये कह रहा हूँ, बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप चेयरमैन हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : आपको बड़ा नाज़ है कि आप दुनिया भर की बातें जानते हैं।

हां, तो मैं अर्ज कर रहा था कि उसमें ऐसा कहीं नहीं है कि वृद्धि न की जाय। माननीय मित्र उसमें कहीं यह बता दें कि कोर्ट फीस में वृद्धि नहीं की जाय, एकीकरण कर दिया जाय, यह बता दें तो मैं अपनी सारी बातें वापिस लेने को तैयार हूँ।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, संस्कृत में किसी को पशु बना देना और भी बुरा है।

श्री उपाध्यक्ष : The second line of the couplet was not recited here.

श्री जनार्दनराय नागर : फाइनेन्स कमेटी की दलील हमारे सामने रखी है। उसका मतलब यह नहीं कि कहीं आवश्यक समझा जाय तो कोर्ट फीस में वृद्धि नहीं की जाये

(२. म. प.)

और कहीं अगर बढ़ी हुई कोर्ट फीस हो तो उसमें कमी की जावे। मैं आपको ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ जिसमें बढ़ी कोर्ट फीस थी उसके लिये कम करने का हमारा लक्ष्य रहा है और इसको पूरी तरह से समझना चाहिये। मैं यह मानता हूं कि अलग अलग तरह की प्रथा राजस्थान प्रान्त में अब तक चली आ रही है। लेकिन जब हम एकीकरण करना चाहते हैं....

श्री श्रीभानसिंह : How well informed speech is this, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, what?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : He is not audible, Sir.

श्री श्रीभानसिंह : The Hon'ble member is well informed Sir.

श्री जनार्दनराय नागर : I am not less informed.

श्री श्रीभानसिंह : This is what I am saying. This has been consolidated long ago.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : The Hon'ble member is not at all audible.

श्री श्रीभानसिंह : I am just saving you from the trouble.

श्री जनार्दनराय नागर : You save yourself and then you come to my rescue ..

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Member should not be disturbed. Yes please proceed.

श्री श्रीभानसिंह : When the Hon'ble member does not want to proceed why the Hon'ble Chair should press him to proceed.

श्री जनार्दनराय नागर : I am exhibiting a good taste.

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तो इस बिल के द्वारा किया जा रहा है। इस लक्ष्य की पूर्ति का प्रयत्न किया गया है कि राजस्थान में अलग अलग जगह पर भिन्न भिन्न प्रकार की कोर्ट फीस लगाई जाती है, कहीं कम और कहीं बेसी, इसलिये इसकी आवश्यकता थी कि उनको समान रूप पर किया जावे और इसके लिये यह बिल हमारे सामने है। इसलिये यह विचार करके चलना कि कोर्ट फीस से गरीबों को नुकसान होगा और उन पर वजन पड़ेगा....

श्री भैरोंसिंह : आप इस सम्बन्ध में १८ वें क्लॉज़ को पढ़ लें।

श्री जनार्दनराय नागर : यह केवल भ्रम है। इसको पूरी तरह से नहीं समझ कर बात करने का प्रयास है।

दूसरी बात जो कही गई कि हमारा लक्ष्य सस्ता और सुलभ न्याय देने का है, मैं उनके कथन से सहमत हूं। मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तान में सस्ते न्याय की प्रक्रिया आज से बहुत पहले से हो जानी चाहिये थी....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : The Hon'ble member is not at all audible, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : You mean he should speak on the mike...

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : He should use that.

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble member wants your voice to be more audible.

श्री जनार्दनराय नागर : I am sorry, if I am not audible to him. He is audible to me in my heart and soul.

मैं यह कह रहा था कि जहां तक सस्ता न्याय देने की बात है....

श्री श्रीभानसिंह : आप जो कह रहे थे वह उन्होंने सुना नहीं।

श्री जनार्दनराय नागर : आपकी इजाजत से मैं खड़ा नहीं हुआ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow any more interruptions now.

श्री जनार्दनराय नागर : Certainly, Sir, I need not be disturbed.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, proceed on please.

श्री जनार्दनराय नागर : मैं यह कह रहा था कि सस्ता न्याय का मतलब यह नहीं होना चाहिये कि न्याय के आदान-प्रदान के लिये उचित शुल्क भी नहीं दिया जाय। इसके लिये उचित शुल्क देने की नागरिकों की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को हमें नहीं भूलना चाहिये। इसको हम भूल जावें और न्याय के लिये श्रम किया जाता है उस तन्त्र को ठीक तरह से चलाने के लिये जो हमारा उत्तरदायित्व है उसको भूल जावें, यह तो उचित नहीं होगा। सस्ते न्याय के साथ साथ हमको अच्छा न्याय भी मिलना चाहिये। तो मैं समझता हूं कि यह जो सिद्धान्त है उसकी हम पूर्ति करते हैं। इसके लिये यह कहना कि जनतन्त्र में जो शुल्क लगाये जा रहे हैं और न्याय दिया जा रहा है वह जनतन्त्रीय सिद्धांतों के विपरीत जा रहा है, यह जनतंत्र नहीं अप्रजातंत्र है, टोटॅलीटेरियन गवर्नमेंट का लक्ष्य है जिसकी ओर हम जा रहे हैं. मैं यह कहूंगा कि कोर्ट फीस में कहीं कहीं वृद्धि करने से कोई सरकार अप्रजातंत्रीय कैसे हो जाती है, वह सरकार कैसे टोटेलीटेरियन हो जाती है और नागरिकों के अधिकारों को कैसे समाप्त करने की ओर चलती है? इसके लिये माननीय सदस्यों ने छोटे मोटे उदाहरण देकर यह बताने की कोशिश की कि कोर्ट फीस ज्यादा बढ़ाने से गरीब लोग अदालतों में न्याय के लिये नहीं जा सकेंगे इसलिये उनके अधिकारों का हनन हो जावेगा। मैं समझता हूं कि हमने जो कोर्ट फीस बढ़ाई है उसमें ऐसी स्थिति तो अभी नहीं आई है कि जिससे नागरिक कोर्ट में जाने से महरूम रह जावें। अगर ऐसी स्थिति हो तो मैं माननीय सदस्यों की राय से सहमत होता कि अमुक श्रेणी के लोग कोर्ट में नहीं जा सकते इसलिये सरकार को पुनः विचार करना चाहिये। लेकिन मैं यह कहूंगा कि जितने लोग अदालतों में जाते हैं वे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी आर्थिक स्थिति में होते हैं और अभी तक ऐसी स्थिति नहीं पहुँची है कि वे अदालतों में जाकर अपना न्याय हासिल नहीं कर सकें।

सच्ची बात तो यह है कि निश्चित रूप से कुछ मामलों में कोर्ट फीस बढ़ाई जानी चाहिये। छोटे-मोटे मामलों में अदालत में जाने की वारदातें पहले से काफी बढ़ रही हैं। छोटे-मोटे मामलों में लोग अदालतों में चलने लगे हैं। हम चाहते हैं कि समाज में आपस में स्वाभाविक न्याय मिलना चाहिये जो आज कल मिलना बन्द हो गया है। न्याय....

श्री श्रीभानसिंह : क्या कहा?

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order!!

श्री श्रीभानसिंह : The Hon'ble member was not audible to me what he said so, I wanted to know...

श्री उपाध्यक्ष : It is not possible for him to repeat the same expression which he had said.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : It is the duty of the Chair to regulate the

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

proceedings of the House. The Hon'ble member is not audible.

श्री उपाध्यक्ष : I think there is some defect in the mike.

श्री श्रीभानसिंह : The mike appears to be all right but..

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Nagar, you should be more attentive...

श्री जनार्दनराय नागर : They are disturbed by their own heart beatings, Sir.

मैं यह कह रहा था उपाध्यक्ष महोदय, कि न्याय की प्रक्रिया में यह बराबर ध्यान रखना होगा कि हमें उसके लिये अगर कुछ शुल्क बढ़ाना पड़ता है तो बढ़ाना चाहिये और यह होना चाहिये कि छोटे-मोटे मामलों में लोग अदालतों में न जावें और उसके लिये सामाजिक प्रयास होने चाहिये।

एक बात यह कही गई है कि गरीबों को न्यायालय में जाने के लिये रोका गया है। इसके लिये मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि जितना तबका अदालतों में जाता है वह गरीब तबका नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जबाब सरकार नहीं देकर माननीय सदस्य दे रहे हैं?

श्री जनार्दनराय नागर : वे ही लोग अदालतों में जाते हैं जो आर्थिक दृष्टि से ठीक होते हैं और मैं समझता हूं कि कोर्ट फीस बढ़ाने से उनको कोई एतराज नहीं होना चाहिये। यह कोर्ट फीस ५ हजार से ऊपर दावे होते हैं उन पर बढ़ेगी और उनके शुल्क में वृद्धि हुई है और पांच से ज्यादा का दावा कोर्ट में ले जाने वाला कौनसा तबका होगा यह तो आप समझ सकते हैं। मैं यह मानता हूं कि यहां पर गरीब वर्ग ऐसा है, वह आज भी इतना शक्तिशाली नहीं है....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : पांच हजार से कम के हैं उनसे भी ५०) रु० ले लेंगे।

श्री श्रीभानसिंह : वे अपनी समझ के मुताबिक बोल रहे हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : I know how to retort in the same manner...

श्री श्रीभानसिंह : But you are always inaudible.

श्री जनार्दनराय नागर : I can retort him in the same manner and I can whip. But I know you are a typical man.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): The speech is itself a bit typical, Sir.

श्री जनार्दनराय नागर : वह वर्ग ऐसा है जिसको निश्चित रूप से अदालतों में आप नहीं पाते। अदालतों मे जाते हैं उनको शुल्क ज्यादा देना चाहिये, यह मेरी मान्यता है।

हाउस टैक्स के मामलों में यह उदाहरण देना चाहता हूं कि हाउस टैक्स में वही वर्ग आता है जिनके पास पैसा होता है....

श्री मदनसिंह : यहां हाउस टैक्स की बात कहां से आई ?

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !! I will call the House to order now.

श्री जनार्दनराय नागर : सम्पत्ति के मामलों में ....

श्री श्री भानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर हाउस टैक्स कैसे आया ?

श्री जनार्दनराय नागर : मैं यह कहूँगा कि यह जो शुल्क बढ़ाया गया है यह सम्पत्ति रखने वालों के लिए है और उनको ज्यादा शुल्क देना चाहिये । हमारे समाज का जो शक्तिशाली तबका है उसको ज्यादा शुल्क देना चाहिये ।

यह तो मैं नहीं मानता कि शुल्क की वृद्धि की गई है वह गरीबों पर पड़ती है । झोंपड़ी के विवादों के मामलों में शुल्क में वृद्धि नहीं की गई है बल्कि भवनों, प्रासादों और महलों में जो आराम सेवी लोग हैं उन पर शुल्क की वृद्धि की गई है । शुल्क ज्यादा किस पर बढ़ा है इसकी जांच होनी चाहिये । यह कहा गया मेरे मित्रों के द्वारा कि गरीबों पर शुल्क बढ़ाया गया है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ ।

कुछ मामले ऐसे हमारे मित्रों ने रखे जिनके लिए मुझे कुछ निवेदन करना पड़ेगा । एक बड़ा दिलचस्प मामला हमारे मित्रों द्वारा रखा गया कि फोरेस्ट के जो कॉन्ट्रेक्टर्स हैं उनको अब तक आवेदनों पर शुल्क नहीं देना पड़ता था, उनको अब देना पड़ेगा । मैं यह मानता हूँ कि मोटरों के मालिकों, फोरेस्ट के कॉन्ट्रेक्टरों से यदि उनके आवेदन-पत्रों पर कोई शुल्क लिया जाता है तो उसमें आपत्ति क्या है ? क्या उसमें अनुचित बात है ? शुल्क नहीं देते थे इसलिए नहीं देना चाहिये, यह तो मैं समझ सकता हूँ । लेकिन जो व्यक्ति मुनाफा इस प्रकार से कमाते हैं, यदि उनके उस बचत का थोड़ा सा अंश उनको आवेदन-पत्र देने के लिये कहा जाय तो मैं यह मानता हूँ कि समाज की और हमारी आवश्यकता की दृष्टि से वह उचित बात ही कही जा सकती है ।

मैं आपकी दलीलों से यह समझता हूँ कि यदि वन के कॉन्ट्रेक्टरों से, मोटर मालिकों से और इस प्रकार की ऊंची क्लास से अब तक बिना आवेदन–पत्रों पर शुल्क लिये ही काम चलता था, अपनी लाभ प्राप्ति के लिये जो लोग आवेदन–पत्र देते हैं तो उनसे कुछ शुल्क लिया जाता है तो आप उसका विरोध करते हैं । इसके माने यह हुआ कि एक तरफ तो आप बात करते हैं जनतन्त्रीय समाज के विकास की, अपर वर्ग के विरोध की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार से जो लाभ कमाने वाले व्यक्ति हैं उनके आवेदन पत्रों पर यदि शुल्क लिया जाय तो आप उसका विरोध करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपने लाभ प्राप्ति के जो साधन हैं, लाभ प्राप्त किया है, और करेंगे उसके लिए आवेदन–पत्रों पर शुल्क न लिया जाय, आप उसका विरोध करते हैं । आपकी दलीलों में मुझे ऐसा विरोधाभास मालूम पड़ता है कि यदि मेरे माननीय मित्र इस पर शान्ति से सोचेंगे तो खुद ही वे मान लेंगे कि मोटर मालिकों से, फोरेस्ट कॉन्ट्रेक्टरों से और इस प्रकार के जो बिजनेस वर्ग हैं, यदि उनको शुल्क देना पड़ता है तो आज की परिस्थितियों

(श्री जनार्दनराय नागर)

में वह समीचीन है। लेकिन पहले नहीं था इसलिये आज भी नहीं होना चाहिये, यह कोई दलील नहीं है। आज से पन्द्रह वर्ष पहले कई बातें नहीं थी। हमने जनतन्त्रीय विकास की एक प्रणाली निश्चित की है, हमने स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जनतन्त्रीय विकास की आधारशिला कायम की है और उस दृष्टि से हमको नई नई बातें करनी पड़ेगी, मैं ऐसा मानता हूँ। चाहे वह न्याय के क्षेत्र में हो, चाहे वह आर्थिक आदान प्रदान के क्षेत्र में हो, यदि नये आइटम्स लाने पड़ते हैं तो हमें उसको हिम्मत के साथ लाना चाहिये और हां, इस बात की ओर जरूर ध्यान रखना चाहिये कि समाज का जो ऐसा वर्ग है, केवल भोक्ता ही भोक्ता है, जिसमें अपनी सम्पत्ति को बढ़ाने की क्षमता नहीं है उन पर टैक्स नहीं लगने चाहिये। लेकिन आज इस जनतन्त्रीय भारत में कई प्रकार के सम्पत्ति के नये दावेदार पैदा हुए हैं, जिन्होंने नाना प्रकार के बिजनेस कायम किये हैं उनको यदि किसी स्तर पर लाया जाय और किसी स्तर पर शुल्क लगाया जाय तो वह जनतन्त्रीय समाज की स्पिरिट के विपरीत नहीं, होगा ऐसी मेरी मान्यता है। मैं यह कहना चाहूँगा कि समाजवादी समाज में एक आध्यात्मिक क्षमता आवे उस ओर ले जाने का यह एक तरीका और प्रकार है।

एक बात यह कही गई कि भारत के बाहर आवेदन-पत्रों पर शुल्क लगाने की बात है, यह उचित नहीं और इसके लिए पाकिस्तान का उदाहरण देकर दलील देने की कोशिश की गई। मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों यह एतराज किया गया। यदि सर्टिफिकेट के एटेस्टेशन के लिए कोई शुल्क लगाया जाय तो उस पर एतराज क्यों होना चाहिये? दूसरे देश के नागरिकों को भी देना पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह : आप किसी एक देश का नाम लेकर यह बता दें कि कौनसे ऐसे देश में अटेस्टेशन सर्टिफिकेट हासिल करने में शुल्क लिया जाता है?

श्री जनार्दनराय नागर : नागरिकता से लेकर परिवर्तन तक के लिए देश देश में निश्चित रूप से इस प्रकार का शुल्क लगा हुआ है। डिटेल्स में जानकारी जैसी आपको नहीं है मुझे भी नहीं है। लेकिन सामान्यतः मैं यह जानता हूं कि नागरिकता की प्राप्ति, उसके परिवर्तन और आदान प्रदान इन तमाम चीजों के लिए दूसरे देशों में शुल्क है।

केवल अटेस्टेशन के लिए शुल्क लिया जाता है हिन्दुस्तान के बाहर के नागरिकों के लिए, तो यह तो एक स्वागत तुल्य ही बात है, इसमें कहां एतराज किया जा सकता है, यह मुझे माननीय मित्रों की दलील से उचित नहीं मालूम होता है।

इस प्रकार से इलेक्शन पिटीशन के सम्बन्ध में भी माननीय मित्रों ने चिन्ता व्यक्त की। मेरी मान्यता है कि उनकी यह चिन्ता स्वाभाविक है और सहानुभूति से मेरे मित्रों की दलीलों पर विचार करना चाहिये। वे दलीलें दलीलों पर ही ठहरती हैं इतना जरूर है। मैं यह मानता हूं कि इलेक्शन पिटीशन पर इतना शुल्क नहीं कर देना चाहिये कि हर व्यक्ति जहां न्याय प्राप्त करना चाहता है उसको सस्ता न्याय न मिल सके।

(श्री जनार्दनराय नागर)

यदि इलेक्शन पिटीशन पर अधिक शुल्क है तो इस पर जरूर विचार करना चाहिये।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार: ......

(अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : I have today an additional duty to defend the Hon'ble member also.

श्री जनार्दनराय नागर : लेकिन यह कहना कि इसीलिए शुल्क बढ़ाया गया है कि इलेक्शन के जो कर्मचारी हैं वे भ्रष्टाचारी हैं, वे पक्षपात करते हैं, वहां पर गड़बड़ियां होती हैं और उन पर पर्दा डालने के लिए शुल्क बढ़ाया गया है, मैं कहता हूं कि यह अनुचित बात है। मैं माननीय मित्रों से कहना चाहूंगा कि भारत में इलेक्शन इस प्रकार से निष्पक्ष और स्वच्छ हुए हैं कि दुनिया भर में इस बात को माना गया है कि भारत में जो इलेक्शन हुए हैं वे स्वच्छ हैं और एक स्वस्थ परम्परा भारतवर्ष इस माने में कर पाया है। दूसरे देशों के जो हमारे पास प्रमाण हैं उनको देखते हुये यह कहा जा सकता है कि उनके मुकाबले में भारत में हुये इलेक्शन बहुत निष्पक्ष और स्वच्छ हुये हैं। दूसरे देश इस बात पर गर्व करते हैं और मानते हैं, हमारे देश में गर्व होना चाहिये। कोई भी इलेक्शन हुआ हो हमारे इलेक्शन्स के जो ऑफिसर्स है, कर्मचारी हैं उन्होंने अपनी निष्पक्षता से और काफी संजीदगी से काम किया है और निष्पक्ष इलेक्शन किये हैं। मुझे यह बात समझ में नहीं आती है मेरे माननीय मित्रों की क्योंकि पिटीशन्स पर फीस बढ़ा दी है इसलिये उन्होंने यह परिणाम निकाल लिया है कि हमारे यहां के इलेक्शन के कर्मचारी हैं, जिन लोगों की इलेक्शन्स को चलाने की जिम्मेदारी है उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार करते हैं, गड़बड़ियां की हैं और ऐसा करने देने के लिए, उनको निरापद करने के लिए, उन पर पर्दा डालने के लिये सरकार ने शुल्क बढ़ाया है। आप ही स्वयं इसका न्याय कर लीजिये। आपको इसके लिये गर्व होना चाहिये था। आज कोई भी नहीं कह सकता कि इलेक्शन के मामलों में राज्याधिकारियों ने पक्षपात किया है और भ्रष्टाचार किया है। यह तो इस बात से साबित है कि इसी सदन में राज्य करने वाली पार्टी है, दूसरे काफी लोग सदन में हैं और देश में काफी लोग राज्य करने वाली पार्टी के बावजूद भी आये हैं। कल के ही चुनाव को लेकर मेरे माननीय मित्र ने कहा सदन में दिल्ली में चुनाव हुआ और दूसरी पार्टी के आये। यह इलेक्शन की निष्पक्षता का सुबूत है। आप जिस निष्पक्षता और ईमानदारी से किये गये इलेक्शन्स को भ्रष्टाचार और गड़बड़ी करने वाला कहते हैं और उस पर पर्दा डालने के लिए कहते हैं इसीलिए शुल्क बढ़ाया गया, यह उचित नहीं मालूम होगा। इलेक्शन पिटीशन पर जो शुल्क लगाया है उसको कम करना चाहिये, यह बात तो समझ में आ सकती है, लेकिन एक स्वीपिंग स्टेटमेंट के जरिये यह बताने की कोशिश करना कि गड़बड़ी, भ्रष्टाचार करने वाले इलेक्शन के अधिकारियों पर पर्दा डालने के लिए यह किया गया, मैं समझता हूँ कि यह जनतन्त्र की स्पिरिट के विरुद्ध बात कह रहे हैं....

श्री मदनसिंह : इसी बात से तो आप जीत कर आये हैं....

श्री जनार्दनराय नागर : निष्पक्षता से जीत कर आया हूँ।

श्री भैरोंसिंह : हम आपकी कमजोरी से जीत कर आये हैं, इसका मतलब ?

श्री जनार्दनराय नागर : तो कुछ आइटम्स पर शुल्क लगेगा, इस पर माननीय मित्रों को बड़ा विरोध है और नई बात होती है तो विरोध होता है और एक तड़फड़ाहट होती है। मैं यह मानता हूँ कि राज्य को नई स्थितियों पर, नये नये आदान प्रदानों की वास्तविकताओं पर शुल्क लगाने का अधिकार है और इस बिल के द्वारा यह राज्य सरकार की ओर से प्रयास किया गया है। न्यायाधिकरण से प्राप्त होने वाला शुल्क राज्य का एक कन्सोलिडेटेड फन्ड बना दिया जाता है जिसे नहीं बनाना चाहिये और उसको राज्य सरकार को एक रेवेन्यू नहीं बनाना चाहिये, यह सिद्धान्त की बात समझ में आ सकती है। इस प्रकार आदान-प्रदान से, न्यायाधिकरण से जो धन-राशि प्राप्त हो उसको सरकार रेवेन्यू मान कर न चले और न्यायाधिकरण के लिए ही वह सुचारू रूप से खर्च की जाय, यह बात सिद्धान्ततः मालूम होती है। लेकिन यह मुझे समझ में नहीं आता कि हम राज्य की किसी भी प्रकार की आय हो उसको कन्सोलिडेटेड फन्ड में न मानें, रेवेन्यू का हिस्सा न माने। न्यायाधिकरण से प्राप्त होने वाली आय का सवाल है उसके लिये मेरा निवेदन है कि वह आय उसी के लिये न्याय के विस्तार के लिए उसके सुचारू प्रबन्ध के लिये खर्च की जानी चाहिये। न्यायालय शुल्कों में जो हमारे यहां बढ़ोतरी की गई है उसके लिये मेरा यह निवेदन है कि हिन्दुस्तान के अन्य प्रदेशों में जो प्रचलित फीस है उसके मुकाबले दो, तीन प्रदेशों से अब भी हम पीछे हैं आगे नहीं हैं। मुख्तलिफ हिस्सों में जो फीस लागू है, दूसरी जगह जो लागू है उस चित्र को हम राजस्थान में प्रस्तुत न करें, यह हो नहीं सकता।

राजस्थान में कोर्ट फीस के मामलों में विभिन्न कानून और परम्परायें थीं। उससे एक प्रकार का कनफ्यूजन पैदा होने लग गया था। इस कानून द्वारा इस प्रकार का जो कनफ्यूजन पैदा हो गया था उसको दुरूस्त करने का प्रयास किया गया है। कुछ मामलों में कोर्ट फीस में बढ़ोतरी की गई है, उसमें रेशनल सिद्धान्त कम मालूम होता है। कोर्ट फीस जिस अनुपात से बढ़ाई गई है उसमें कुछ तुक नहीं नजर आ रही है। इस बारे में जब बिल पर धारा वाहिक विचार करेंगे उस समय इस पर भी विचार किया जा सकता है इसमें भी एक रेशनल सिद्धान्त होना चाहिये पांच रु० से बढ़ कर ३००) और ५००) रुपये करते हैं। पांच हजार पर जो फीस लागू करना चाहते हैं उसको लागू करते समय क्या हम रेशनल के सिद्धान्त को लागू कर सकते हैं, इस बात को सोचना चाहिये। केवल कुछ बातों को लेकर फिर से इसको प्रवर समिति में भेजना मैं उचित नहीं समझता और न इसकी आवश्यकता ही है।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न्यायालय शुल्क विधेयक जो सदन में चल रहा है इसका मैं समर्थन करता हूँ और डॉ० बहादुरसिंह ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ। कोर्ट फीस का जो कानून

(श्री हरिप्रसाद यादव)

बनने जा रहा है उस पर हमारे माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है। पांच हजार से ऊपर वालों पर टैक्स लगेगा, किसी न्यायालय में एप्लीकेशन लेकर कोई जायेगा उसमें ज्यादातर ठेकेदार होंगे। कोर्ट में वे लोग जायेंगे पिटीशन के लिये जायेंगे उनमें ज्यादातर गजटेड अधिकारी होंगे उनको वहां फीस देनी होगी। जहां कोर्ट फीस का सवाल है, हम जहां राज्य की विकास योजनाओं को सफल बनाना चाहते हैं वहां टैक्स का लगाना बहुत जरूरी है। जब इस बारे में विधेयक लाकर उस पर चर्चा होती है तो उसका माननीय सदस्य विरोध करते हैं....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, गबन के केसेज़ में और कोऑपरेटिव के केसेज़ में ज्यादा फीस बढ़ी है।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय सदस्य को ध्यान नहीं है, मैं अपनी इच्छा से बोल रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : गबन के केसेज़ में कहां बढ़ी है ?

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं यह निवेदन कर रहा था कि प्रवर समिति की जो कार्यवाही हुई है उसकी अवहेलना करते हैं और दूसरी प्रवर समिति को भेजना चाहते हैं। उसमें यह नहीं सोचा गया कि जनता जनार्दन का कितना व्यय होगा। नई प्रवर समिति बनेगी उसमें २५ सदस्य होंगे तो उनके टी० ए०, डी० ए० का खर्चा किस पर पड़ेगा ? जनता पर पड़ेगा। उस कमेटी में डॉ० बहादुरसिंहजी आ गये, मैं आ गया, मेरे और साथी आ गये तो इससे कितना खर्चा बढ़ेगा....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : मैं कन्वेन्शन के आधार पर आपत्ति उठाता हूँ कि डॉ० बहादुरसिंह नहीं, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य यह कहा जाय।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय सदस्य को नींद आ रही थी लेकिन जब पास में बैठने वाले सदस्य ने उनको कहा तो वे झट से बोल उठे। मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसमें सवाल यह आता है कि आप या तो करोड़पतियों की लखपतियों की वकालत करने बैठे हैं लेकिन देश में करोड़ों गरीब लोग हैं जो खुद अन्न पैदा करते हैं, कृषक हैं। जो उसके द्वारा अन्न पैदा किया जाता है वह सब लोगों के काम में आता है। मिल के मजदूर हैं वे अपनी मेहनत से कपड़ा बनाते हैं, जंगलात के ठेकेदार हैं वे उन मजदूरों से काम लेते हैं। एक तरफ तो मजदूरों की मजदूरी का सवाल आता है और दूसरी तरफ हम कोर्ट फीस लागू करते हैं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय सदस्य अपनी जनता कॉलेज के लिये यहां कह रहे हैं। जनता कॉलेज में और भाषण होगा।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह बिल जो हम टैक्स लगाने के लिये लाये हैं इसमें जो संशोधन करने का सवाल है उसका मैं विरोध करता हूँ और यह भी विरोध करता हूँ कि इसको दूसरी प्रवर समिति को न भेजा जाय।

(श्री हरिप्रसाद यादव)

मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पिटीशन दायर करने में दिक्कत होगी जो भी एप्लीकेशन दी जायगी उस पर फीस ली जायगी पांच हजार पर टैक्स लगाया है, दस बीस हजार पर कर दिया जाता तो अच्छा होता।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : कहां लगाया है, यह मैं जानना चाहता हूँ।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं अपनी बुद्धि से ठीक कह रहा हूँ, आप अपनी अकिल बाद में लगा लें। कोर्ट फीस के बारे में जो बिल लाया गया है उसमें गरीबों पर कोई फीस नहीं है, गरीब जनता पर इसका कोई भार नहीं है। यह भार तो लखपतियों और करोड़पतियों पर है। आज करोड़पतियों और लखपतियों के एजेन्ट बन कर वकालत करते हैं। आज हमें अपने प्रदेश की योजनाओं को पूरा करने के लिये टैक्स लगाना पड़ रहा है इसलिये माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा यह बिल ऐसा है जिसको आज का आज ही पास कर दिया जाय।

डॉ० बहादुरसिंह : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि करोड़पतियों और लखपतियों के एजेन्ट होकर कह रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उनका इशारा किनकी तरफ है ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : उन्होंने तो अपने लिये ही कहा है।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं किसी के लिये नहीं कहता। बहादुरसिंहजी मेरे अनन्य मित्र हैं, अजीज दोस्त हैं। मैं उनके लिये क्या कह सकता हूँ। मैंने तो उनके सशोधन का विरोध किया है। वे तो मेरे अजीज़ दोस्त हैं मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द न करके पास कर दिया जाय जिससे सरकार को लाभ हो सके।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ और उस समर्थन के कुछ कारण हैं। सिलेक्ट कमेटी के जो माननीय सदस्य थे उनके प्रति सम्मान के साथ निवेदन करना चाहूँगा कि जिस समय यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सामने डिस्कस हुआ उस समय कुछ पोइन्टस ऐसे थे जिन पर ध्यान नहीं दिया गया था। उन पोइन्ट्स पर ध्यान दिलाने के लिये मैं आपका समय ले रहा हूं। वे पोइन्ट्स हाउस में डिस्कस कर लिये जाय या इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को दुबारा रेफर कर दिया जाय, ताकि ठीक ढंग से विचार हो सके और इसको नये रूप में ला सकें और यह बिल ठीक ढंग से पास हो सके। इस बारे में मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ।

क्लॉज ७ के सब-क्लॉज (२) के पार्ट (१) में यह है:—

"Where rent in respect of such land has been settled twentyfive times the rent rate sanctioned therefore during the last settlement and...

सेटलमेन्ट के अनुसार रेट्स होती हैं। उस जमीन का वेल्यूएशन करने के लिये पिछले समय में कई दफा विधेयक पास हुए हैं।

(श्री शिवनाथसिंह)

लैन्ड सेटलमेन्ट जहां का हो चुका है उसकी मार्केट वेल्यू क्या हो, इस पर काफी डिसकशन हो चुका है। जब जागीर एबोलिशन बिल पास हुआ उस समय भी टिनेन्सी एक्ट की धारा १९ में अमेन्डमेन्ट किया गया मार्केट रेट उस लैन्ड की करीब १५ गुनी, बीस गुनी आनी चाहिये, यह चीज ध्यान में रख कर मार्केट रेट १५ टाइम्स मानी है और उसी के हिसाब से पन्द्रह गुना मुआवजा देना तय किया गया था।

तो अब कोर्ट फीस के हिसाब से जमीन मार्केट वेल्यू तो करते हैं पर सेटलमेन्ट रेट को वाजिब नहीं समझते। तो इस पोइन्ट को भी देखना चाहिये।

इसके अलावा निवेदन करूंगा:

"Where the market value of the preperty involved in or affceted by the relief is rupees five thousand or less-Rs. 50/......

इसमें तो है ५०)रु. इसके सेकिन्ड क्लॉज में मार्केट वेल्यू पांच हजार से पांच रुपया भी बढ़ जाती है तो इसके लिये हैं १००)रु.। इसलिये इस तरह का गेप न हो तो वाजिब है। क्योंकि इसको दूर करने के लिए एडवेलोरम कुछ भी आप रखें पर इस तरह से रखना गैरवाजिब है। स्टेप बाई स्टेप बढाना ठीक है। इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स में भी इतना गेप नहीं रखा जाता।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : अगर सौ रुपया का भी गेप हो तो it means according to this Act Court Fees will be rupees 50/-.

श्री शिवनाथसिंह : तो मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिये कोई दूसरे ढंग का प्रोविजन रखा जावे और यह काम बैटर तौर से होगा प्रवर समिति में जाने से।

इसी तरह से अन्य प्रोविजन्स देखते हैं तो मालूम पड़ता है। इसका शिड्यूल II है:—

Fourth Memorandum of appeal under section 39 of the Arbitration Act,—

Where the value for Jurisdiction does not exceed rupees 5,000,...15/-

तो एक तरफ हम पांच हजार तक वेल्यूएशन रखते हैं ५०)रु. और ५,००१) हो गया तो कोर्ट फीस होगी १००) रु.। इस तरह के गेप एक नहीं कई हैं। और भी बहुत से उदाहरण हैं। मैं समझता हूँ इन पर पहले सिलेक्ट कमेटी में पूरी तरह से गौर नहीं किया जा सका है इसलिये इसे दुबारा भेजा जाय और इस पर गौर फर्माया जावे।

इसके अलावा रिव्यू एप्लीकेशन में कोर्ट फीस अजीब ढंग से रखी गई है। इसी तरह शिड्यूल II के आर्टिकल पेज ३६ पर लिखा है "Appliation to set aside an award under the Arbitration Act" इसमें पांच हजार तक २५)रु. है, पांच से १० हजार तक १००रु. और दस हजार से बढ़े तो २००) रु० देने पड़ते हैं। इसी तरह नैक्स्ट आइटम है :—

If the value of the subject matter of the award does not exceed Rs. 5,000/—...........15 Rupees."

(श्री शिवनार्थसिंह)

तो इस तरह से सिम्पलीफिकेशन इनका होना जरूरी है, ताकि लोगों को मुकदमेबाजी में कम खर्चा पड़े, कम हैरानी हो। वकील की हैरानी ही उसके लिये बहुत है।

इसके अलावा नये नये कोर्ट फीस की प्रोविजन्स रखे गई हैं। मैं समझता हूँ इससे किसी तरह सस्ता न्याय देने की हमारी बात से यह मेल नहीं खाता। मैं यह समझ रहा हूं कि कहीं सरकार कॉमर्शियल बेसिस पर न्याय देने की बात तो नहीं सोच रही है। न्याय का व्यापार नहीं करना चाहिये। न्याय से पैसा कमाने की बात वाजिब नहीं हो सकती। न्याय न्याय के लिये देना चाहिये। इसलिये इसे फिर सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिये ताकि यह डिफिकल्टी दूर हो सके।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के पक्ष में हूं और इसलिये हूं कि पिछली बार भी इन्हीं कारणों के आधार पर इसे प्रवर समिति में भेजने की बात कही गई थी। अब जब कि हाउस की यह मंशा फिर भी पूरी नहीं होने की बात कही जा रही है तो जो माननीय सदस्य ऑपोजिशन में हैं तो क्या और रूलिंग पार्टी में हैं तो क्या सब की मंशा, सब का मत एक है कि यह कोर्ट फी ऐसे तबके पर लागू की जा रही है जिस पर आज के दुनिया भर के टैक्स लगे हुए हैं और जो दबा हुआ गरीब तबका है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात जब समझ में आ जाती है कि किस तब के पर इसका असर पड़ता है तो जिस तबके के लोगों से वोट लेकर लोग यहां आये हैं उनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिये कि एसेम्बली में आकर उस तबके पर और टैक्स लगा कर खत्म किया जाय। प्रश्न उठेगा उस तबके पर भार इसका कैसे पड़ेगा ? अब यह सूची देखी जावे तो न्याय पंचायतों में जो एप्लीकेशन मूव होंगी मैं पूछता हूं वे एप्लीकेशनें क्या नरेशों और पूंजीपतियों की होंगी ? क्या इन टैक्सों का भार बिड़लाजी पर या जयपुर के महाराजा पर या अन्य नरेशों और पूंजीपतियों पर पड़ेगा ? न्याय पंचायतों में डे टु डे दरख्वास्त देने वाले लाखों गरीब तबके लोगों पर इसका भार पड़ेगा।

जितनी टैक्सेशन के बारे में सरकार ने आज तक कमेटियां मुकर्रर कीं इसके लिये एवं अन्य टैक्सों के लिये भी सब ने कहा है कि इसका भार राजस्थान की गरीब जनता पर पड़ेगा? जहां लोगों की आर्थिक समस्याएं हल नहीं हो पाई उस तबके पर जाकर यह कोर्ट फी पड़ेगी। आज भी मुकदमों की गिनती की जावे तो पता लग जावेगा कि इनमें रईस कितने हैं। आज राजस्थान में कुल मिला कर २१ महाराजा हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि २१ महाराजाओं का कभी काम पड़ेगा कि न्याय पंचायतों में जाकर वे कोर्ट फी अदा करें ? इसलिये जब जब टैक्सेज की बात आई जनसंघ की तरफ से अर्थ व्यवस्था कैसी होनी चाहिये, उसी ढंग से न्याय की दृष्टि से इसे समझने की और समझाने की कोशिश की है और आज के गरीबों को देख कर जो तरीका ठीक समझा है, बताने की कोशिश की गई है।

जैसा कि मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह टैक्स गरीबों के ऊपर

(श्री मदनसिंह)

लगने वाला नहीं है, यह तो नागरिकों के ऊपर लगने वाला है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या एक गरीब नागरिक नहीं है या वह वोट देने नहीं आता है या चुनावों में नहीं आता। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी टैक्सेज़ हैं और कोर्ट फीस है इनका सबसे ज्यादा भार गरीबों के ऊपर ही पड़ता है। आज भी वही प्रवृत्ति चली आ रही है कि ऑफिसर या जो भी बड़ा आदमी है वह गरीबों को सताता है और गरीबों को ही कोर्ट में जाने की जरूरत पड़ती है और वे ही कोर्ट्स के अन्दर अपनी एप्लीकेशन्स ज्यादा मूव करते हैं। इसलिए सिद्धान्त की दृष्टि से देखा जाये तो ये सारे के सारे टैक्सेज़ गरीबों के ऊपर लादे जा रहे हैं और गरीब को इतना कमजोर कर दिया जायेगा कि वह आइन्दा नहीं उठ सके और अपनी आवाज को नहीं उठा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में शिक्षा के अभाव से गरीब तबके के ऊपर यह कोर्ट फी लग रही है। उसकी हिम्मत नहीं है कि वह अपने केस को ठीक तरह से रख सके, उसके पास तजवीज और पेश करने का मगज नहीं है कि वह अपनी चीजों को किस तरह रखे। इसलिए अब माननीय सदस्यों को मौका मिल रहा है कि आज सरकार का साथ देकर कोर्ट फी या अन्य टैक्सेज़ हैं उनको लागू करके अपना कर्त्तव्य समझ लिया है कि जो गरीब नहीं समझते हैं उनके ऊपर इस तरह टैक्स लगा करके जो कार्य वह कर सकते हैं और नहीं करने की वजह से लोगों की जेबों से पैसा निकाल निकाल कर जिन कामों में लगाया जा रहा है जिनमें कि नहीं लगाना चाहिए तो मैं कहता हूँ कि जितने भी टैक्सेज़ की सूची है वह बड़े लोगों के ऊपर भार डालने वाली नहीं है बल्कि गरीबों के ऊपर भार डालने वाली है। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह बहुत अनर्थ हो रहा है, राजस्थान की गरीब जनता के ऊपर जो बोल नहीं सकती और जिसने विश्वास के साथ हमको असेम्बली में इसलिए भेजा है कि उनके हरएक हकों की रक्षा हम करें। मेरे ख्याल से माननीय सदस्य भूल गए हैं कि किस तरह से सियाले की रात में फिर फिर कर उन्होंने हमें एम. एल. ए. बनाया है। जिस समय आप पंचायत के इलेक्शन्स में और विधान सभा के इलेक्शन्स में जाते हैं तो किस ढंग से आश्वासन देते हैं और वह आश्वासन यहां पंखे की हवा खाकर भूल जाते हैं जितने झगड़े और कोर्ट से सम्बन्धित मामले हैं वे काश्तकारों के ज्यादा है बजाय बीच के आदमियों के। इसलिए जितनी यह कोर्ट फीस लागू हुई है यह किसानों के ऊपर ही होती है और वह भी किसान नेताओं के जरिये होती है। अफसोस की बात है जिनके खून और पसीने की ताकत से एम. एल. ए. बन कर यहां बैठे हैं वे ही उनके ऊपर इस प्रकार के टैक्सेज़ लगा रहे हैं जिसका गांव की जनता को पता नहीं है। आज जितने भी टैक्सेज़ हो सकते हैं वे १०० में से ८० फी सदी लग चुके हैं।

इसके अलावा एक गांव का आदमी जयपुर आता है तो पहले उसको पैसेंजर टैक्स देना पड़ेगा, फिर यहां ठहर कर जो खायेगा-पीयेगा उसके ऊपर सेल्स टैक्स अलग देना, कोर्ट में जाने पर वकीलों की फीस देनी पड़ेगी और फिर यह जो कोर्टफीस बढ़ी है जो रेवेन्यू टैक्स का नमूना ही कोर्ट फीस है वह देनी पड़ेगी और इसके बाद अगर जोधपुर जाने

(श्री मदनसिंह)

की आवश्यकता पड़ी तो उसका वहां तक का किराया देना पड़ेगा। इससे आप समझिये कि उस गरीब काश्तकार को कितनी दिक्कत उठानी पड़ेगी। इसलिए आप गांधीजी की आवाज को भूल गए। जिन राजाओं के लिए कहते थे कि राजा लोग किसी की सुनते नहीं थे और बाईजीराज की शादी के लिये रुपये लेते थे, पर यह टैक्स अदालत में पता नहीं कौनसी बाइजी राज की शादी में दे रहे हैं।

अभी कल एक सदस्य कह रहे थे, हुक्के की भेंट और फलाने की भेंट। तो मैं कहता हूँ कि किसी जागीरदार के यहां सौ पचास बाईजीराज नहीं होती थीं। एक गरीब आदमी झोंपड़ी से बाहर पैर रखता है तो न जाने कितनी जगह उसको टैक्स देने पड़ते हैं। यह किसानों के प्रतिनिधियों के द्वारा अन्याय का कानून बन रहा है और वह भी हम इस टैक्स को रोक नहीं रहे हैं केवल इसकी फिर प्रवर समिति में सुनवाई हो जावे, ऐसा हम चाहते हैं।

एक बात जनसंघ की तरफ से कही गई कि दस आदमी बैठ कर पहले इस बारे में सोच लें और फिर प्रवर समिति अच्छी तरह से सोच कर अपनी रिपोर्ट दे तब तक इसको रहने दें। अगर १४ तारीख तक यह नहीं हुआ तो क्या आपका हाई कोर्ट खत्म हो जायेगा, सुप्रिम कोर्ट खत्म हो जायेगा, जोधपुर वगैरह की अदालतें खत्म हो जायेंगी, यदि १ रुपया या ५५ नये पैसे नहीं लेंगे तो? मैं समझता हूं कि आपको इस मामले में थोड़ा बहुत गम्भीर होना चाहिए। जिस गंभीरता से आप वोट लेते हैं तो यहां भी इस पर गंभीरता से सोचिये। मैं समझता हूँ कि श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने विस्तृत रूप से जितने आर्ग्युमेन्ट्स देने थे वे दिये। उस जरिये से मैं समझता हूँ कि वे भी कई चीजें देते हैं विधान सभा को। उसका निर्णय आज ही करना चाहते हैं और वह भी ५ बजे पहले करना चाहते हैं। उन गरीबों को मारने के लिए ५ बजे तक कानून पास हो जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ऐसा तो राजा लोगों के टाइम में भी नहीं हुआ। ऐसा डिक्टेटरों के टाइम में भी नहीं होता था। जब मुगलों का राज्य था उस समय भी यह था कि कि एक कानून के अन्दर टाइम देते थे। क्या हमारे मिनिस्टर १६६२ के पहले कहीं जा रहे हैं? इसलिए मैं समझता हूँ कि इसे प्रवर समिति के सामने भेजना चाहिए।

दूसरे, मैं उन माननीय सदस्य से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा था वह भी सुन लेंगे पर इस प्रस्ताव को वे विथ्ड्रा करें जहां मन्त्री की ओर से थोड़ी सी रिक्वेस्ट हुई कि वे वापिस ले लेंगे और इधर के जो जनसंघ के लोग हैं सही माने में इस बिल को सपोर्ट करते हुए अपनी अन्तरात्मा में समझते हैं कि मन्त्री महोदय का थोड़ा सा इशारा होगा और बहादुरसिंहजी इसे विथ्ड्रा करेंगे। मैं उन माननीय सदस्य को ज्यादा मजबूत बनाऊंगा और कहूँगा कि सच्चे भाव से इस बिल पर यह प्रस्ताव रखा है कि यह प्रवर समिति में जाना चाहिए, तो उनको कम से कम विथ्ड्रा नहीं करना चाहिए। यदि जिस भावना से इसको रखना चाहिए था उस भावना से नहीं रख रहे हैं तो केवल मिनिस्टर साहब को खुश

(श्री मदनसिंह)

करने के लिए और मजाक के रूप में इस चीज को लाया गया है; इसके अलावा दूसरा दृष्टिकोण नहीं हो सकता ।

(३. म.प.)

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष, जो प्रस्ताव माननीय सदस्य जो धौलपुर से आये हैं उन्होंने फिर उसी प्रवर समिति को यह बिल भेजने का रखा है मैं उसका विरोध करता हूँ । इसके अलावा यह समझ में नहीं आता कि आज जो माननीय सदस्य कमेटी में हैं उसी कमेटी को फिर यह जाय तो आखिर वह दूसरी राय क्या दे सकती है ? जो उनकी राय थी वह उन माननीय सदस्यों ने, उस कमेटी के माननीय सदस्यों ने सदन के सामने रख दी । उस राय को सदन माने या न माने, यह सदन की मर्जी । दूसरी प्रवर समिति का कहते तो शायद गुन्जाइश होती सोचने के लिए कि कुछ रद्दोबदल चाहते हैं और दूसरे मेम्बर होते तो चेन्ज करके दूसरा बिल रख देते ! जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने कहा कि जितने भी लॉ एडवोकेट्स हैं वे सारे इस समिति के अन्दर मौजूद हैं, उनके भी फैक्ट्स हैं, वे बिल्कुल गलत हैं । जिस तरह से उन्होंने आग्युमेंट दिया है प्रवर समिति में भेजने का, मैं उसको ठीक नहीं समझता हूँ ।

जो माननीय सदस्य जनसंघ से आये हैं तो उन्होंने तो आखिर में बहुत विस्तृत रूप में इस बिल को डील किया है । मगर इस बिल के दो सिद्धान्त हैं; यानी कोर्ट फीस के दो सिद्धान्त हमको सामने रखने पड़ेंगे, एक तो जैसा कि उन्होंने कहा कि न्याय सस्ता होना चाहिए, और वाकई इसमें दो राय नहीं हो सकती कि न्याय सस्ता नहीं है, मगर साथ में यह भी है कि न्याय ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हरेक व्यक्ति उसका दुरुपयोग करे और लिटीगेशन और ज्यादा बढ़ जाय इतना सस्ता हो जाय कि जिससे फ्रिवोलस चीजों पर लिटीगेशन हो जाय । हमको ऐसा सस्ता न्याय नहीं चाहिए । इन दो चीजों को सामने रख कर सवाल यह आता है कि कोर्ट फीस क्यों लगाई जाती है ? कोर्ट फीस का एक सिद्धान्त यह है और इस सिद्धान्त से कोई भी माननीय सदस्य एतराज नहीं करेगा, फीस जो निश्चित करेंगे वह चाहे गरीब तबके को देनी पड़े, चाहे मिडल क्लास को देनी पड़े, चाहे रिच पीपल को देनी पड़े । आखिर राज्य सरकार को जुडिशियरी मशीनरी को मेन्टेन करना है और जुडिशियल मशीनरी को मेन्टेन करते हैं तो आखिर खर्चा भी तो निकालना है । जैसा कि उन्होंने स्वयं ने कहा है कि राजस्थान फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट से पढ़ा है कि उतनी ही कोर्ट फीस रखनी चाहिए जितनी की एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पर खर्च है । जो अगर आमदनी ज्यादा है और खर्च कम है और उसको एक रेवेन्यू का साधन बना दिया जाता तो मैं जिन माननीय सदस्य ने इसका विरोध किया है मैं उनके साथ होता । लेकिन उन्होंने फैक्ट्स और फिगर्स नहीं दिये हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पर राजस्थान में इतना खर्चा है और इतनी कोर्ट फीस की आमदनी है । वे फैक्ट्स और फिगर्स देते कि कोर्ट फीस से आमदनी ज्यादा है तो मैं मान जाता । जो माननीय सदस्य ने फैक्ट्स और फिगर्स दिये हैं उन्होंने कन्फ्यजन से दिये हैं । रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प्स की

(श्री श्रीभानसिंह)

इन्कम सब को कन्सोलिडेट करके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का खर्चा निकाल कर सरप्लस दे दिया। जो कोर्ट फीस से रेवेन्यू है, जो इन्कम है और जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का खर्चा है वह जो अगर कम हो और उससे सरप्लस हो तो मैं उनको सपोर्ट करता।

जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास बहुत से और तो फिगर्स नहीं है लेकिन राजस्थान फाइनेन्स एन्क्वायरी कमीशन ने फिगर्स दिये हैं उनके मुताबिक राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अन्दर ४५ लाख रुपये खर्च होते हैं, और टैक्सेशन एन्क्वायरी कमीशन ने जो फिगर्स दिये हैं ५४–५५ के उस टाइम में कोर्ट फीस राजस्थान की इन्कम ५४–५५ के बजट में जो थी वह २६ लाख थी, और एक्सपेन्डिचर जो था राजस्थान गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का वह ३६ लाख का था। तो इतना डेफिसिट है। कोर्ट फीस जो उस टाइम में लगती थीं उसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक बर्डन था और उससे एडवान्टेजेज़ बहुत ज्यादा मिलते थे। उस बर्डन के बलोयरेन्स के लिए जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का है उसके लिए कोर्ट फीस बढ़ानी चाहिए अगरवह लाजमी हैबढ़ाना तो उसको अन्याय कैसे कहा जा सकता है? जैसा कि राजस्थान के फाइनेन्स एन्क्वायरी कमीशन ने कहा है कि हमने बहुत से एग्ज़ेम्पशन ग्रान्ट कर रखे हैं उनको नहीं दिया जाय, और उन एक्ज़ेम्पेशस को भी कोर्ट फीस के अन्दर इन्क्लूड कर लिया जाय। उनके सजेशन्स पर यह जो एक्ज़ेम्पशन्स थे उनको इन्क्लूड कर लिया है और कहीं कहीं जो रेट्स थीं उनको बढ़ा दिया गया है।

माननीय सदस्य जो कि जनसंघ से आये हैं उन्होंने कहा है कि मद्रास की कॉपी करनी चाहिए। मद्रास से राजस्थान गवर्नमेंट कॉपी करती तो शायद उनका जितना भी विरोध था, जितना भी क्रिटिसिज्म था वह नहीं होता। मद्रास एक ऐसी स्टेट है जिसके अन्दर कोर्ट फीस क्या होनी चाहिए उस कोर्ट फीस की रिसीट्स तो है १३५ लाख और एक्सपेन्डीचर है १२८ लाख यानी मद्रास गवर्नमेंट के मुताबिक राजस्थान गवर्नमेंट कॉपी कर लेती....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वहां पर सेपेरेशन ऑफ एग्ज़ीक्यूटिव एन्ड जुडीशियरी भी है। यह फीस सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी के बाद की है।

श्री श्रीभानसिंह : मैं वह जानकारी दे रहा हूँ जो कि आपको नहीं है उसको सुन लें। उसके बाद में यह जानकारी भी ले लूंगा जो कि आपके पास में है। पहले मैं वह दे देता हूँ और बाद में मैं ले लूंगा। मद्रास के अन्दर इन्कम हो रही है और आप कहते हैं कि वहां पर सेपरेशन ओफ जुडिशियरी है तो सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी से इन्कम नहीं कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिह : इन्कम नहीं कर सकते हैं लेकिन एक्सपेन्डीचर बढ़ेगा। सेपरेशन से एक्सपेन्डीचर बढ़ेगा। This is natural.

श्री श्रीभानसिंह : Hon'ble membea this is not in 1954-55. From the rec·

Page No 82

(श्री श्रीभानसिंह)

eipt of the court fees, they were getting 135 lacs. This was their income and their expenditure was 128 lacs. So how is it natural? आपकी समझ में नहीं आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : समझ में तो आपके नहीं आ रहा है।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जुडीशियरी के सेपेरेट होने से एक्सपेन्डीचर बढ़ेगा, लेकिन मद्रास में तो जुडीशियरी के सेपेरेट होने से एक्सेस हुआ है, सेपेरेट होने से एक्सपेन्डीचर नहीं बढ़ा है। लेकिन इन्कम जो बढ़ गई है, तो, उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि उन्होंने सजेस्ट किया कि मद्रास की कॉपी करनी चाहिए तो नतीजा यह होता कि राजस्थान में कोर्ट फीस दुगुनी करनी चाहिए थी उससे रेवेन्यू लेनी चाहिए थी·······

श्री भैरोंसिंह : मद्रास में कोर्ट फीस राजस्थान के मुकाबले में ज्यादा हो तो कोई भी कोर्ट फीस को पोइन्ट आउट कर दें।

श्री श्रीभानसिंह : शिड्यूल आप देख लें।

श्री भैरोंसिंह : वह शिड्यूल आप देख लें जो कि कानून के ज्ञाता बन रहे हैं और एक भी पोइन्ट बता दें कि मद्रास में ज्यादा है।

श्री श्रीभानसिंह : आप पढ़े लिखे नहीं होते तो मैं बता देता। एपेन्डिक्स ३ ऑफ दी टैक्सेशन एन्क्वायरी कमीशन को आप देखलें। It is not my responsibiliy. The book is in the library. You go and see. You have got legs.

तो, उपाध्यक्ष महोदय, एपेन्डिक्स ३ में पूरी लिस्ट दी हुई है उसको कम्पेअर कर सकते हैं। अगर उनको जानकारी नहीं होती तो बता देता। राजस्थान गवर्नमेंट ने रेवेन्यू नहीं लगाई है और रेवेन्यू कोर्ट फीस से नहीं हो रही है। आप कहते हैं कि गरीबों पर टेक्स लगाये जाते हैं। वे फीस और टैक्सेशन में डिफरेंस ही नहीं समझते। डिफरेन्स बिटवीन फीस एन्ड टैक्सेशन नहीं समझते हैं, फिर भी यह गरीबों पर नहीं है। कोर्ट्स का मेन्टीनेन्स जरूरी है। उस मेन्टीनेन्स के लिए हरेक नागरिक की रेस्पोन्सिबिलिटी है कि कन्ट्रीब्यूट करे और कन्ट्रीब्यूशन के लिए बढ़ाया जा रहा है और नयी मिसाल नहीं दी जा रही है। अगर न्याय को उस लेवल पर लाना है तो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की कोस्ट है, उस लेवल पर कोर्ट फीस बढ़ाई गई है। गरीबों के राइट्स हैं उनके लिए यह कह दिया कि कोर्ट फीस बढ़ा कर उन लोगों के लिए न्यायालयों को बन्द कर दिया है, सो वे बन्द नहीं किये गये हैं।

फिर यह कहा जाय कि इस तरह से जैसा कि मैंने बताया कि इन्कम राजस्थान गवर्नमेंट को होती नहीं और दूसरा यह कि जस्टिस जो है वह मंहगा हुआ नहीं और तीसरा यह कि रेवेन्यू उससे नहीं हो रही है, जब ये तीनों चीजें पूर्ण नहीं होती तो मैं नहीं समझता कि फिर बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेज कर किस लिये डिले किया जाय? यह मेरी समझ में नहीं आता।

दूसरा यह भी मान लें, उनके इस आर्ग्युमेंट को मान लूं कि कोर्ट फीस से गवर्नमेंट को रेवेन्यू, थोड़ी आमदनी हो रही है; थोड़ी नहीं, मैं मान कर चलता हूँ कि काफी आमदनी

(श्री श्रीमानसिंह)

हो रही है, जैसा कि उन्होंने कहा, तो उनकी एक डिमाण्ड है और वह डिमाण्ड है सेपरेशन ऑफ दी एक्ज़ीक्यूटिव एण्ड जुडीशियरी यानी इसको बिल्कुल अलग कर देना चाहिए, मगर उस सेपेरेशन के फीसकर कॉन्सिक्वेन्सेज़ होंगे। कहां से उस डेफिसिट बर्डन को बियर किया जायेगा ? जब टैक्स लगाते हैं तो टैक्स का यह क्रिटीसिज्म होता है कि वह तो गरीबों पर लगता है। उनका वह मान लिया जाय, अगर उनकी इस डिमाण्ड को फुलफिल कर लिया जाय और जुडीशियरी को एक्ज़ीक्यूटिव से सेपेरेट किया जाय और जो ग्रेजुअल प्रोसेस राजस्थान गवर्नमेंट ने एडाप्ट किया है कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट्स को डाइरेक्टली जुडीशियरी के अन्दर रखा है ग्रेजुअल प्रोसेस से धीरे धीरे सेपरेशन करती जा रही है ; तो आखिर उनके मेन्टीनेन्स के लिए कहां से कोई तो सोर्स चाहेंगे और वह सोर्स वही हो सकता है कोर्ट फीस का। कोर्ट फीस के सोर्स से हम थोड़ी आमदनी लेंगे और थोड़ी रखते हैं और धीरे धीरे उनकी डिमाण्ड के मुताबिक सेपेरेट कर दें तो कौन सा अन्याय हो रहा है, जिस अन्याय को वे राजस्थान से मिटाना चाहते हैं; जिसके लिए हमेशा उनका चार्ज रहता है इस हाउस के अन्दर कि एक्ज़ीक्यूटिव को गवर्नमेंट इन्फ्लुएन्स करती है। इन्फ्लुएन्शियल पीपल जो हैं उनके जजमेंट और डिसीज़न्स को डिस्टेर्ट करा देते हैं। एक्ज़ीक्यूटिव से पॉवर लेने के लिए, राजस्थान के अन्दर इम्पार्शियल और चीप जस्टिस देने के लिए एक्ज़ीक्यूटिव और जुडिशियरी को सेपेरेट करना चाहते हैं, श्री अगर हम एग्ज़ीयूटिव और जुडिशियरी को सेपरेट करते हैं और उसके जो फाइनेन्शियल बर्डन, कॉन्सिक्वेन्सेज़ और रिपर्कशन्स आते हैं उनके लिये कोर्ट फीस लगाते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि राजस्थान सरकार किस प्रकार का अन्याय कर रही है। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि जो ऑब्जेक्शन्स उठाये हैं वे ज्यादा नहीं हैं, इन पर काफी बहस हो चुकी है। मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापिस लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Ministee

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी व कर मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष, धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सुझाव रखा है कि जो कोर्ट फीस विधेयक हमारे सामने है,उसको फिर से प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जिसने कि रिपोर्ट पेश की है।

यह तो वे खुद ही मानते हैं कि उस प्रवर समिति में १७ मेम्बर्स ऐसे थे जो एडवोकेट थे। तो ऐसी सूरत में उन्होंने इस बिल पर विचार नहीं किया हो, यह समझ में आनेवाली बात नहीं है। खास कर इस सूरत में जब कि इस कमेटी की ६ बैठकें हुई और लगातार इस बिल पर गंभीरतापूर्वक विचार किया और जैसा उनकी समझ में आया वैसा रखा। यही नहीं बल्कि जयपुर के बार एसोसियेशन ने एक रिप्रेज़ेन्टेशन भेजा कि हमको भी उसके सामने सुना जावे और मैं कह सकता हूँ कि बार एसोसियेशन के लीडिंग मेम्बर्स कमेटी के सामने आये और उन्होंने अपने व्यू पोइन्ट्स इस बिल के बाबत रखे जिनको ध्यानपूर्वक सुना गया और उसके बाद कमेटी ने जैसा फैसला किया वह आपके सामने है।

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

कई माननीय सदस्यों ने इस प्रकार के कई किस्म के ऐतराज उठाये हैं। श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह ऐतराज उठाया कि राजस्थान की फाइनेन्स इन्क्वायरी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक इस बिल को संशोधित करने की कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने जहां जहां पर इस बिल का जिक्र किया है, कोर्ट फीस का इसमें हवाला दिया लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको उन्होंने पढ़ा नहीं है क्योंकि इसमें कहीं लिखा नहीं है कि एडवेलोरम फीस नहीं बढ़ाई जायगी....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : इसमें रेवेन्यू रिसोर्सेज़ नहीं बढ़ाये जांय, इसके लिये पैराग्राफ १८ पढ़ लीजिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह तो मैं आगे बताऊंगा। उन्होंने जो लिखा है वह यह है कि मद्रास में और बहुतसी दूसरी स्टेट्स में ऐसा हुआ है, उनकी मंशा है कि इस लॉ को कन्सोलिडेट किया जाय और चेन्ज किया जावे। कुछ स्टेट्स;जैसे मद्रास ने इसको चेन्ज करके कंसोलिडेट किया है उस हिसाब से राजस्थान को भी आदेश दिया या सलाह दी कि वे भी मद्रास के अनुरूप अपने एक्ट में चेन्ज़ेज करें। जैसे भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने आपके सामने बताया कि आपने जैसा जिक्र किया था कि एडमिनिस्ट्रेशन पर जो खर्चा आता है उससे ज्यादा आमदनी नहीं होनी चाहिये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने यहां राजस्थान में ६१–६२ के बजट में जो इससे आमदनी होगी कोर्ट फीस का नया एक्ट लागू होने के बाद वह होगी ५२.१५ लाख और एडमिनिस्ट्रेशन का जो खर्चा होगा वह होगा ५५ लाख और कुछ हजार। अब भी एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा नया कोर्ट फीस एक्ट लागू होने के बाद भी अधिक रहेगा।

धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि जैसे भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था उन्होंने नॉन जुडिशियल की आमदनी को जिसका कोर्ट फीस से ताल्लुक नहीं है उसको भी शामिल कर लिया जिसकी आमदनी ७८ लाख है, वह नॉन जुडिशियल को है....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : जुडिशियरी की आमदनी कितनी है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : नया कोर्ट फीस एक्ट लागू करने के बाद हम आशा करते हैं कि १० लाख रुपये ज्यादा होंगे यानी कुल ५२ लाख १५ हजार की आमदनी होगी।

डॉ० बहादुरसिंह : फिर भी मुनाफा होगा। ५५ लाख का खर्चा होगा?

श्री रामचन्द्र चौधरी : ५५ लाख का खर्चा होगा, इसलिये जो फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी की बात कर रहे हैं वह भी इसमें लागू नहीं होती।

दांता से आने वाले माननीय सदस्य ने एतराज किया था कि न्याय पंचायतें जो नयी बनी हैं उनको भी गरीब आदमियों पर कोर्ट फीस लगाने का अधिकार दिया है। मेरे ख्याल से उन्होंने पंचायत समिति और जिला परिषद् एक्ट को देखा नहीं है, क्योंकि पंचायतों और न्याय पंचायतों का कोर्ट फीस एक्ट से ताल्लुक नहीं है। उनके लिये अलग नियम हैं, उनके

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

नीचे कोर्ट फीस लेंगे। इससे उनका ताल्लुक नहीं होगा। उसके लिये दफा १३७ है पंचायत समिति एक्ट की जिसके नीचे अलग वसूल करेंगे। इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है।

झुन्झुनू से आने वाले माननीय सदस्य ने भी ऐतराज किया। वे भी वकील हैं। जैसे एडोप्शन या पार्टिशन इस किस्म के सूट्स हैं उन पर ५० रुपये ५ हजार की मालियत पर रखे हैं और उसके ऊपर १००) रुपये एक दम कर दिये। वे कहते हैं कि ऊपर की मालियत के लिये अलग ग्रेडेशन होना चाहिये। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किस हद तक ग्रेडेशन करें ? १०) रु० पर करें क्या ? वे कहते हैं, इसे सिम्पलीफाइ करें। लेकिन आप जितना ग्रेडेशन करेंगे उतना ही डिफिकल्ट होगा और समझ में नहीं आवेगा कि क्या बनाया। इसलिये ५ हजार से ऊपर चाहे ६ हजार का हो या ५० हजार का हो उस पर कोर्ट फीस रख दी है १०० रुपये। सिम्पलीफाइ करने के लिये रखा है, डिफिकल्ट बनाने के लिये नहीं।

बहुत से माननीय सदस्यों ने यह भी ऐतराज किया कि गरीबों के साथ बड़ा अन्याय होगा यदि कोर्ट फीस बढ़ा दी गई तो। जैसा कि मैंने आप से अभी निवेदन किया मद्रास, बम्बई, यू० पी०, मध्य प्रदेश आदि बहुत से राज्यों में हमसे पहले ही कर दिया है। आन्ध्र और मैसूर में भी कोर्ट फी एक्ट को कंसोलिडेट करके कोर्ट फीस बढ़ा दी गई है। यू० पी० में तो अब भी हमसे दुगुनी है, नीचे से नीचे १०) रुपये और ऊपर से १५ रुपये रखे हैं। बम्बई में भी ज्यादा है। मद्रास को देख कर हमने अमेन्ड करने की कोशिश की है मैसूर में भी हमसे ज्यादा है। जिस समय सिलेक्ट कमेटी में विचार किया जा रहा था उस समय सारी स्टेट्स जो इंडिया में हैं उनके कोर्ट फीस एक्ट मंगा कर देख लिये थे। उनमें जैसा प्रावधान था उनको देख कर हमारे यहां यह प्रावधान सिलेक्ट कमेटी ने रखा है। अगर आप यह चाहें, जैसा कई माननीय सदस्यों ने यह प्रपोज किया था, कि कोर्ट फीस होनी ही नहीं चाहिये तो इसका मतलब यह होगा कि आपकी आज जो अदालतें हैं उनसे चौगुनी अदालतें करने के बाद भी जस्टिस नहीं कर पायेंगे क्योंकि फेबुलस और बिना जरूरत के दावे आपकी अदालतों में इतने होंगे कि कहीं जाकर ठहर नहीं सकेंगे। इसलिए आज से नहीं, ९० साल पहले कोर्ट फीस एण्ड वेल्युएशन ऑफ सूट्स एक्ट बना था १८७० में, तब से साढ़े सात पर्सेन्ट से शुरू करके कोर्ट फीस कायम की गई थी। उसके बाद इतनी चेंजेज़ आई हैं, उसमें भी हमने कोई खास रकम नहीं बढ़ाई है। इससे मालूम होगा कि साल भर में ज्यादा से ज्यादा १० लाख की आमदनी हो सकेगी अगर हमारा सही अन्दाज निकला तो। तो १० लाख की कोर्ट फीस सारे राजस्थान में बढ़े, यह कोई बड़ी बात नहीं है। इन सब बातों को देखते हुए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य, जो धौलपुर से आने वाले हैं, ने सजेशन रखा है उसको वापिस लें, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा विचार करके सिलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट दी है, दुबारा इसको वहां भेजने से कोई खास मतलब नहीं निकलता है। इसलिए जो अब दुबारा प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए रिजोल्यूशन

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

आपने रखा है उसको आप वापिस लें और इस बिल को पास करें।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मैंने सदन के सामने रखा है उसको वापिस लेने की इजाजत दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव, विधेयक को प्रवर समिति को पुनः सुपुर्द करने के सम्बन्ध में डॉ० बहादुरसिंह ने प्रस्तुत किया है, उसको वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(मतदान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता........

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): 'ना' पक्ष जीता।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): 'हां' पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह : 'ना' पक्ष जीता।

श्री पुरुषोतमलाल शर्मा : 'हां' पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह : 'ना' पक्ष जीता।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापिस ले रहा हूं, तो कोई सवाल नहीं है।

'ना' पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष (श्री सचिव से) : Ring the bell please.

(मत-विभाजन घन्टी)

प्रश्न यह है कि राजस्थान कोर्ट फीस एण्ड सूट्स वेल्युएशन बिल, १६६० को पुनः प्रवर समिति के सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव डॉ० बहादुरसिंह ने प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया........

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : वापिस लिये जाने की........

श्री उपाध्यक्ष : वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कोर्ट फीस एण्ड सूट्स वेल्युएशन बिल, १६६० को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

Clauses 2 to 23 No amendments.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज २ से २३ तक........

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : नहीं साहब, इस पर बोलना है, क्लॉज़ ७ पर।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज २ से लेकर ६ तक विधेयक के अंग बनें ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज २ से ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ ७

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ७ में मार्केट वेल्यु डिटर्मिन करने के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है। मार्केट वेल्यु के सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, जो कोर्ट फीस के लगाने का प्रावधान रखा है, वह प्रावधान जो मार्केट वेल्यु डिटर्मिन की जायगी उसके आधार पर लागू किया जायगा। मार्केट वेल्यु प्रेस्काइब करके सरकार ने यह व्यवस्था की है कि जिस तरह से कई जमीनों के सम्बन्ध में कई मसले आते हैं, बाकी प्रोपर्टी के सम्बन्ध में कई मसले आते हैं उसमें जिस तरह से क्लॉज़ ७ की सब क्लॉज़ (२) के पार्ट (ए) में लिखा है :
"Where rent in respect of such land has been settled, twenty-five times the rent rate sanctioned therefore during the last settlement........"

इसमें हमारी सरकार ने जो सेटलमेंट की रेट्स प्रेस्काइब करने के सम्बन्ध में या किसी एग्रीकल्चरल लैंड को आबादी की लैंड में कन्वर्ट करने के सम्बन्ध में जो मार्केट वेल्यु के लिए प्रोसीजर प्रेस्काइब किया है उसके आधार पर जहां तक मार्केट वेल्यु लैंड की निकालने के लिए जो आपने व्यवस्था की है अब तक उसके अनुसार २० टाइम्स का प्रावधान रखा गया था लेकिन यहां २० टाइम्स के स्थान पर २५ टाइम्स की व्यवस्था की है। अब तक सरकार ने जितने भी कानून बनाये हैं उन कानूनों में सरकार की आमदनी का मुख्य रूप से प्रश्न रखा है, चाहे एग्रीकल्चरल लैंड को आबादी में कन्वर्ट करना हो, खातेदारी राइट्स को ट्रान्सफर करना हो, सेटलमेंट के बारे में पिछले रेकार्ड से हमें कोई एवरेज निकालना हो, लैंड के ऊपर जितने भी किसी प्रकार के कर-भार या अन्य प्रकार के भार आ सकते हैं उन भारों के सम्बन्ध में उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए लैंड का वेल्यूएशन के सम्बन्ध में अब तक व्यवस्था की है उसके अनुसार २० टाइम्स की हमने व्यवस्था की है लेकिन यहां पर २५ टाइम्स की जो व्यवस्था हुई है उससे ऐसा लगता है कि कोर्ट फीस के नाते हमारी सरकार ज्यादा कोर्ट फीस मसले पर ले सके। इसलिए २० टाइम्स की जगह २५ टाइम्स की व्यवस्था उन्होंने की है। जहां पर सेटलमेंट नहीं हुआ है जैसा लिखा है उन्होंने पार्ट (बी) में:
"Where rent in respect of such land has not been settled, twenty-five times the rent rate sanctioned during the last settlement for similar land in the neighbourhood." अब जहां पर सेटलमेंट नहीं हुआ है वहां पर भी हमने २५ टाइम्स की व्यवस्था की है। दोनों स्थितियों के अन्दर कुछ ऐसा लगता है कि सरकार अन्य मसलों में जहां रेट के ऊपर, लगान के सम्बन्ध मे, उससे अलग से नियम निर्धारित

(श्री भैरोंसिंह)

करती है, लेकिन वेल्यूएशन के ऊपर आज कोर्ट फीस के नाते सरकार को कोई आमदनी मिलती है तो उस आमदनी के लिए उस लैंड की ज्यादा वेल्यु बढ़ा कर जो कोर्ट फीस मिल सकती है उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए सरकार चेष्टा करती है। मैं ऐसा समझता हूं कि जहां तक लैंड डिस्प्यूटस के मामले हैं, लैंड के मामलों को लेकर कोर्ट में कोई जायगा तो उसके अन्दर राजस्थान के ज्यादातर किसान ही आयेंगे । जहां किसानों का सम्बन्ध आता है तो हमें वेल्यूएशन के मसले पर इस स्थिति के अन्दर किसी प्रकार का अन्तर नहीं रखना चाहिये, जिसके कारण कोर्ट फीस ज्यादा हो सकती हो। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि २५ टाइम्स किस आधार पर रखी गई है जब कि इस कानून के अन्दर जिस समय यह ओरीजिनल बिल सदन में प्रस्तुत हुआ था उस समय २५ टाइम्स नहीं था ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी एवं कर मन्त्री) : वह तो ३० टाइम्स था।

श्री भैरोंसिंह : यही अर्ज कर रहा हूं । जहां ३० टाइम्स थी वहां पर सरकार का कर्तव्य यह होता है कि वह २०टाइम्स के ऊपर ले आती लेकिन यह मैं नहीं समझ पाया कि यह सरकार की कौनसी लॉजिक थी, इसके पीछे कौनसी आर्ग्युमेंट था जिसके कारण वह ३० टाइम्स से कम करके २५ टाइम्स पर आ गई। यदि उनको अब तक की मान्यताओं और व्यवस्थाओं के आधार पर व्यवस्था करनी थी तो ३० से २० पर आना चाहिये था, पर ३० से २० पर न आकर बीच का फिगर २५ मन्जूर करके सरकार ने यह साफ बता दिया है कि टैक्स लगाते समय सरकार की मंशा अधिक से अधिक टैक्स लगाने की रहती है। सरकार ने देखा कि ट्वेन्टी टाइम्स की जगह थर्टी टाइम्स कर दो, बाद में यदि थर्टी टाइम्स का विरोध किया गया तो नेगोसियेशन्स किये जाय कि सरकार थर्टी टाइम्स लेना चाहती है और पहले ट्वेन्टी टाइम्स का है तो बीच का फिगर ट्वेन्टी फाइव टाइम्स स्वीकार कर लिया जाय । इस प्रकार के सिद्धान्त का मैं विरोध करता हूं। कोर्ट फीस के बारे में निर्धारण करना है तो वह लॉजिकल और अब तक की मान्यताओं के आधार पर होना चाहिये। बिना किसी आधार के नेगोसियेशन्स के आधार पर बीच के फिगर के रूप में स्वीकार कर लिया जाय, यह उचित और न्याय संगत नहीं है । मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे मार्केट वेल्यु की ट्वेन्टी टाइम्स की व्यवस्था को स्वीकार कर लें।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज ७ पर ऑब्जेक्शन आया है कि जो कोर्ट फीस ली जा रही है वह अधिक है, यह काश्तकारों के लिये नुकसानदेह है। इसमें मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन करना होगा । एक तरफ हमारा टीनेन्सी एक्ट चल रहा है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया है, दूसरे हम कोर्ट फीस के बारे में व्यवस्था कर रहे हैं। टिनेन्सी एक्ट के तहत सूट्स फोर इंजक्शन, सूट्स फोर पजेशन, सूट्स फोर इजेक्टमेंट; ये दावे हैं वे रेवेन्यू कोर्ट्स में होंगे।

(श्री आबिदअली)

(३-३० म. प.)

(श्री विशम्भरनाथ जोशी, सभापति, पदासीन)

और इस बिल के तहत प्रेस्क्राइब्ड कोर्ट्स में, सिविल कोर्ट्स में सभापति महोदय, जिनमें प्रोप्राइटरी राइट्स इन्वोल्ड होंगे उन दावों पर यह कोर्ट फीस एप्लीकेबल होगी । बाकी जितने दावे: काश्तकार के इन्जक्शन के दावे, बेदखली के दावे, पजेशन के दावे जिनकी कोर्ट फीस टीनेन्सी एक्ट में प्रेस्क्राइब्ड है, जो नोमिनल है वही होगी । आठ आने में सूट फोर पजेशन में काश्तकार दावा कर सकता है । तो जो एग्रीकल्चर पॉलिसी को हिट करने की बात कही उसके लिये मेरा कहना है कि टीनेन्सी एक्ट में जब तक अमेंडमेंट नहीं हो तब तक हमारे टीनेन्ट्स और काश्तकार तबके पर इस कोर्ट फीस एक्ट का कोई असर नहीं पड़ सकता ।

प्रोप्राइटरी राइट्स का सवाल आता है तो टीनेन्सी एक्ट में दिया हुआ है । उनका दावा सिविल कोर्ट में होगा पर मेरा अनुभव यह है कि टिनेन्सी एक्ट में इतना वाइड अमेंडमेंट कर दिया है जो मैं दूसरे मौकों पर हाउस में बता चुका हूँ कि प्रोप्राइटरी राइट्स के दावे भी कमो बेशी होकर रेवेन्यू कोर्ट्स में ही जाते हैं । ऐसी सूरत में अगर यह बिल पास हो जाता है तो इससे काश्तकारों को कोई नुकसान नहीं होता, उसमें हाउस को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह जो बाजार मूल्य निश्चित करने के बारे में है, भूमि-सुधार के सम्बन्ध में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान की लगान की दरें हैं उनमें एकता न होने से इस प्रकार का व्यवहार होगा कि राजस्थान के जिले हैं, भरतपुर, अलवर, जयपुर-जयपुर में कम है पर खास तौर से मेरी स्टेट थी....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : आपकी खुद की स्टेट थी ?

डॉ० बहादुरसिंह : हां, मैं उसे रिप्रे-जेन्ट करता हूँ, मेरी स्टेट थी । मैं निवेदन करना चाहता हूँ सदन से कि १४ रुपये से २० रुपये तक लगान की दरें हैं । गंगानगर और दूसरे इलाके हैं जहां दो आने और ४ आने की दर है तो बड़ा फर्क पड़ता है । तो धौलपुर के नागरिक अपने केस रखें तो उनको अधिक पैसे देने पड़ेंगे और दूसरी स्टेट में कम लगान है उनको कम पैसे देने पड़ेंगे । तो यह अदालत में जाने की समानता नहीं रहेगी । ऐसी दशा में भूमि का नाप या और कोई दूसरा क्राइटेरिया रखते तो अच्छा होता । संशोधन तो सदन में नहीं है, पर मन्त्री महोदय चाहें तो अपनी तरफ से संशोधन रख सकते हैं । यदि ऐसा संशोधन रख दें तो अच्छा होगा ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने विरोध किया और सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार इस सम्बन्ध में व्यक्त किये । इसके सब क्लॉज (२) की स्पेसिफिक बातें २४ ए. और २६ ए. में हैं ।

दूसरी बात कही कि पहले २० गुना थी, अब २५ गुना क्यों की ? हम सभी जानते हैं

(श्री सोहनलाल भटनागर)

कि रेट्स हर जगह १०-१५ वर्ष पुराने फिक्स किये हुए थे जिस वक्त कि वेल्युएशन कम थीं, रेट्स कम थीं । आज मूवेबल और इम्मूवेबल प्रोपर्टी की वेल्युएशन को देखें तो इनकी कीमत बहुत बढ़ गई है । पर जो लैंड्स हैं उनके वेल्युएशन पर न करके जो लैंड्स का रेंट है उसके मल्टीपल ऑफ रेंट पर रखा है। रेंट दो रुपया, तीन रुपया या चार रुपया है। पर लैंड की वेल्यु कहीं ५०० रुपया बीघा है और कहीं ७०० रुपया बीघा है। तो इसको उस प्रपोर्शन से नहीं बढ़ाया है जो मार्केट वेल्यू है। यह तो २० से २५ किया है। इसलिये जो यह २५ का रखा है वह बिल्कुल ठीक है। इसे ही स्वीकार किया जाय ।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : माननीय सभापति महोदय, यह बात तो समझ में आ सकती है कि मार्केट वेल्यु डिटर्मिन करने के लिये क्या आधार माना जाय, २५ गुना करने से मार्केट वेल्यु आ जाय, यह तो बात समझ में आ सकती है। माननीय सदस्यों ने इस पर जो आपत्ति उठाई थी वह यह थी कि वह आधार क्या है जिसके आधार पर २५ रखते हैं, ५० गुना क्यों नहीं रख देते ? क्राइटेरिया कुछ होना चाहिये, एक्सेसिव न होकर रीजनेबल होना चाहिये। हम कहें तो दूसरा हो सकता है । स्वयं सरकार क्या रीजनेबल समझती है ? किसी आदमी को कोई चीज़ देते हैं तो जिस बाट से, माप से तोल कर आप लेते हैं उसी बाट से तोल कर देना चाहिये। ईमानदारी की बात तो यही है कि जिस नाप से देते हैं उसी नाप से लेना चाहिये, जिस हिसाब से देते हैं उसी हिसाब से खरीदना भी चाहिये । यह ईमानदारी का सीधा, सरल रास्ता है।

सरकार किसी से जमीन लेती है, उस वख्त मार्केट वेल्यु डिटर्मिन करने का क्राइटेरिया है, उसी क्राइटेरिया को देते समय भी रखें तो ठीक होगा। एक्विजिशन के रूप में लेते हैं, सीलिंग में लेते हैं तो २० गुना रखा है। २० टाइम्स उसके रेंट का मुआवजा देते हैं, जब आप कोई जमीन लेते हैं तो २० गुना मुआवजा देते हैं और कोर्ट फीस लेते हैं तो २५ गुना बताते हैं, ताकि आपको घर से देना नहीं पड़े और सामने वाले आदमी को ज्यादा कोर्ट फीस देनी पड़े । तो यह रीज़नेबल नहीं होगा। जब देखा कि २० गुना रीज़नेबल नहीं होगा, ३० गुना रीजनेबल नहीं होगा तो बीच में पाली वाली पंचायती करके २५ गुना रख दिया। यह तो कोई रीज़नेबल बात नहीं थी। पहले ३० का रखा, और ३० की जगह ४० गुना कर देते या ५० गुना कर देते अगर कम कर देते तो भी वह जस्टिफाइड नहीं था। चाहिये तो यह था कि लैन्ड एक्वीजिशन के द्वारा आप जिस तरह से लेन्ड लेते हैं और उसका मुआवजा देते हैं उसी प्रकार कोर्ट फीस लगाते हुए भी २० गुना पर ही लेना चाहिये। समझ में नहीं आता कि आपका तरीका क्या है ? इसके लिये सीलिंग एक्ट में आपका दूसरा तरीका है, टिनेन्सी एक्ट में दूसरा तरीका है। तो यह तो येन केन प्रकारेण सरकार झांपने के लिये यह कर रही है। जिस प्रकार दूसरे कानूनों में रखा हुआ है उसी तरह से रहना चाहिये। इसलिये २५ गुना के बजाय २० गुना ही रखना चाहिये।

Page No 91

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): सभापति महोदय, यह कहा गया कि २५ गुना क्यों रखा गया, ३० गुना के बजाय २५ गुना क्यों रखा, इसका क्या आधार था ? मैं आपको बताऊं कि यह आधार था। टिनेन्सी एक्ट में खातेदारी राइट्स के लिये जो है उसमें इर्रिगेशन के लिये ३० गुना और बिना इर्रिगेशन के लिये अलग। दोनों के दर्मियान को क्या रेट होती है उसको देख कर २५ गुना कर दिया।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : यह कौनसा तरीका है ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : जब खातेदारी राइट्स लेने जावेंगे तब उससे ३० गुना लेंगे। बिना इर्रिगेशन के २० गुना। तो ऐसी स्थिति में २५ गुना रख दिया वह ठीक ही रखा है।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा): सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि खातेदारी राइट्स में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है ! बैरानी जमीन का १५ गुना और चाही का २० गुना होता है उस हिसाब से देखा जावे तो १७॥ गुना हिसाब से आता है। अगर ऐसा होता तो हम मानने के लिये तैयार हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : सरकार के लेने और देने की बात अलग अलग है।

श्री शिवनाथसिंह : यह जो माननीय सदस्य किशनगढ़ से आने वालों ने कहा कि २५ गुना ठीक है वह तो ३० गुना भी हो सकता है। मगर मैं यह कहूंगा कि किसी सिद्धान्त को लेकर चलते तो ठीक है। जब आपने मुआवजे के लिये या लैन्ड एक्वीजिशन के लिये बारानी का १५ गुना और चाही का २० गुना माना है तो कोर्ट फीस के लिये २५ गुना कीमत मानते हैं तो मैं यह कहूंगा कि इसमें कोई न्याय नहीं है। इसलिये मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहूंगा कि जो २० गुना वर्तमान स्टेट ने मान
ही रहने देना चाहिये।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : सभापति महोदय, अभी बहस हो रही उसमें धारा वाइज विचार हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जमीन की कीमत बढ़ जाती है तो उनको १००) रुपये बीघा या ७५) रुपये बीघा पर जमीन मिलती नहीं है। जहां तक राजस्थान सरकार की मंशा है मार्केट रेट पर रखने की इसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि मार्केट रेट पर नहीं होना चाहिये। वह तो उसी आधार पर निश्चित करना चाहिये कि उसने खातेदारी राइट्स किस रेट से हासिल किये हैं। मैं यह समझता हूं कि एक जगह एक कानून और दूसरी जगह दूसरा कानून लागू हो, यह उचित नहीं है। जहां टैक्सेशन या कोर्ट फीस के लगाने का प्रश्न आए तो आप उसको २५ गुना करें और जहां खातेदारी के हक देने का प्रश्न हो वहां पर १५ गुना और २० गुना करते हैं। मैंने पहले कहा है कि बारानी पर १५ गुना और चाही पर २० गुना रखना ठीक होगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि आज हम देखते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है। जो व्यक्ति ताकतवर होता है वह कमजोर को दबा देता है। यह परम्परा सदा से चली आई है। जिन लोगों का राज्य सरकार के अधिकारियों पर

(श्री सम्पतराज जैन)

असर होता है वे आम तौर से गरीबों की जमीन दबा लेते हैं। अगर वे लोग दावा करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती और इसका नतीजा यह होता है कि आखिर उनको दीवानी दावा करना पड़ता है। जब कब्जा लेने के लिये दीवानी दावा करेंगे तो उनको २५ गुना रकम पर कोर्ट फीस देनी होगी। यहां पर यह कहा जाता है कि मालदारों पर यह असर पड़ेगा गरीबों पर नहीं।

(समय–समाप्ति–सूचकघंटी)

मालदार या ताकतवर आदमी सरकारी अधिकारियों से मिल-जुल कर या तहसीलदारों से मिल–जुल कर जबरन कब्जा कर सकते हैं और उसको बनाये रखते हैं और आखिर अपने दावे के लिये कोर्ट में जाकर ही अपने हक हासिल करने होंगे। इसलिये गरीब आदमी भी कोर्ट में जावेंगे। उनको अधिक कोर्ट फीस देनी होगी और इसका असर उन गरीबों पर अवश्य पड़ेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि १५ गुना बारानी पर और चाही पर २० गुना रखा जावे।

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी व कर मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों ने क्लॉज़ ७ पर यह एतराज उठाया है कि २५ गुना क्यों रखा गया? जब मैंने अभी निवेदन किया था कि राजस्थान में यह जो कानून बनाया जा रहा है वह मद्रास के एक्ट के तहत, मद्रास ने एक्ट बनाया है उस पर ही यह आधारित किया गया है और मद्रास के एक्ट में इसके लिये जो क्लॉज़ है वह भी क्लॉज़ ७ ही है :

"Thirty times the survey assessment of the land.

उसमें भी ३० गुना ही रखा है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : इसके साथ यह भी जानना जरूरी है कि जो टिनेन्सी एक्ट में मुआवज़े की रेट रखी है वह क्या है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : लैन्ड रेवेन्यू एक्ट में ३० टाइम्स है।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : जमीन लेते हैं तब उनको क्या देते हैं? वह भी मद्रास में ३० गुना देते होंगे?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह जो दलील दी है वह इस बात पर आधारित है कि जब कोई आदमी किसी की जमीन दबा लेगा तो उसको दीवानी अदालत में जाना होगा और उसको ज्यादा कोर्ट फीस देनी होगी, तभी अपनी जमीन का कब्जा कर पाएगा। ट्रेसपासर को कितना देना है यह टिनेन्सी एक्ट में जो कोर्ट फीस मुकर्रर है वही रहेगी। यह उन्हीं लोगों पर लागू होगा जिनके जमीन के झगड़े होंगे। कोई यह कहेगा कि यह जमीन मेरी है और दूसरा यह कहेगा कि यह मेरी है। बाकी के झगड़ों में यह कोर्ट फीस लागू नहीं होगी। बाकी के लिये जो टिनेन्सी एक्ट में लागू है वही होगी। इसलिये भावना यह बहुत सही नहीं है कि इससे किसान लोगों को बहुत दिक्कत पेश आवेगी। इसलिए जैसा मैंने पहले निवेदन किया था कि इसकी कमेटी थी उसमें १७ आदमी एडव्होकेस थे जो कम ही कम करने के पक्ष में

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

थे । कोर्ट फीस कम की जावे, उस हिसाब से चाहते थे । इसलिए पहले ही ३० से २५ गुना कम कर दी गई और अब गुंजाइश नहीं है कि और कम कर दी जाय । टिनेन्सी एक्ट के अन्दर आप बताते हैं । जमीन पर एक का कब्जा है और बेदखल नहीं कर सकते । उसका इतना ही अधिकार होता है कि उसको बेदखल नहीं कर सकते तो कीमत भी कम लेते हैं । टीनेन्सी एक्ट में अधिकार देते हैं । पहले के जिनको अधिकार होते हैं उनको अधिकार मिलते हैं । इसलिए आपकी वह एनेलोजी इसमें लागू नहीं होती है । इसलिए सिलेक्ट कमेटी ने जो रखा है वह वाजिब है और इसको मंजूर करना चाहिये ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, क्लॉज़ ८, मैं समझता हूं, मूव हो चुका होगा ।

श्री सभापति : There is no amendment tabled.

श्री तनसिंह : निगेटिव अमेंडमेंट होता है वह तो वैसे ही पास नहीं करते....

श्री सभापति : You want to speak on...That is all right.

श्री तनसिंह : इस क्लॉज़ ८ में यह दिया हुआ है :—

"A written statement pleading a set off or counter claim shall be chargeable with fee in the same manner as a plaint."

माननीय सभापति महोदय, यदि कोई दावा दायर करता हो और उसके जवाब में कोई जवाब दावा पेश करता हो, उदाहरण के लिए मान लीजिये कि एक आदमी ने हजार रुपये का दावा दायर किया, जवाब देने वाला, जिस पर दावा किया गया है, हजार रुपया तो वह जरूर मानता है अमुक खाते के द्वारा, लेकिन उसके सिवाय जिस व्यक्ति ने दावा किया है उसमें भी वह कहता है मैं मांगता हूं हजार रुपया, तो उसका दूसरा दावा होगा जिसके लिए उसके पास दूसरा लिखा हुआ है उसके आधार पर, कहता होगा कि इसने मेरे से हजार रुपये लिये । तो दो आदमी एक दूसरे से हजार हजार रुपया मांगते हैं । इस तरह से एक दावा करने वाला और दूसरा काउन्टर क्लेम करने वाला सेट ऑफ रखता है, एक तरफ डिफेन्डेन्ट है और एक तरफ प्लेन्टिफ है, एक तरफ प्लेन्टिफ है और दूसरी तरफ डिफेन्डेन्ट है, तो दोनों से पूरा का पूरा कोर्ट फीस ले लिया है । यह ठीक नहीं है । सेन्ट्रल कोर्ट फीस में भी आधा होगा । वह मिला नहीं, मैं देख नहीं सका । मान लीजिये कि वह पूरा होगा तो भी यह जंचता नहीं है, रीज़नेबल नहीं मालूम होता है । इसलिए नहीं जंचता है कि एक ही चीज़ के सिलसिले में जिस पार्टी या जिस मामले के लिए कोर्ट फीस भरता है, दूसरे आदमी से दूसरी बार उतनी की उतनी ही कोर्ट फीस

(श्री तनसिंह)

मांगना उचित नहीं मालूम होगा। इसलिए इसको डिलीट कर देना चाहिये।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): सभापति महोदय, आपका यह सवाल है कि स्टे ऑफ वाले से भी कम लेना चाहिये। एक आदमी एक हजार रुपये का दावा करता है और दूसरे आदमी के पास पांच सौ का दूसरा खत लिखा हुआ है और वह स्टे ऑफ मांगता है। यह नहीं कहता कि हजार की एवज में पांच सौ दे दिये। वह अलग बात है। अलग दावा करने जावेगा तो कोर्ट फीस लगेगी। एक हजार का नहीं जाता और पांच सौ पर कोर्ट फीस क्यों लगाते हैं? सैकड़े का हिसाब लगाते हैं। जो खुद क्लेम दायर करता है और मांगता है उस स्थिति में कहा जाय कि स्टे ऑफ वाले को कम किया जाय। यदि इसको नहीं रखते तो क्या स्थिति होती? उतनी की उतनी ही कोर्ट फीस देनी पड़ती। इसलिए माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है वह गलत है।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर): सभापति महोदय, स्टे ऑफ एक लॉजिक और रिलीफ के आधार पर होता है। स्पेसिफिक डिफेन्डेन्ट क्लेम करता है। जितना अमाउन्ट प्लेन्टिफ से लेना है वह एक मुजरा प्ली है स्टे ऑफ की। किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि क्लॉज़ नहीं होता तो क्या हर्ज था। मैं कहूंगा कि यह क्लॉज़ होना बहुत जरूरी है। इससे मल्टीप्लिकेशन ऑफ लिटीगेशन नहीं होता है। अगर यह नहीं होता तो डिफेन्डेन्ट पांच सौ क्लेम नहीं कर सकता था। अदालत के सामने रिलीफ सीक करेगा कि उसको पांच रुपया मुजरा दे दिया जाय। रिलीफ नहीं दिया जाता तो डिफरेन्ट सूट दायर करके कर सकता है। डिफेन्डेन्ट को एक प्ली दी गई है, बजाय डिफेन्डेन्ट दावा दायर करे, स्टे ऑफ मिल जाय। अपने को डिफेन्ड करने के लिए वकील उसमें करेगा। डिफरेन्ट सूट उसके लिए करना पड़ेगा। तो दुबारा खर्चा उसको करना पड़ेगा। स्टे ऑफ की जो प्ली है इसका लॉजिक यह है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ लिटिगेशन न होकर डिटर्मिनेशन हो जाय। जो कोर्ट फीस प्लेन्टिफ से लेते हैं उस हिसाब के आधार पर डिफेन्डेन्ट से भी होनी चाहिये। कॉन्शियस भी यही कहता है और मोरल भी यही कहता है कि प्लेन्टिफ और डिफेन्डेन्ट दोनों से अलग अलग तरह का बर्ताव न किया जाय, समान बर्ताव हो। इसलिए स्टे ऑफ के लिए जो प्रोविजन दिया गया है वह बिल्कुल उचित है।

श्री रामचन्द्र चौधरी (पृथक राजस्व मंत्री): माननीय सभापतिजी, बाड़मेर से आये माननीय सदस्य ने एतराज उठाया था और किशनगढ़ से आये माननीय सदस्य के और सवाई माधोपुर से आये माननीय सदस्य ने जवाब दिया वह ठीक है। उसके पहले ही एग्ज़िस्टिंग कोर्ट फीस एक्ट में प्रोविज़न है वह यही है। यह नया एतराज कैसे उठाया, ६० साल से तो नहीं उठाया है। नये रूप से आ गया जब यह एक्ट आपके सामने आया ....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): राम राज्य की ओर से आया है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : दो लेवल मुद्दई और मुद्दायला को नहीं ट्रीट कर सकते। अलग क्लेम करे तो कोर्ट फीस वही देनी पड़ेगी। १८७७ से प्रोविज़न चला आ रहा है, उसमें गुन्जाइश मेरे ख्याल से नहीं है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज ८ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ६

(४ म. प.)

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदय, इस क्लॉज़ में जिस प्रकार के वर्डिंग्ज़ यूज़ किये गये हैं वे क्लियर नहीं हैं। मैं अपना रीज़न देने से पहले माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ को डेफर कर दिया जाय, इसे वापिस देख लिया जाय। रीज़न्स मैं दे रहा हूँ:-

"9- Documents falling under two or more descriptions-Subject to the provisions of the preceding section, a document falling within two or more descriptions in this Act shall, where the fees chargeable thereunder are different, be chargeable only with the highest of such fees :"

इसके अन्दर जो शब्द यूज़ किया है वह डॉक्युमेन्ट है। डॉक्युमेन्ट का सम्बन्ध कोर्ट फीस से किस प्रकार से हो गया ? डॉक्युमेन्ट्स का साधारणतया स्टाम्प एक्ट से वेल्युएशन होता है। डॉक्युमेन्ट का मतलब प्लेन्ट, रिटन स्टेटमेन्ट, ये चीजें उसमें आती हैं। यहां जिसे प्लीडिंग्ज़ के नाम से कहा गया है :-

"Plaint, written statement, set of, pleadings"

अगर माननीय मन्त्री महोदय और राज्य सरकार डॉक्युमेन्ट का मतलब प्लीडिंग्ज़ से ले रहे हैं तो यह डेफिनिशन गलत हो जायेगी। अगर डॉक्युमेन्ट से मतलब प्लीडिंग से है तो उसको डिफाइन कर दिया जाय कि कौन से डॉक्युमेन्ट्स का मतलब कोर्ट फीस से है। साधारणतया यह स्टाम्प एक्ट में हुआ करता है, इस पर दुबारा विचार कर लें तो ठीक रहेगा, जब कि एक डॉक्युमेन्ट के इन्टरप्रिटेशन से दो मतलब निकलते हैं। इसके अन्दर स्टाम्प एक्ट लागू होता है, सेल डीड हो दो हजार का तो उस पर दो रुपया सैकड़ा के हिसाब से स्टाम्प लगते हैं उस डॉक्युमेन्ट पर। इसी प्रकार मोर्टगेज डीड हो उस पर भी कमी–बेशी स्टाम्प एक्ट के अनुसार स्टाम्प लगते हैं। जहां डॉक्युमेन्ट का सवाल आता है वहां वह स्टाम्प एक्ट के अन्तर्गत आयेगा। इसका कोर्ट फीस एक्ट के अन्दर प्रोविज़न नहीं आ सकता। शायद माननीय मन्त्री महोदय कोई एक्सप्लेनेशन दें, मैं सन्तुष्ट हो सकता हूँ। यदि कुछ इसमें शंका की गुंजाइश है तो इसको डेफर कर दिया जाय।

श्री रामचन्द्र चौधरी (पृथक राजस्व मन्त्री) : सभापति महोदय, वैसे तो सिम्पल सी बात है। ज्यादातर डॉक्युमेन्ट्स पर नॉन जुडिशियल स्टाम्प्स होते हैं, लेकिन जो अदालतों में डॉक्युमेन्ट्स पेश होते हैं उन

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

पर या जो सर्टिफाइड कॉपीज़ होती हैं और जो अदालतों में पेश होती हैं उन पर अदालतों में जो कोर्ट फीस लगती है उससे इनका मतलब है ।

श्री आबिद अली (सवाई माधोपुर) : एक डॉक्युमेन्ट जो अदालत में पेश होता है वह होता है जिसको तावान कहा जाता है जो प्रोपरली स्टाम्प्ड नहीं हो उससे मतलब है, वह तो स्टाम्प एक्ट से गवर्न होगा, उसका कोर्ट फीस से कोई मतलब नहीं ।

श्री सभापति : Is it not clear from the wording used here in the section, "a document falling within two or more descriptions in this Act" ?

श्री आबिद अली : What does it mean: "A document falling within two or more descriptions in this Act"?

जो प्रिसीडिंग सेक्शन है इस पर लाइट थ्रो नहीं करता । हमारा प्रिसीडिंग सेक्शन है वह प्लीडिंग बतलाता है ।

श्री सभापति : There certainly appears to be something anamolous about this section in view of the section 8.

श्री रामचन्द्र चौधरी : सभापति महोदय, इसमें ऐसा है कि शिड्यूल्ड सेक्शन्स ८,६,१५, और १६ हैं, उनमें जिन डॉक्युमेन्ट्स का जिक्र है उससे इसका मतलब है ।

"Subject to the provisions of the preceding section, "

श्री आबिद अली : सभापति महोदय, इसमें अन-हेप्पी वर्ड्स यूज़ किये गये हैं प्रिसीडिंग जो सेक्शन है ८, उसमें तो रिटन स्टेटमेन्ट को प्लीडिंग्ज़ में मानते हैं वहां जो सेट ऑफ की है वह प्लीडिंग्ज़ है ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसको डेफर कर दिया जाय ।

श्री सभापति : I think it is the sense of the House that it should be deferred?

(स्वीकृत)

It is deferred.

(विराम)

Since there are no amendments on clauses 10 to 13, they may be put to vote together.

श्री रामचन्द्र चौधरी (पृथक राजस्व मंत्री) : वे तो सब साथ ही आने चाहिये ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ १०, ११, १२ व १३ विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ १०, ११, १२ व १३ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

Clause 14.

There is an amendment to be moved by Hon'ble Minister.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय, इस पर मंत्री महोदय का अमेंडमेंट सर्कुलेट नहीं हुआ है ।

श्री आबिदअली : मैं इस पर अपने विचार रखना चाहता हूं ।

श्री सभापति : Let the amendment be moved first.

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी मंत्री): माननीय सभापति महोदय, सेक्शन १४ में इस प्रकार है :—

"14. Fee payable on written statements-Where fee is payable under this Act on a written statement filed by a defendant, the provisions of section 11 shall apply to the determination and levy of the fee payable on such written statement, the defendant concerned being regarded for the said purpose as the plaintiff and the plaintiff or the co-defendant or the third party against whom the claim is made being regarded as the defendant."

इसमें थर्ड पार्टी है वह इस एक्ट में नहीं रखा जाना है । थर्ड पार्टी का प्रोविजन नहीं आना चाहिये, इसको डिलीट कराने का मेरा अमेन्डमेन्ट है ।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : For the deletion of the words "or the third party"

श्री सभापति : This is a minor amendment and I think there should be no objection to its being moved. It is permitted.

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : मेरे ख्याल से इसमें रिटन स्टेटमेंट हो, वहां कोर्ट फीस ले सकते हैं There is no such provision in the Act itself. इसमें सेट ऑफ के वर्ड्स आ जाते तो अच्छा हो जाता । रिटन स्टेटमेन्ट जो होगा वह अगर बगैर कोर्ट फीस के पेश हो जाता है, 'सैट ऑफ' वर्ड्स ज्यादा अच्छे रहते ।

श्री रामचन्द्र चौधरी (पृथक राजस्व मंत्री): "सैट ऑफ" की जरूरत तो नहीं है ।

श्री आबिदअली : रिटन स्टेटमेंट में there is no other section in which the fees shall be chargeable,

श्री रामचन्द्र चौधरी : डेफर कर रहे हैं इसके नीचे ले लेंगे ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ १४ में मेम्बर इन्चार्ज ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

(श्री आबिदअली)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १४ एज़ अमेन्डेड विधेयक का अंग बनें।

(स्वीकृत)

Clause 14, as amended stand part of the Bill.

(विराम)

Since there are no amendments on clauses 15 to 23 I think they may be taken to gether.

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : I want to speak on clause 22.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ १५ से लेकर २१ तक विधेयक के अंग बनें ?

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ १५ से लेकर २१ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज २२

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा): क्लॉज़ २२ में

"In the suits hereinafter mentioned, fee shall be computed as follows:—

(a) in a suit for maintenance, on the amount claimed to be payable for one year."

इसी तरह 'बी' पार्ट में है "enhancement or reduction" इसमें भी रिडक्शन होगा, एक साल के लिये होगा, इसके एक साल के अमाउन्ट पर। पार्ट (सी) में है :

"(c) in a suit for annuities or other sums payable periodically, on five times the amount claimed to be payable for one year."

तो इसमें डिस्टिंक्शन रखा है। एक तरफ उसी काम के लिये जो रकम फीस की रखी गई वही उसी तरह के काम के लिये दूसरी जगह पांच गुना रखी गई, इसमें क्या लाजिक है यह समझ में नहीं आया। अगर इसमें कोई खास कारण नहीं है तो एक साल की इक्वेलेन्ट रकम को यहां भी मान लिया जाय, पांच गुना नहीं। यही मेरा निवेदन है।

श्री रामचन्द्र चौधरी (पृथक राजस्व मंत्री) : इसमें एक साल का दिया गया है। वह हमेशा के लिये है। तो एक एक साल के लिये है, बाकी दूसरा हमेशा के लिये है इसलिये यह अन्तर है।

श्री शिवनाथसिंह : मेन्टीनेन्स भी हमेशा के लिये चलेगा, वह भी उम्र भर चलता रहेगा, एक साल में थोड़े ही समाप्त हो जावेगा। इसलिये दोनों में डिस्टिंक्शन चल नहीं सकता, दोनों उम्र भर चलेंगे।

श्री रामचन्द्र चौधरी : एक तो ऐसी चीज है जो सारे दिन चल सकती है और एक कन्टीनुअसली चलेगी। कन्टीन्यू जो करेंगे इसके लिये पांच गुना रखा है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २२ व २३ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ २२ और २३ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ २४

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : In part (a), omit the words "Subject to a minimum fee of twenty rupees", in part (b) omit the words "Subject to a minimum fee of twenty rupees", in part (c) omit the words "Subject to a minimum fee of forty rupees", in part (d) omit the words "Subject to a minimum fee of twenty-five rupees."

चेयरमैन महोदय, जब इस प्रकार से फीस निश्चित कर दी गई मूल्य के अनुसार जैसा कि इसमें है, पार्ट ए में कि बीस रुपया से कम है तो भी २०) रु. पर वसूल करेंगे पर पार्ट 'बी' के हिसाब से २० से कम है तो नहीं करेंगे। ४०) रुपया से कम है तो ४०) रुपया वसूल करेंगे ; तो मेरे ख्याल से जो फीस तय कर दी, चाहे पच्चीस बटे, पचास बटे, उस पर टैक्स लेना चाहिये। यहां यह सवाल भी है, अगर कम है और कोई बड़ा व्यक्ति अधिक पैसे बांटता है तो उससे अधिक दर ही ले सकते हैं, पर जो गरीब है, जिसके पास १२५) भी नहीं बटते हैं उससे भी २५) लेना चाहेंगे। इसमें कठिनाई होगी उसके लिये। इसका हिसाब लगाइये जरा आप उस पर २५) आपने इम्पोज़ कर दिये, वकील ने उससे सौ रुपये ले लिये, फिर उसका आने-जाने का खर्चा अलग, तो इस तरह वकील उससे सौ रुपये XXXX और....

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, ये XXXX शब्द अनपार्लियामेंटरी है।

श्री सभापति : You withdraw the expression.

डॉ० बहादुरसिंह : Yes, I withdraw.

श्री आबिदअली : I think these words are deleted from the records.

डॉ० बहादुरसिंह : मैं वापिस लेता हूं इनको।

श्री आबिदअली : मैंने निवेदन किया था कि ये अनपार्लियामेन्टरी हैं। इन XXXX शब्दों को एक्सपन्ज कर दिया जावे प्रोसीडिंग्स से।

श्री सभापति : Yes, they may be expunged.

डॉ० बहादुरसिंह : तो मैं निवेदन कर रहा था कि फीस और एडवोकेट के चार्जेज और आने-जाने का खर्चा मिला कर गरीब पर काफी बोझा बन जावेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि न्याय का यह तकाजा है कि जितनी जिस पर फीस बने उस हिसाब से

XXXX अध्यक्ष पद के आदेशानुसार हटाये गये।

(डॉ० बहादुरसिंह)

लेनी चाहिये; हिसाब से जितनी बने उतनी लेनी चाहिये। यह न्यायपूर्ण बात है। अगर दस बने तो दस लेनी चाहिये, अगर हिसाब से चालीस बने तो चालीस लेनी चाहिये। जब आपने दर निश्चित कर दी तो दर के हिसाब से ही ली जानी चाहिये। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे स्वीकार करेंगे और क्योंकि इससे विशेष फर्क अर्थ की दृष्टि से भी पड़ने वाला नहीं है और दूसरी तरफ गरीब पर अधिक भार नहीं पड़ेगा, गैरवाजिब भार नहीं पड़ेगा। हिसाब से ही पड़ेगा। आशा है आप इसे स्वीकार करेंगे।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदय, मुझे भी थोड़ा इसमें निवेदन करना है। क्लॉज़ २४ पर जो एक अमेन्डमेंट डॉ० बहादुरसिंह का आया है, मैं उसके सम्बन्ध में तो कुछ निवेदन नहीं करना चाहता लेकिन यह जो क्लॉज़ है उसमें ऐसा है: "In a suit for a declaratory decree or order, whether with or without consequential relief, not falling under section 26-

(a) Where the prayer is for a declaration and for possession of the property to which the declaration relates, fee shall be computed on the market value of the proper, subject to a minimum fee of twenty rupees." पहले सभापति महोदय, डिक्लेरेटरी सूट के ऊपर आज तक १० रुपये कोर्ट फीस ली जाती रही है मार्केट वेल्यु के अलावा। अब १० से उसको आप एक दम २० करने जा रहे हैं, यह एकदम दुगुनी है। ठीक अगर आप कोर्ट फीस को बढ़ाना ही चाहते हैं तो उसको आप इतना ही बढ़ाइये कि जिससे मासेज़ को फील न हो। आप १० के बजाय १५ कर दीजिये........

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : १२ कर दीजिये।

श्री आबिदअली : १२ कर दीजिए, १३ कर दीजिये। लेकिन यह तो आपने १० से २०, एक दम दुगुनी कर दी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार,जयपुर) : 20 is the minimum.

श्री आबिदअली : ऐसा है सभापति महोदय कि प्योर डिक्लेरेटरी सूट के लिये १० रुपये देने पड़ते थे, अब चाहे डिक्लेरेटरी सूट हो या डिक्लेरेटरी सूट फोर पज़ेशन ऑफ दी प्रोपर्टी हो, तो पज़ेशन की मार्केट वेल्यु के ऊपर कोर्ट फीस देते हैं। अब इसके २० रुपये मिनिमम कर दिये। इसलिये अगर आप इसको २० के बजाय १५ कर देते तो मैं समझता हूं कि उचित होगा। अगर आपको कोर्ट फीस को रेज़ करना है तो उसको धीरे धीरे रेज़ कीजिये। उसको इस तरह दुगुना न कीजिये।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : सभापति महोदय, यह जो क्लॉज़ २४ है, इस समय जिस अवस्था में हमारे सामने आया है उसमें दो जटिलतायें पैदा होती हैं। पहली तो यह है कि हमारी जैसी व्यवस्था है, जैसे अभी व्यवस्था चलती है उसके मुताबिक डिक्लेरेटरी सूट करने पर नोमिनल फीस १० रुपये ली जाती है और यदि उसके अतिरिक्त कोई रेमेडी मांगता है, वह चाहे पज़ेशन की हो

(श्री तनसिंह)

या इन्जेक्शन की हो तो उसके लिए अलग देना पड़ता है। तो इस सेक्शन के मुताबिक डिक्लेरेटरी ही केवल कोई रिलीफ मांगता है और उसके साथ में कॉन्सीक्वेन्शियल रिलीफ मांगता है या नहीं, whether with or without consequential relief, जो कि २६ में नहीं पड़ता है तो इस प्रकार इसका मतलब यह हुआ कि डिक्लेरेटरी रिलीफ मांग रहा है और उसके साथ ही साथ में कान्सिक्वेन्शियल रेमेडी नहीं भी मांगता है तो मार्केट वेल्यु जो कुछ भी है और यदि नहीं होती है तो कम से कम २० रुपये उसके लिए कर दिये हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि कम से कम २० रु० तो देने ही पड़ेंगे कहावत के अनुसार कि 'बींद मरें बींदनी मरें, नाई को टको खरो'। २० रुपये तो इसमें हैं ही। यह तो पहले वाले को बिल्कुल दुगुना कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि इन्जेक्शन के लिए या दूसरी रिलीफ के लिए कोई मांग करता है तो उसको और अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो यह तो एक अजीब सा झमेला हो गया जिसके ऊपर माननीय मन्त्री महोदय फिर से विचार करें।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर): सभापति महोदय, मैं एक क्लेरीफिकेशन और चाहता था कि प्योर डिक्लेरेटरी सूट है सेक्शन २४ में तो declaration and possession, ऐसा कोई प्रोविज़न रखा गया है कि केवल डिक्लेरेटरी सूट के ऊपर क्या कोर्ट फीस लगेगी ? अगर यही है तो यह तो बड़ा डिफेक्टिव रहा कि declaration and suit for possession इसका मतलब यह है कि जहां पज़ेशन प्लेन्टिफ का ऑलरेडी है और प्लोरली डिक्लेरेटरी सूट दायर करना चाहता है तो आप कोर्ट फीस क्या लगायेंगे ? Is there any provision in the Court Fees Act ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी व कर मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, सेक्शन २४ पर धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ अमेन्डमेंट्स रखे हैं....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव रखे उन पर भी गौर करें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : उसके बारे में भी निवेदन करूंगा कि जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि राजस्थान कोर्ट फीस एण्ड सूट्स वेलीडेशन बिल मद्रास के पैटर्न पर आधारित है और मद्रास में ऐसे डिक्लेरेटरी सूट पर ३०० रुपये कम से कम मुकर्रर किये हैं। ३०० रुपये पर कोर्ट फीस २२॥ रुपये होते हैं। तो अपने यहां पर इसमें राउण्ड फिगर्स को रखने के लिए मेम्बर्स ने यह आग्रह किया कि २२॥ नहीं, इसको २० कर दिया जाये। इसलिये उसको कम करके २० रुपये रख दिये हैं.......

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदय, एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं। मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ २४ का जो सब क्लॉज़ (डी) है उसमें 'इन अदर केसेज़' के वर्ड्स हैं। जितना भी विधेयक साफ हो और उसके ऊपर इलोबरेटली डिस्कशन्स हों और किसी प्रकार से अनहैप्पी लेजिस्लेचर न हो, मैंने आपत्ति की थी जो केवल डिक्लेरेटरी सूट होगा उस पर कौन सा सेक्शन लागू होगा ? जहां दूसरी

(श्री आबिदअली)

रिलीफ ही न हो अगर यह इसके अन्दर कवर होता है :

"(d) in other cases, whether the subject matter of the suit is capable of valuation or not, fee shall be computed on the amount at which the relief sought is valued in the plaint: subject to a minimum fee of twenty five rupees."

अगर आप इसको इन्डाइरेक्ट वे के अन्दर डिक्लेरेशन के अन्दर लागू करते हैं तो वह कोर्ट फीस १० रुपये के बजाय २५ रुपये हो गई। अभी तक तो १० रुपये देते हैं और जब उसे २॥ गुना बढ़ा कर २५ कर रहे हैं; if at all it is covered, डिक्लेरेटरी सूट्स भी इसमें लेते हैं। हैप्पी लेजिस्लेशन तो यह है कि अलग से इसको करना चाहिए। क्योंकि डिक्लेरेटरी में कई सूट्स होते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा लॉ ऐसे बने कि जिसके अन्दर इन्टरप्रिटेशन किसी प्रकार का नहीं बन पड़े। सब–क्लॉज़ (डी) में इन अदर केसेज़ में इन्टरप्रिटेशन ले सकते हैं कि जहां प्योर डिक्लेरेटरी सूट होंगे उसकी फीस यह होगी....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : सब–क्लॉज़ (डी) ही लागू होगा।

श्री आबिदअली : That is a question of interpretation.

श्री सोहनलाल भटनागर : That is the correct interpretation. लेकिन यह बात जरूर है कि १० से २५ होंगे। आप भी तो सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर थे। आप वहां आपत्ति कर सकते थे।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो क्लॉज़ २४ है उस पर काफी मतभेद हैं, इसलिए इस क्लॉज़ को डेफर कर दिया जाये और इस पर पूरे ढंग से विचार करके मन्त्री महोदय कल पेश कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डिक्लेरेटरी का क्लॉज़ (डी) में लेना है तो इन्टरप्रिटेशन में आ सकता है। इसलिए जब हम लेजिस्टेशन बना रहे हैं तो वह बहुत ही क्लियर हो और क्लियर होने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि कल सिम्पल वे में जो पोइन्ट्स आज रेज़ किये गये हैं उनको कवर करते हुए यदि कोई अमेन्डमेंट हो तो कल उस पर डिस्कशन कर लें।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : सिम्पल डिक्लेरेशन तो कर ही नहीं सकते और करेंगे तो कम से कम २० रुपये हैं और बल्कि ज्यादा हैं....

श्री आबिदअली (सवाईमाधोपुर) : अगर सब–क्लॉज़ (डी) में आता है तो २५ रुपये हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी व कर मन्त्री) : इसमें जितने भी किस्म के डिक्लेरेटरी सूट्स होते हैं उन सबको प्रोवाइड किया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या आपकी राय में जो सिम्पल डिक्लेरेटरी सूट होगा उस पर २० रुपये कोर्ट फीस लगेगी ?

Page No 103

कुछ माननीय सदस्य : २५ लगेगी !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, कितने ही हजार रुपये का हो उसके ऊपर डिक्लेरेटरी सूट के पहले १० रुपये थे। मैं मन्त्री महोदय से जानकारी चाहूँगा कि जो डिक्लेरेशन का सूट २४ (ए) में है आपने कोर्ट फीस इसलिए की है कि पज़ेशन ऑफ रिलीफ चाहिए इसलिए मार्केट वैल्यु पर की जायेगी। वैसे भी सिम्पल डिक्लेरेशन का सूट है और उस पर इन्जेक्शन की रेमेडी है और पज़ेशन की नहीं है तो उस पर कितनी फीस लगाना चाहते हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह पार्ट (डी) से गवर्न होगा....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : What about part (b)

श्री रामचन्द्र चौधरी : Part (b) "Where the prayer is for a declaration and for consequential injunction and the relief sought is with reference to any immovable property, fee shall be computed on one half of the market value...

श्री आबिद्अली : That is not the case of pure declaration.

श्री सभापति : Many members have desired to know in which particular sub-clause pure declaratory suits would, in the opinion of the Member-in-charge, fall. Would they fall in (a), (b), (c) or (d) ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : (d)

श्री सभापति (श्री बी. एन. जोशी) : Under sub-clause (a) on a suit for declaration as well as possession, the minimum court fees would be Rs 20,- in a suit for delartaion as well as consequential relief it will be Rs. 20, but for a pure declaratory suit, it will be Rs. 25.

श्री आबिद्अली : Yes, Sir. That is great disparity.

श्री रामचन्द्र चौधरी : That is not the thing.

श्री तनसिंह : आप यह देख लीजिये कि पहले तो १०) रु० मात्र ही थे, अब २५) रु० क्यों कायम हो गये, भगवान जाने।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: Since we are considering the Bill tomorrow also,this clause can be deferred.

श्री रामचन्द्र चौधरी : It may be dbferred.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Yes.

श्री सभापति : It is deferred. Now we come to clause 25. Dr. Bahabur Singh.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्लाज २५ पर,सभापति महोदय, मेरा एक संशोधन है :

In part (i) substitute "one percent" for the words "Rupees fifty" and in

(डॉ० बहादुरसिंह)

part (ii) substitute "one percent' for the words 'Rupees one hundred'.

सभापति महोदय, जहां ५,०००) रु० का है वहां आप ५०) रु० रखते हैं तो एवरेज पड़ता है आपका १ पर्सेन्ट ! जहां १०,०००) से अधिक नहीं है वहां १००) रु० हो तो वहां पर पर्सेन्टेज १) रु० ही पड़ता है। मेरा यह निवेदन था कि मान लें कि किसी व्यक्ति की अगर सम्पत्ति कम है ५,०००) रु० से यानी ४०००) रु० है या २००) रु० है, जैसा कि मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उसका ऐसा लगता है कि उसको मिलने का कुछ नहीं था उल्टे ५०) रु० फीस के लगेंगे। आखिर जो दत्तक व्यक्ति बनता है या बनाया जाता है तो उसमें कुछ एक अपनी धार्मिक भावना भी होती है, और वह यह है कि व्यक्ति पर ऋषि ऋण या पितृ ऋण होता है, उसको चुकाने के लिए एक व्यक्ति हमेशा किसी व्यक्ति को अपना दत्तक बनाता है। वैसे जब सिद्धान्त बनता है कि जब दत्तक बनाना चाहे, चाहे सम्पत्ति हो या ऋण हो, पर यह बात मानी जा सकती है कि १००००)रु० के ऊपर ५००) रु० रखते तो मेरा कोई संशोधन नहीं होता। इसको मैं जानता हूं कि जिसकी १००००) रु० की सम्पत्ति हैं वह ५००) रु० दे सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास कम है उसको पर्सेन्टेज के हिसाब से अगर पैसा आप लेते है तो अगर ५०००) का आता है तो ५०) रु० की फीस होगी, लेकिन आपके हिसाब से ५०००) रु० से ऊपर ५०००) रु० से १००००) रु० के बीच की बात है वह न्यायपूर्ण बात नहीं है। १००००) रु० पर १००) रु० और ५०१०) पर भी १००) रु.। १०) रु० बढ़ने से वह फीस इम्पोज होगी, ५०)रु.। तो मैं समझता हूं कि पर्सेन्टेज वाली बात है वह न्यायपूर्ण बात है। आप फिर सोच लें कि एवरेज से उसका बिल्कुल सही बैठ जायगा। ,कोई१) पर्सेन्ट का लगता है। कहीं पर कम होगा तो कहीं पर ज्यादा हो जायगा इसलिए वह बराबर हो जायेगा। मैं समझता हूं कि इस संशोधन को आप मान लेंगे।

श्री शिवनाथसिंह (गुढा) : सभापति महोदय क्लॉज २५ पर डॉ० बहादुरसिंह ने जो एमेंडमेंट रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। वैसे यह क्लाज अपने सामने है, इस बात पर वह पास हो जाता है तो एलॉटमेंट में बहुत हार्डशिप होगी। हम एक तरफ देखेंगे कि ५०००) रु० तक ५०) रु० लगते हैं और ५०१०) रु० हो गये तो आप १००) रु० ले लेंगे। वेल्युएशन सूट १) रु० से बढता है तो कोर्ट फीस बढती है ५०)रु. वह कभी भी वाजिब नहीं हो सकती है। इस तरह से किसी के दावे की कीमत ५०) रु० है तो उसको भी कोर्ट फी ५०) देनी पड़ेगी। इस तरह का लेनदेन कोई बनता है तो वाजिब नहीं हो सकता है। इससे लिटिगेन्टस को नुकसान होगा। उसका तो पर्सेन्ट के हिसाब से १०,०००) रु० तक एक लम्प सम रख दिया वह वाजिब हो सकता है, लेकिन १०,०००) रु० के नीचे जो एमाउन्ट रखा है वह बहुत हार्ड-शिप होगी। एक पर्सेन्ट या दो पर्सेन्ट जैसा आप ठीक समझें पर्सेन्टेज के हिसाब से रखें तो वजन हल्का हो सकता है। ५०००) रु० का दावा है तो एक पर्सेन्ट से वही ५०) रु. होगा और इकट्ठा रखें तो भी वही होगा। अगर १) रु. बढ़ता है

(श्री शिवनाथसिंह)

यानी ५,००१ से १०,०००)रु. पर इकट्ठा रखते हैं तो यह बहुत ही गैरवाजिब हो सकता है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय इस पर गौर कर एमेंडमेन्ट को स्वीकार कर लेंगे।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदय, सिविल जजी में एडॉप्शन के अन्दर दावे पेश होते हैं जिसका वेल्युएशन ५,०००) रु० है और उसी कोर्ट में दावा होता है जिसका वेल्युएशन ५००) रु० होता है तो ५००) रु० वाले से भी ५०) रु० लेगे और ५०००) रु० वाले से भी ५०) रु० लेंगे। यही मतलब है इस क्लॉज़ का।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, इसके सिवाय एक और भी बात है कि जो डिक्लेरेशन का दावा होता था उस पर १०) रु० लगते थे, अब ५०) रु० कर दिये। यह भी कुछ ठीक लगता है, लेकिन कुल मिला कर ५००) रु० होते हैं। १०,०००) रु० की किसी की प्रोपर्टी है और उस पर उसका एडोप्शन है तो आज एक आदमी १०) रु० में डिक्लेरेशन करा सकता है उसको कल कराने में ५००) रु० देने पड़ते हैं; यानि इसके ऊपर तो सीमा रखें कि कितने तक बढ़ने वाला है। १०,०००) रु० उसको मिलने वाले हैं, इसलिए सरकार को भी दे तो इसका मतलब यह हुआ कि जिसकी लम्बी गर्दन हो उसको काट दें। थोड़ी लम्बी है तो थोड़ी काट दी जाय। टैक्सेशन का कुछ हिसाब होना चाहिए। १०) रु० से बढ़ा कर ५०००) रु० कर रहे हैं। इतनी रकम की बात करते हैं। ५०) रु० जस्टीफाइड समझते, ज्यादा से ज्यादा १००) रु० से ५००) रु० कर देते, लेकिन यहां ५०० गुना बढ़ा दिया, ५,०००) रु० तक बढ़ा रहे हैं। ५०) रु० का १०० गुना बढ़ा रहे हैं। यह समझते हैं कि ज्यादा रुपया आ रहा है तो ठीक है। १५० या २०० जो कुछ भी लगाना है वह लगायें।

दूसरी अनरीज़नेबल बात यह है कि कोई ५०)रु. का दावा करे और ५०) रु० की ही उसकी प्रोपर्टी है तो भी उस पर ५०) रु० कोर्ट फीस दे। मेरे ख्याल से पहले वाला क्लॉज़ है उससे यह भी सम्बन्धित है। यदि पहले वाले क्लॉज़ जिसमें डिक्लेरेशन के लिए प्रोविज़न कर रहे हैं, डिक्लेरेशन का जो भी सिद्धान्त रखें वह इस पर भी लागू होगा। एक जगह एडॉपशन का डिक्लेरेशन है तो उसके लिए अलग कोर्ट फीस और दूसरा डिक्लेरेशन का है तो उसमें अलग कोर्ट फीस। यह बात बेतुकी सी होगी। इसलिए क्लॉज़ २५ में डिक्लेरेशन की कोर्ट फीस रखी वही की वही कोर्ट फीस इस पर लागू है। अभी मन्त्री महोदय उसको देख कर विचार कर लें या डेफर कर दिया जाय, ताकि उसका जो सिद्धान्त होगा वह उसके ऊपर भी लागू हो जायेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): I would like to draw your attention to Clause 24 as it stands, It makes provision for declaratory suits and a particuler level has been prescribed for computing of fees with regard to declaratory suits. Supposing for instance this clause 24 would not have been deferred and it would have been passed as it is, then the question arises with regard to clause 25 Clause 25 also makes prov-

Page No 106

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ision for declaratory suits with regard to adoption. Now Clause 24 which includes all types of declaratory suits, includes the declaratory suits for adoption also. Then where is the necessity of having a separate clause 25 ? Declaratory suits for adoption have not been specifically excluded from Clause 24, which means that it is also included therein. So this should be clarified.

श्री पी०के०चौधरी (फुलेरा): On a point of order. The Hon'ble member was a member of the Select Committee.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I am simply drawing the attention of the Government that there are certain inconsistent provisions. We are putting 'Adoption suits' under a separate clause, whereas they can be filed under clause 24 also. Who is going to check you ? So there should not be different schedules for the same type of declarations.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय सभापतिजी, जैसा कि ओरीजिनल क्लॉज़ में था इसमें उससे इम्प्रूवमेंट है। क्योंकि ओरिजिनल में हाफ ऑफ दी वेल्युएशन देखा था। ६ पर्सेन्ट मनी थी तो उस पर ३ पर्सेन्ट पड़ता था और इसमें १ पर्सेन्ट पड़ता है। इस दृष्टिकोण से है। लेकिन यह बात जरूर है कि ५ हजार से कम चाहे १००) रुपयों की वेल्यु है तो भी ५०) रुपये देने पड़ेंगे और यह हार्डशिप क्रिएट कर सकता है। लेकिन ऊपर की स्टेज में किसी भी प्रकार से हार्डशिप नहीं करेगा। लेकिन एडॉप्शन के केसेज़ में मिनिमम ५ रुपये रखने का यह कारण है कि उनको प्रोपर्टी बिना कारण के मिलती है तो प्रोपर्टी मिलने के कारण इतना रखा है।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : लड़के क्या करेंगे ? एडॉप्टेड सन और औरस संतान क्या करते हैं ? वे भी मुफ्त में ही लेते हैं।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर): एडॉप्शन के मामले में एक आदमी को यदि ५०) रुपये की सम्पत्ति मिलेगी तो वह भी ५०) रुपये कोर्ट फीस के देगा और दूसरे को ५ हजार की संपत्ति मिलेगी वह भी ५०) रुपये देगा।

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी व कर मंत्री) : मैं आपकी दलीलों से सहमत नहीं हूँ। १००) रुपयों की सम्पत्ति के लिये एडोप्शन में कोई जायेगा नहीं, अपना घर छोड़ कर। जहां बेनिफिट होता है वहीं जाता है, वर्ना कोई नहीं जायगा क्योंकि एडोप्शन में जायेगा तो बड़ी जायदाद पर ही जायेगा, कुछ मिलकियत जरूर होगी।....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : बिल फ्रेम करते समय ऐसा क्यों किया कि फाइव थाउजेन्ड्स और लेस ? ''लेस'' शब्द को डिलीट कर दीजिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह तो आपकी दलील का जवाब था। १००) रु० की प्रोपर्टी है तो भी लगेगा या ५०) रु. की है तो भी लगेगा....

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : गांवों में तो ५००)रु. की प्रोपर्टी पर निश्चित ही गोद चले जायेंगे ।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय चेयरमैन तो जानते हैं, बांदीकुई में ऐसे कई मामले हुए होंगे ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): ५००) रुपयों पर १०) रुपये रख दीजिये ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इस पर बहस करना चाहें तो क्लॉज़ २४ के साथ इसको भी डेफर कर दीजिये ।

श्री सभापति (श्री विशम्भरनाथ जोशी): This is also deferred and will be taken up tomorrow.

श्री बेनाराम गहलोत (खारची): सभापति महोदय, मैं मेरा नाम प्राकलन समिति से वापिस लेता हूं ।

श्री सभापति : Clause 26. I think there are no amendments on clause 26.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्लॉज़ २६ पर तो मुझे बोलना है ।

सभापति महोदय, क्लॉज़ २६ मेरे ख्याल से क्लॉजेज़ २४ और २५ से ज्यादा महत्वपूर्ण है । दुर्भाग्य से कम लोग ऐसे होंगे जिनके बाल-बच्चे नहीं होंगे....

श्री रामचन्द्र चौधरी : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मैं चाहता हूं कि सब लोग इस पर बहस करें, लेकिन सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर्स जो ९ सिटिंग्ज़ में बराबर भाग ले चुके हैं वे भी बार बार बहस करेंगे तो दिक्कत हो जायेगी ।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : सिलेक्ट कमेटी में भी तो दरअसल में सूट्स की वेल्युएशन और कोर्ट फीस में जो लोग इन्ट्रेस्टेड हैं, समझ सकते हैं, रुचि रखते हैं वे ही लोग हैं, जो कानून जानने वाले हैं, प्रेक्टिस करने वाले हैं और ऐसे अधिकांश लोग सिलेक्ट कमेटी में थे । फिर भी जिस समय रिपोर्ट आई उस समय संभवतः ऐसा हुआ होगा कि दूसरी फाइनेन्शियल कमेटीज़ वगैरह में भी बिजी थे । मैं अपनी खुद की निवेदन करता हूं कि मैं तो पी० ए० सी० की मीटिंग में गया हुआ था । आखिरी रूप में जब मेरे सामने यह रिपोर्ट आई तो मैं नोट ऑफ डिसेन्ट देने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता था । ६–७ दिन का कुल टाइम था । नोट ऑफ डिसेन्ट को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि नोट ऑफ डिसेन्ट केवल देने के लिये ही दिया था क्योंकि इतने कम दिनों में इसको पूरी तरह से देख नहीं सकता था । इसलिये अच्छा होगा कि लोगों को बोलने के लिये अलाउ किया जाय क्योंकि यह आपके लिये फायदे की चीज है, जल्दी में कोई चीज़ निकल नहीं जाय । यह आपकी सुविधा के लिये है क्योंकि लोग बोलेंगे तो कोई नई चीज सामने आयेगी ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a point of information. Out of 24 Members in the Select Committee, 17 were practising lawyers and they have passed it without a note of dissent.

Page No 108

डॉ. बहादुरसिंह (धौलपुर) : No, no.

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : Law is always flexible.

श्री सभापति : In spite of what has been said by the Hon'ble member from Barmer, the rules as well as the conventions of the House have to be observed and I think we cannot depart from that.

डॉ. बहादुरसिंह : ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्य ने देखा नहीं है।

(श्री तनसिंह के खड़े होने पर)

श्री सभापति : I think you were also a member of the Select Committee.

श्री तनसिंह : I have given a note of dissent.

डॉ. बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन पेश नहीं कर रहा हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २६....

श्री तनसिंह (बाडमेर) : उनको नहीं बोलने दें तो मुझे तो बोलने दीजिये। मेरा नोट ऑफ डिसेन्ट है।

माननीय सभापतिजी, यदि इस पर जो फीस लगाई है उसको गौर से देखेंगे तो मालूम होगा कि जैसे २६ नां था हाफ ऑफ दी प्रोपर्टी, जहां इन्जेक्शन का सूट है :

"In a suit for injunction-(a) where the relief sought is with reference to any immovable property and where the plaintiff alleges that his title to the property is denied, fee shall be computed on one half of the market value of the property or on rupees three hundred, whichever is higher,"

तो इसका मतलब यह होता है कि इन्जेक्शन का सूट कोई करे तो जितनी प्रोपर्टी का सूट है उसका आधा तो पहले रख दो हमारे पास। एक हजार की प्रोपर्टी है तो ५००) रुपये कोर्ट फीस के दे दो....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : यह नहीं है

श्री सभापति : Since there is some connection between clause 26 and 24, and clause 24 has already been deferred, I trust the Hon'ble Minister will agree that this clause, which is inter-related, should also be deferred.

श्री रामचन्द्र चौधरी : जी हां।

श्री सभापति : Clanuse 27. There is no amendment.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : इस पर तो बोलना है।

माननीय सभापति महोदय, क्लॉज़ २७ में जो व्यवस्था की गई है, उसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें लिखा है–

(श्री भैरोंसिंह)

"27. Suits relating to trust property-In a suit for possession or joint possession of trust property or for a declaratory decree, whether with or without consequential relief in respect of it,..."

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय सदस्य अब पढ़ कर समझ रहे हैं या समझ कर बोल रहे हैं, यह पूछ लीजिए।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): यह पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : The House can read that clause instead of the Hon'ble member reading the whole clause and then making a speech over it क्लॉज़ हमारे सामने है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सब समझते नहीं हैं।

श्री सभापति: Yes, please continue.

श्री भैरोंसिंह : इस पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पर आपकी रूलिंग हो जाय।

श्री सभापति : That is not strictly a point of order.

श्री भैरोंसिंह : मैं केवल पढ़ कर, जो इसमें खास खास बातें हैं उनकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें लिखा है—

"In a suit for possession or joint possession of trust property or for a declaratory decree, whether with or without consequential relief in respect of it, between trustees or rival claimants to the office of trustee or between a trustee and a person who has ceased to be a trustee fee shall be computed on one fifth of the market value of the property, subject to a maximum fee of rupees two hundred or where the property has no market value, on rupees one thousand."

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : हिन्दी में अनुवाद और कर लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : इसके आगे एक प्रोविज़ो और एड किया है....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : वह हम देख रहे हैं, साहब।

श्री भैरोंसिंह : उस प्रोवीजो के द्वारा सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की है, क्लॉज़ २७ के इस प्रोविज़ो के अन्दर कि जो फीस लागू की जायेगी, उसमें इस प्रोविजो में जिन जिन बातों का उल्लेख किया गया है उनका भी विचार रखा जायेगा। जैसा लिखा गया है........

श्री मूलचन्द डागा : सेमी कोलन, कोलन; सारी चीजें बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : "Provided that, where the property does not have a market value,, value for the purpose of determining the jurisdiction of

(श्री भैरोंसिंह)

courts shall be such amount as the plaintiff shall state in the plaint." इस सम्बन्ध में, सभापति महोदय, कुछ निवेदन करने से पूर्व मैं यह कहना चाहता हूं कि ट्रस्ट प्रोपर्टी के सम्बन्ध में जो कोर्ट फीस हम लगाना चाहते हैं उसमें पहला मुद्दा ट्रस्ट प्रोपर्टी का आता है। अब यह कहा जाय कि यह कोई गरीब की प्रोपर्टी है या कहा जाय कि यह अमीर की प्रोपर्टी है और इस गरीब और अमीर के झगड़े में कोर्ट फीस के जस्टीफिकेशन को हम मन्जूर कर लें, यह उचित नहीं होगा। यहां पर कोर्ट फीस का सवाल आता है। ट्रस्ट प्रोपर्टी और ट्रस्ट भी अब धीरे धीरे सरकार के कानून के अनुसार सरकार के अधिकार में जाने की स्थिति के अन्दर आ रही हैं। जहां ऐसे ट्रस्ट के सम्बन्ध में कोई वादविवाद खड़ा हो जाय और उस वादविवाद को लेकर कोर्ट में जाने की आवश्यकता महसूस हो तो वैसी स्थिति में हमें यह विचार करना पड़ेगा कि किस प्रकार के ट्रस्ट पर किस सीमा तक कोर्ट फीस हम आयद कर सकते हैं। ट्रस्ट भी कई प्रकार के होते हैं, कोई धार्मिक ट्रस्ट होता है, हिन्दुओं के भी होते हैं, मुसलमानों के भी ट्रस्ट होते हैं, जैनियों के भी ट्रस्ट होते हैं, सिक्खों के भी ट्रस्ट होते हैं........

श्री मूलचन्द डागा (पाली): सब जाति के होते हैं।

श्री भैरोंसिंह : सब जातियों के ट्रस्ट होते हैं। सभापति महोदय, मुझे ये डिस्टर्ब कर रहे हैं।........

श्री श्रीभानसिंह : जोशियों के भी होते हैं, साहब।

श्री भैरोंसिंह : उस स्थिति में धार्मिक ट्रस्ट, एज्युकेशनल ट्रस्ट तथा और कई ऐसे ट्रस्ट जिन ट्रस्टों का उद्देश्य समाज की सेवा करना होता है, सरकार इस प्रकार के ट्रस्ट को सहायता देती है, जनता भी उसमें कुछ कन्ट्रीब्यूट करती है, ट्रस्ट का निर्माण जनता और सरकार इन दोनों के सहयोग से होता है। जनता का उसमें पैसा लगता है और पैसे की अव्यवस्था के कारण सरकार का उसमें हस्तक्षेप होता है। कई ऐसे भी ट्रस्ट हैं जो ट्रस्ट जनता के कुछ नुमाइन्दों के साथ सरकार के क्षेत्र के अन्दर ऐसे चले गये हैं कि उनकी सारी व्यवस्था सरकार के आधार पर होती है। हमारे यहां राजस्थान के अन्दर सरकार के अन्तर्गत देवस्थान विभाग आता है और उस देवस्थान विभाग का कार्य जहां मन्दिरों की सेवा-पूजा, मन्दिरों की व्यवस्था करना है वहां साथ साथ जो कोई मन्दिर ट्रस्ट के रूप में सरकार की मशीनरी का पार्ट बन गया है वह भी इसके अन्दर शुमार होता है। अब यह विचार करना पड़ेगा कि सरकार अपने डिपार्टमेंट के ऊपर या सरकार अपनी मशीनरी के एक पार्ट के ऊपर, अगर उन दोनों के बीच या बाकी किसी व्यक्ति के बीच में इस प्रकार का कोई वाद विवाद उपस्थित होता है उस वाद विवाद के उपस्थित होने के उपरान्त क्या कोर्ट फीस लगाना आवश्यक होगा? मैं बाकी चीज़ों पर नहीं जाता, जिन चीजों की सदन के कई माननीय सदस्यों ने कोर्ट फी के विषय में आलोचना की है, कइओं ने समर्थन किया है। लेकिन एक प्रश्न मोटा यह आता है कि एक वह ट्रस्ट है

(श्री भैरोंसिंह)

जो सरकार के डिपार्टमेंट के रूप में काम करता है, एक वह ट्रस्ट है जिसका काम समाज की सेवा होता है, एक वह ट्रस्ट है जिससे धार्मिक प्रचार होता है, एक वह ट्रस्ट है जिससे शिक्षा का प्रचार होता है, क्या सरकार इस प्रकार के ट्रस्टों को भी इन्कम का सोर्स बनाना चाहती है ? क्या सरकार चाहती है कि इस ट्रस्ट के सम्बन्ध में कोई वाद–विवाद खड़ा हो जाय तो उस सम्बन्ध में उस ट्रस्ट से कुछ पैसा कोर्ट फी के नाम पर लेकर कन्सोलीडेटेड फंड में जमा कराया जाय ? मैं ऐसा समझता हूं, सभापति महोदय, कई बार कन्सोलिडेटेड फंड में कौनसी रकम जमा हो, इसके लिए हमें काफी सावधानी बरतनी आवश्यक होती है। वह इसलिए बरती जाती है कि कहीं ऐसा पैसा सरकार के खजाने में न चला जाय जिसके कारण सरकार को धार्मिक बद्दुओं और शैक्षणिक अव्यवस्थाओं के कारण पश्चाताप करना पड़े....

श्री मूलचन्द डागा : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर धार्मिक बद्दुआ क्या है ?

श्री सोहनलाल भटनागर : आज शब्द नहीं है....

श्री मूलचन्द डागा : आज सोच-सोच कर बोल रहे हैं, धार्मिक बद्दुआ क्या है....

श्री सभापति : Let us not be sentimental or emotional in the debate.

श्री भैरोंसिंह : ट्रस्ट्स तो बहुत कुछ सेन्टीमेन्टल होते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : मेरा एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर था, चेअरमैन महोदय....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : रूल बतायें।

श्री श्रीभानसिंह : रूल बताऊंगा, रूल मैं अंग्रेजी में पढ़ दूंगा तो आप समझेंगे नहीं। जो डिस्कशन हो रहा है वह क्लॉज़ के स्कोप के भीतर हो रहा है ? माननीय सदस्य स्कोप के बाहर जा रहे हैं या अन्दर जा रहे हैं, यह जानना चाहूंगा।

श्री भैरोंसिंह : आपको कौनसी बात लगी जो इसके स्कोप के बाहर जा रही है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): सारी दलील क्लॉज़ के स्कोप के बाहर थी।

श्री श्रीभानसिंह : मुझे सारी बातें स्कोप के बाहर लगीं, देवस्थान डिपार्टमेंट ले लिया, डाइरेक्टर ले लिया....

श्री सभापति : Let us hope he will yet come to the point.

श्री भैरोंसिंह : मैंने इन सभी को इसलिए लिया है कि सब बातों को एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है और इन सब बातों को पढ़ कर सुना रहा हूं, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कह देऊं कि इस सेक्शन में लिखा है :–

"Explanation–For the purpose of this section, property comprised in

(श्री भैरोंसिंह)

a Hindu, Muslim or other religious or charitable endowment shall be deemed to be trust property and the manager of any such property shall be deemed to be the trustee thereof." इसलिए....

श्री सभापति : You have not so far said anything relevant to the fixation of court fees. So please come straight to the point.

श्री भैरोंसिंह : मेरा तो निवेदन यह है कि ऐसी चीजों पर कोर्ट फी नहीं होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में अपने आर्ग्युमेंट–क्यों नहीं होना चाहिए, इस सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं। उस सम्बन्ध में देवस्थान विभाग, शैक्षणिक और धार्मिक ट्रस्ट हैं, उनका जिक्र किया है। मैं सभापति महोदय, इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार की ट्रस्ट की हालत है, वह सदन के माननीय सदस्यों से अपरिचित हो, ऐसी बात नहीं है। ट्रस्ट की हालत आज भी खराब है....

डॉ० बहादुरसिंह : समय हो गया।

श्री भैरोंसिंह : उनको समाप्त करने की कई बार व्यवस्था करते रहते हैं। उस स्थिति में, सभापति महोदय, हमें विचार करना पड़ेगा कि अगर इस ट्रस्ट में आज इस प्रकार की कोई स्थिति आ गई, कोर्ट फी के नाम पर कोई पैसा लेने की बात आ गई तो उसके जो फाइनेन्शियल रिपरकशन्स होते हैं उनका आगे चल कर क्या परिणाम होगा ? आज आवश्यकता है जितने ट्रस्ट हैं उनको कोर्ट फी से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, उनकी इन्कम के सोर्स ज्यादा हों....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : टाइम हो गया।

डॉ बहादुरसिंह : टाइम हो गया।

श्री श्रीभानसिंह : Time is up, Sir.

श्री सभापति : The House stands adjourned till 11 A. M. tomorrow.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ४ बज कर ५६ पर, बृहस्पतिवार, दिनांक ६ अप्रेल, १६६१ के म. पू. ११ बजे तक लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(बुधवार, ५ अप्रेल, १६६

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	स्कम्भ		स्कम्भ
जिला जालोर के प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स व डिस्पेन्सरीज में स्टाफ का अभाव।	६७४१	फतहपुर शेखावाटी की नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध आये अविश्वास के प्रस्ताव पर फैसले की तारीख को एस. डी. एम. का अनुपस्थित रहना।	
ग्राम पंचायतों के लिपिक।		कोषाध्यक्ष, जालोर द्वारा बिलों पर बार बार एतराज किया जाना।	
पाली शहर के समीप स्थित रोधावा डोली की बावड़ी।		बांदीकुई प्लान्टेशन सम्बन्धी भारतवर्षीय इरोजन कॉन्फ्रेन्स की सिफारिशें।	
पंचायत समिति, नादौती मुख्यालय बामनवास की नवीन पंचायतों की रूपरेखा को प्रधान के मकान पर पहुंचाया जाना।		पंचायतों व पंचायत समितियों के चुनावों के तरीकों में परिवर्तन की अपेक्षा।	
तहसील रूपनगढ़ के ग्रामों में पानी की कमी।		भारत-पाक पानी समझौते के फलस्वरूप गंगानगर जिले में सिंचाई योग्य जल में कमी।	
पंचायत समिति, उनियारा में उसी क्षेत्र के निवासियों द्वारा कार्य सम्पादन।		पंचायत समितियों में सहवरण सम्बन्धी हुई अनियमितताओं की जांच हेतु इलेक्शन पिटीशन की व्यवस्था।	
होयारडी (जोधपुर डिविज़न) कृषि सहकारी समिति।		तहसील करौली के बांधुऐ के नाले पर बांध का निर्माण।	
रानी पंचायत समिति के प्रधान श्री सज्जनसिंह द्वारा बर्ती गई अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही।			

स्कम्भ

श्री रामरतन पुरोहित निवासी खातोली को बैलों की खरीद के लिये प्रदत्त तकावी ।

बीमा विभाग में सुपरवाईज़र्स की एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर के पद पर पदोन्नति हेतु वांछित योग्यता ।

बीकानेर जिले के रेगिस्तानी हिस्से में ट्यूब वैल इर्रिगेशन का प्रयास ।

जागीरदारी बोन्ड्स के लिये जयपुर में पब्लिक डैट ऑफिस ।

अजमेर नगरपालिका के चुनाव ।

लालसोट कस्बे हेतु नगरपालिका ।

गबन के मामले ।

राजस्थान नहर उपनिवेशन विभाग ।

ग्राम सेवकों का वेतन ।

भीलवाड़ा जिले के कृषि विभाग द्वारा स्वीकृत टेन्डर ।

गालवा नदी को रोक कर कच्चे बांध का निर्माण ।

जालोर जिले को लोहे का कोटा ।

स्थगित प्रश्न

१६-३-६१

स्कम्भ

पशु पालन विभाग को मिली सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग ।

स्थगित प्रश्न :

१६-३-६१

सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, पाली की बकाया की वसूली ।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र ६८०४

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री ने "राजस्थान तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव" की एक प्रति सदन की मेज पर रखी ।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ६८०४

श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मंत्री ने राजस्थान कृषि उपज विपणि विधेयक, १६६० पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं सदन द्वारा उस पर विचार ६८०४

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने कार्य सलाहकार समिति के बाईसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

तदुपरान्त सदन द्वारा प्रतिवेदन पर अपनी सहमति भी प्रकट की गई।

विधाई कार्य

(क) पुरःस्थापित किया गया विधेयक :

श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मंत्री ने, सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्, जयपुर मातमी रूल्स (वैधकरण) विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित किया।

(ख) विचारार्थ लिया गया विधेयक

राजस्थान न्यायालय शुल्क तथा वाद–मूल्य निर्धारण विधेयक, १९६० ६८०६

श्री रामचन्द्र चौधरी, आबकारी तथा कर मंत्री के इस प्रस्ताव पर कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, डॉ० बहादुरसिंह ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विधेयक को पुनः उसी प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

इस पर वाद–विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

(१) श्री तनसिंह

(२) श्री बृजसुन्दर शर्मा

(३) श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा

(४) श्री सम्पतराज जैन

(५) श्री मुरलीधर व्यास

(६) श्री जगदीशप्रसाद माथुर

(७) श्री किशनसिंह बाल्ड़

(८) श्री भैरोंसिंह (१४)

(९) श्री जनार्दनराय नागर

(१०) श्री हरिप्रसाद यादव

(११) श्री शिवनाथसिंह

(१२) श्री मदनसिंह

(१३) श्री श्रीमानसिंह।

प्रभारी मंत्री के उत्तर के पश्चात् डॉ० बहादुरसिंह ने अपना संशो-

धन प्रस्ताव वापिस ले लिया तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

तदुपरान्त विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड २ से ८:—स्वीकार किये गये।

खण्ड ९:—आस्थगित रखा गया।

खण्ड १० से १३:—स्वीकार किये गये।

खण्ड १४:—संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड १५ से २३:—स्वीकार किये गये।

खण्ड २४ से २६:—आस्थगित रखे गये।

प्राक्कलन समिति, १९६१–६२ से नामजदगी के पर्चे का वापिस लेना

श्री बेनाराम गहलोत ने अपना नाम प्राक्कलन समिति, १९६१–६२ से वापिस ले लिया।

खण्ड २७ पर श्री भैरोंसिंह (१४) बोल रहे थे कि सदन की बैठक ठीक ५ बजे गुरुवार, दिनांक ६ अप्रेल, १९६१ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

गुरुवार, दिनांक ६ अप्रेल, १९६१ की

कार्य–सूची

(१) राजस्थान न्यायालय शुल्क तथा वाद–मूल्य निर्धारण विधेयक, १९६०

(खण्डशः विचार–विमर्श एवं पारित)

———

परिशिष्ट-१

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७७६ का उत्तर देखिये)

ग्राम सेवकों के लिए १–३–५६ में लागू की गई वेतना-श्रृंखला की सूची

क्र०सं०	पद	वर्तमान वेतनक्रम	संशोधित वेतन क्रम	रिमार्क्स
१	२	३	४	५
१.	मैट्रिक ग्राम सेवक तथा ग्राम सेविकायें	१) ६०–३–९० ई.बी. १२० विशेष वेतन १० रु० ।	६०–४–८० ई.बी. ५ १३० विशेष वेतन १० रु० ग्रेड १ ।	बेसिक तथा एक्सटेंशन दोनों में अथवा गृह विज्ञान विंग में ट्रेन्ड।
		२) ५०–३–८० विशेष वेतन १० रु० ।	५०–३–८० विशेष वेतन १० रु० ग्रेड २ ।	बेसिक अथवा एक्सटेंशन में ट्रेन्ड ।
		३) ५० रु० ।	५० रु० ।	अन-ट्रेन्ड एवं नये उम्मीदवार
२.	नॉन-मैट्रिक ग्राम सेवक तथा ग्राम सेविकायें	१) ५०–३–८० विशेष वेतन १० रु० ।	५०–३–८० विशेष वेतन १० रु० ।	बेसिक तथा एक्सटेंशन दोनों में अथवा गृह विज्ञान विंग में ट्रेन्ड ।
		२) ५०–३–८० ।	५० रु० स्थिर मंहगाई भत्ता के बिना ।	अन-ट्रेन्ड ।
३.	ग्राम सेवक सिलेक्शन ग्रेड	८०–५–१२० ई.बी. ५–१६० ।	८०–५–१२० ई. बी. ५–१७५ विशेष वेतन १० रु. सहित ।	

———

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७८१ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE QUANTITY OF IRON & STEEL RECEIVED IN DISTRICT JALORE FROM YEAR 1955 TO YEAR 1960-61

Year	Category of materials.	Quantity Recd. (in tons).	Remarks.
1954-55) to) 1955-56)	Nil.	Nil.	
1956-57.	1. G. C. Sheets.	39-10-1-6	
	2. G. P. Sheets.	2-11-1-3	
	3. Round Bars.	1-19-3-22	
	4. Black Sheets.	5-0-0-0	
	5. Octoganol steel.	2-19-3-17	
	6. Square Bars.	Nil	
	7. Angles.	Nil	
	Total—	52-1-1-20	
1957-58	1. Flate	0-19-3-21	
	2. Angle & Joists (defective)	3-14-2-19	
	3. Black plain sheet cutting defective.	3-1-2-24	
	4. Round Bars.	11-17-2-3	
	5. G. C. Sheets.	160-4-2-25	
	6. Black sheets (defective)	3-2-2-12	
	7. Square Bar.	28-13-2-26	
	8. Black Plain sheets.	20-3-0-18	

1	2	3	4
	9. G. P. Sheets.	30-0-3-2	
	10. Octoganol.	3-0-0-0	
	11. Black Sheets cutting scrap.	6-0-0-0	
	12. G. I. wire.	4-0-0-0	
	Total—	274-18-2-10	
1958-59	1. Black Plain sheet cutting.	16-19-1-4	
	2. Girders.	12-3-4-1	
	3. Flate.	3-0-1-4	
	4. G. C. Sheets.	22-0-0-0	
	5. Roll Square.	2-13-1-2	
	6. Flate cutting scrap.	22-12-0-0	
	7. M. S. Square.	185 Pieces.	
	Total—	79-8-3-11 plus	185 pieces of M.S. Square (weight known)
1959-60	1. Girders.	33-1-0-19—21	Girders of which weight not known.
	2. G. C. Sheets.	44-0-0-4	
	3. Black sheet cutting.	3-0-0-0	
	4. Square Bars.	21-19-0-14	
	5. B. P. Sheet cutting.	6-0-0-0	
	6. R. E. Flate.	6-0-0-0	
	7. Thick Scrap.	3-0-0-0	
	8. Black Sheet Thick.	3-10-0-0	
	9. Angle.	5-3-2-27	

1	2	3	4
	10. M. S. Rounds.	30-6-0-21	
	11. M. S. Flates.	13-4-3-20	
	Total—	169-5-0-21	plus 21 Girders of which weight not known.
1960-61.	1. Beams.	20-0-2-18	
	2. G. C. Sheets.	86-5-3-25	
	3. M. S. Rounds.	30-1-1-8	
	4. M. S. Square.	19-18-3-2	
	5. Angle.	21-11-1-11	
	6. Flates.	20-1-1-25	
	Total—	197-19-2-5	

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३३६ का उत्तर देखिये)

MOBILE UNIT

Name of Place Jalore Vehicle Ne. RJL 4253

S. No.	Name of the officers who toured.	Miles toured.	Remarks.
1.	2.	3	4.
1.	District Animal Husbandry Officer	23 days	
2.	I/C Mass Immunisation Unit.	51 days	Milometer reported to be out of order.
3.	Tilwara Cattle Fair	11 days	Hence miles could not be shown.
4.	Sanchore Cattle Fair	3 days	

Name of Place : BIKANER. Vehicle No. RJF. 4205

1.	Vice Principal, Veterinary College	196
2.	Deputy Director, Animal Husbandry Bkn.	19
3.	District Animal Husbandry Officer	117
4.	Poultry Development Officer	2
5.	Compounder, Mobile Unit	622
6.	Gogameri Cattle Fair	877
7.	Camel Improvement Officer	5,828
8.	Miscl. viz. repairs etc.	51

परिशिष्ट

Name of Place :	Pali	Vehicle No. RJL 4205
1. Veterinary Officer I/C Unit along with staff.	Mobile	3,755

Name of Place :	Bharatpur	Vehicle No. RJL 4250
1. District Animal Husbandry Officer		8,621
2. I/C Mobile Unit		2,015
3.. I/C Veterinary Hospital		264
4. Mela Officer (Bahrod Cattle Fair)		241
5. Veterinary Assistant Surgeon, Bahrod		442
6. Asstt. Fisheries Development Officer, Jp.		20
7. Compounder		48

Name of Plance :	Jaisalmer	Vehicle No. RJL 4252
1. I/C Veterinary Hospital		203
2. District Animal Husbandry Officer		1,238
3. I/C Veterinary Hospital, Pokaran		300
4. District Animal Husbandry Officer, Nagaur		670
5. District Animal Husbandry Officer, Barmer		1,893
6. Durga DanJi		227
7. Shri S. L. Dave		115
8. I/C N. V. D.		305
9. Supdt., Sheep and Wool.		204
10. Dr. Purohit.		22

1	2	3	4
11.	Shri R. Chandra.		100
12.	V. A. S. and Manager, Sheep & Wool.		135
13.	Cattle Fair Journey		28
14.	Deputy Director, Sheep & Wool District Animal Husbandry Officer, Supdt., Sheep and Wool and other officers in piece meals.		1,192

Name of Place :	Banswara (Dungarpur)	Vehicle No. RJL 4251
1.	Animal Husbandry Extension Officer	794
2.	Vety. Assistant Surgeon. (Dungarpur)	156
3.	—— do ——	124
4.	Compounder	158
5.	I/C Mobile Unit.	2,102
6.	District Animal Husbandry Officer, Banswara.	258

Name of Place	Sikar	Vehicle No. RJV. 437
1.	Dr. Ravi Kant, I/C Mobile Unit.	5220 - 913
2.	Compounder Hospital.	58 - 109
3.	Compounder Mobile Unit.	840
4.	District Animal Husbandry Officer.	1512 - 925
5.	Deputy Director, Sheep & Wool.	184 - 190
6.	Investigation Officer (S&W).	48 - 763
7.	V. A. S. Rinderpest Scheme.	53

1	2	3	4
8.	Dy. Director, Bikaner.		926
9.	District Animal Husbandry Officer, Jhunjhunu.		1,435
10.	I/C. Veterinary Hospital.		145
11.	Dr. Bhatia, V. A. S. Mobile Unit.		585

Name of Place : Bundi — Vehicle No. 2004 RJL

1.	District Animal Husbandry Officer, along with staff i. e. stockman, Fisherman, peon etc.	524 plus 2,008
2.	V. A. S. and Stockmen.	11
3.	Veterinary Surgeon, Bundi.	232
4.	,, ,, , Malpura.	70
5.	Jhalarapatan Cattle Fair.	619
6.	Jhalawar Cattle fair.	554

Name of Place Ajmer. — Vehicle No. RJZ 796

1.	Dr. D. P. Shukla.	408 miles
2.	Dr. Hall Boon.	7
3.	Asstt. G. D. O.	326
4.	Dr. D. R. Bajaj, Dy. D.A.H. Ajmer & Kota.	540
5.	Shri P. D. Mathur, Dy. Director Key, village.	91
6.	Shri R. S. Accountant.	10
7.	Shri A. S. Mathur, D. D. O.	6
8.	V. A. S. I/C Mobile Unit,	2,261
9.	Manager, Poultry Farm, Ajmer	258

1	2	3	4
10. Driver, mobile Unit			29
11. Bharatpur Cattle Fair			1,974
12. Pushkar Cattle Fair			364
13. Jhalawar Cattle fair			709
14. Nagaur Cattle fair			31
15. Milk Survey Party			118
16. Dr. M. L. Mathur, V. A. S.			356
17. Dr. G. S. Rathore, Dy. Director (Adm).			1,155
18. B. L. Chhabra, G. D. O.			34
19. Office Superintendent.			7
20. Shri C. S. Mathur, Lecturer, Vety. College			143
21. Shri N. Narayan			14
22. Shri T. Mal, Jaipur			12
23. Shri P. D. Gupta, P. D. O.			360
24. Shri H. L. Patel, L. D. O.			113
25. Shri M. M. Doshi, Dy. D.A.H, Jaipur.			58
26. Shri Badri, Driver			9
27. Fish Adviser, Government of India			104
28. Shri K. Singh			25
29. Director, Animal Husbandry			991
30. Dr. G. S. Mahnot, D. A. D. O., Ajmer			2,288
31. Director, Cow and Gate Comp.			57 (on payment)
32. Veterinary Asstt. Surgeon, Ajmer			130
33. I/C. M. I. Scheme			235
34. Dr. M. Bhattacharya, M/I Scheme			162
35. Dr. S. C. Bhatnagar, V. A. S. Mobile Unit			603
36. Sheep and Wool			41
37. Vaccination Mobile Unit			116

Name of Place :	Jodhpur	Vehicle No. RJQ 656
1. Deputy Director, Jodhpur, District Animal Husbandry Officer, Veterinary Assistant Surgeon		809
2. Veterinary Assistant Surgeon. Pathologist Dr. Director, Jodhpur, District Animal Husbandry Officer,		611
3. District Animal Husbandry Officer Dr. Director, Animal Husbandry Veterinary Assistant Surgeon.		241
4. Veterinary Assistant Surgeon, District Animal Husbandry Officer		695
5. Distt. Animal Husbandry Officer, Nagaur, and Barmer.		880
6. D. A. H. O. Nagaur. VAS. Jodhpur, C. I. O. Bikaner D. A. H. O. Jodhpur, D. A. H. O. Barmer,		1,148
7. D. A. H. O. Nagaur. D. A. H. O. Jodhpur, V. A. S. Jodhpur Supdtt. S., & W.		669
8. Deputy Director, D. A. H. O. Ajmer and Jodhpur, V. A. S. Jodhpur.		997
9. Dy. D. A. H., D. A. H. O. Jodhpur		887
10. D. A. H. O., Dy. D. S. & W. and C. I. O. Bikaner.		859
11. Dy. Director, Jodhpur & D. A. H. O., Nagaur.		699
12. D. A H. O. Barmer.		1,074

Name of place	Udaipur	Vehicle No. RJy 1104
1. I/C V. A. S. Mobile Unit		1,342 plus 2,722
2. Director. Animal Husbandry		125
3. Dy. D. A. H., Udaipur		1,376

1	2	3	4
4.	D. A. H. O., Udaipur		223
5.	F. D. O., Jaipur		501
6.	V. A. S., Udaipur		217
7	Development Work		476
8.	P. D. O.		18
9.	A. D. I. O.		67
10.	Motor Deptt. for Trial.		85

Name of place	Jaipur	Vehicle No. RJY 613
1. D. A. H. O.		1280
2. D. I. O.		298
3. Stock man		47
4. Dr. R. N. Kohli		30
5. Officer Incharge		16
6. Dr. J. B. Lal		31
7. Compounder		199
8. Dy. Director, Jaipur & Kota Div.		1,247
9. Mela Bharatpur		169
10. Dr. H. S. Sida V. A. S.		178
11. Asstt. D. I. O.		210
12. Dr. C. S. Mathur		264
13. Vety. College.		14
14. D. A. H. O. and D. I. O.		76

MASS IMMUNISATION UNIT

Name of place	Ajmer	Vehicle No. RJL 747
1.	Shri Zakaria Offg. D. A. H. O.	192
2.	Shri G. S. Mohnot, D. A. H. O.	2,072
3.	D. A. H. O., Bikaner	1,182
4.	Shri D. D. Sharma, Manager, Poultry Farm	1,480
5.	I/C. V. A. S. Hospital, Ajmer	248
6.	Dr. Bhattacharya, I/C. Urban A. I. Centre.	U 316
7.	Shri Surendra Singh I/C. Mobile Disp.	77
8.	Dr. Bhatnagar I/C Mobile	669
9.	Shri R. N. Mukerji, A. G. D. O.	313
10.	Dr. M. L. Mathur, Sheep Research Officer	730
11.	Shri C. S. Mathur, Lecturer	152
12.	,, P. N. Mathur I/C. Kishangarh	207
13.	,, Ram Chandra	91
14.	,, Chowth Ram, Driver	51
15.	,, C. B. L. Mathur I/C. Sheep & Wool	506
16.	,, H. L. Patel, L. D. O.	590
17.	,, Mohan Lal	12
18.	M.Ali, Driver Mobile Unit.	291
19.	Shri K. L. Purohit I/C. K. V. S. Nasirabad.	123
20.	Shri G. D. Doshi V. A. S. II I/C Mobile Unit	176
21.	Dy. Director (Adm.), Jaipur.	11
22.	Dy. Director K. V. S. and Dy. Director, Sheep & Wool.	60
23.	Shri H. P. Sharma.	37

Name of Place.	Bhilwara	Vehicle No RJL 4206
1.	Dr. V. Y. Thatta	200
2.	D. A. H. O., Bhilwara	
3.	Dy. D. A. H., Udaipur	10
4.	Driver	16
5.	Shri T. N. Saxena & Party	269
6.	Shri Heer Singh	197
7.	D. A. H. and Coll Inspector, D. A. H.O., Distt. Welfare Officer etc.	76
8.	D. A. H. O., Asstt. Reg. Co-op. and	32
9.	V. A. S., Jahajpur & Stockmen etc.	779
10.	D. A. H. O. and T. N. Saxena	153
11.	P. S. Chaudhari, I/C. M. I.,	1,035
12.	Shri Ram Lal, Driver.	109
13.	D. A. H. O. and Dy. Director, Udaipur	182
14.	T. N. Saxena & Stockman.	141
15.	Shri Satya Narain and other party	82

Name of place :	Sirohi (Pali)	Vehicle No. RJL 4204
1.	V. A. S. I/C .Mass Unit and staff	3.916

Name of place : Kotah		Vehicle No. 4203
1.	D. A. H. O., Kotah and staff	1,871
2.	Dr. Satish Chandra I/C. M. I. U.	1,184
3.	Dr. Heera Ballabh	60 plus 399
4-	Dr. Jagdish Sahai	134 Miles

1	2	3	4
5.	A. H. E. O.	36	miles.
6.	Livestock Inspector	60	„
7.	Compounder M. I. Unit	14	„
8.	Class IV servant for medicine	55	„
9.	Shri Dwarka Ballabh	30	„
10.	M. I. Unit	407	„
11.	Shri Bux, Driver, M. Unit, Kotah	69	„

Name of place : Jhalawar Vehicle No. 4142

Information not available-

Name of place : Banswara Vehicle No. RJL 4141

1.	Dr. Laxman Singh, D. A. H. O.	2,268 1,112
2.	Dr. Tirth Singh I/C. Vety. Hospital	533
3.	Dr. Mohan Saha D. A. H. O.	376
4.	Dr. Harpal Singh I/C. Mass Immunisation	1,350

Name of place : Nagaur Vehicle No. RJL 4140

1.	D. A. H. O. Nagaur	2,985
2.	Cattle Fair	1,577
3.	I/C. Mass Immunisation	1,209
4.	I/C. A. I. Centre	407
5.	Dy. Director, Jodhpur.	94

Page No 131

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७५२ का उत्तर देखिये)

Jalore Hospital.

C. A. S. Class I.	1.
C.A.S. Class II.	1.
Nurse.	2.

[illegible]otra Dispensary.

[illegible]ife.	1.

Bhinmal Dispensary.

Nurse Dai.	1.

Harji Dispensary.

C. A. S. Class II.	1.
Midwife.	1.

P. H. C. Ahore.

L. H. V.	1.
Midwives.	4.

P. H. C. Siana.

C. A. S. Class II.	1.
L. H. V.	1.
Midwives.	3.
Sanitary Inspector.	1.

P. H. C. Chitalwana.

C. A. S. Class II.	1.
L. H. V.	1.
Midwives.	4.
Sanitary Inspector.	1.

P. H. G. Sayala.

C. A. S. Class II.	1.
Midwife.	1.
L. H. V.	1.

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक ५ अप्रेल, १९६१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
६७५०	१३	ब्रधंने	बंधने
६७५१	अन्तिम से ५	ब्रांध	बांध
६७६४	४	नहीं क्या	नहीं कि क्या
६७७०	अन्तिम से ५	खातोंली	खातोली
६७७० Staff	अन्तिम से २	दरख्वीरत	दरख्वास्त
	१८	अब तक	अब कब तक
Gudha Balo	३	कर दे	कर दें
	११	श्री तनसिंह	श्री तनसिंह
Midw	अन्तिम से ८	देगे	देंगे
-४	अन्तिम पंक्ति	पव्की	पक्की
,६४	१७	रावराजा सरदारसिंह	रावराजा श्री सरदारसिंह :
६७९५	अन्तिम पंक्ति	उप-मंत्रि कृषि	उप-मन्त्री, कृषि
६८०४	अन्तिम से ३	सदन द्वारा एवं स्वीकृति)	(सदन द्वारा स्वीकृति)
६८०७	११	एडवोकेटस	एडवोकेट्स
,,	अन्तिम पंक्ति	जाते है।	जाते हैं।
६८०८	५	adminstration	administration
,,	२१	ग्वास	खास
६८११	शीर्ष	(डॉ० सहादुरसिंह)	(डॉ० बहादुरसिंह)
,,	२०	ध्यान देगे	ध्यान देंगे
६८१५	शीर्ष	(श्री नृजसुन्दर शर्मा)	(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
६८१६	शीर्षक	निर्धायण विधेयक	निर्धारण विधेयक
६८२१	१६	श्री पुरुषोतमलाल शर्मा	श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा
६८२२	शीर्षक	निधारिण विधेयक	निर्धारण विधेयक
,,	१८	जिज भाषा	जिस भाषा
,,	अन्तिम से ३	कॉन्स्टीट्यू शनली	कॉन्स्टीट्यूश्नली
६८३०	शीर्षक	निधारण विधेयक	निर्धारण विधेयक
६८३१	२१	प्रारम्ग	प्रारम्भ
६८३३	शीर्षक	न्यायाल शुल्न	न्यायालय शुल्क
६८३४	,,	१९६१	१९६०

(२)

१	२	३	४
६८३४	अन्तिम से २	होते है	होते हैं
,,	शीर्ष	(श्री जगदीशप्रसाद माचुर)	(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)
६८३६	७	इन्जक्शन्स	इन्जंक्शन्स
६८३९	४ व १२	चटाटड़	ग्राटड़
६८४८	२४	आवेदन पत्र	आवेदन पत्रों
६८५२	अन्तिम से ३	रिन्यूवल	रिन्यूवल
६८५५	शीर्ष	(श्री भैर सह)	(श्री भैरोंसिंह
६८५७	२२ व २३	wil-in	within
६८५८	२	ुझे	मुझे
६८५९	२	प्रोफेशन हैं	प्रोफेशन है
,,	८	कराट	करप्ट
,,	९	किया गया है	संकेत किया गया है
,,	१५	नुकसाव	नुकसान
६८६०	५	फिकेटस	फिकेट्स
६८६२	२५	कधिकार	अधिकार
६८७४	शीर्षक	१९५०	१९६०
६८८०	अन्तिम से ४	सोचेगे	सोचेंगे
६८८६	१६	अनुफत	अनुपात
६८८८	२२	श्रीश्रीभानसिह	श्री श्रीभानसिंह
६८९०	२	सशोधन	संशोधन
,,	१५	पोइन्टस	पोइन्ट्स
,,	१९	जाय	जायं
६८९३	६	गई हैं।	गए हैं।
,,	अन्तिम से ५	नैक्स	टैक्स
६८९४	४	उठेगा उस	उठेगा तो उस
,,	९	बिंडलाजी	बिड़लाजी
,,	१९	पाई	पाईं
,,	२६	करे	करें
६८९८	४	आग्युंन्ट्स	आग्युंमेन्ट्स
६८९९	अन्तिम से २	पड़ेगे	पड़ेंगे
६९०१	९	है	हैं
,,	अन्तिम से ८	अगरवह लाजमी हैबढ़ाना	अगर वह लाजमी है बढ़ाना

१	२	३	४
६६०३	२१	आइट	आउट
६६०४	अन्तिम से ८	नहीं होती	नहीं होतीं
६६०५	५	कर	पर
,,	अन्तिम से २	ओ	और
६६०६	११	Ministee	Minister
६६१०	शीर्षक	१६६६	१६६०
,,	१५	फे दावे	के दावे
६६१३	शीर्षक	न्यायालव शुल्क तथा वाय मूल्य	न्यायालय शुल्क तथा वाद-मूल्य
,,	२१	प्रोपर्टी	प्रोपर्टी
६६१४	अन्तिम पंक्ति	सम्बन्ध मे,	सम्बन्ध में
६६१५	७	डिस्प्यूटस	डिस्प्यूट्स
६६१७	५	इन्वोल्डड	इन्वोल्व्ड
६६१८	स्कम्भ	३६१८	६६१८
,,	शीर्षक	विधेयक १६६०	विधेयक, १६६०
६६१६	१६	(वाडमेर)	(बाड़मेर)
६६२०	शीर्षक	निर्धाँरण विधेयक	निर्धारण विधेयक
६६२१	अन्तिम से ५	श्री शिवनाथसिह	श्री शिवनाथसिंह
६६२२	७	स्टेट ने मान	स्टेट ने मान रखा है उसे
६६२४	१०	(वाडमेर)	(बाड़मेर)
,,	अन्तिम से ४	वहुत	बहुत
६६२६	१	श्री तनसिह	श्री तनसिंह
६६२७	शीर्षक	न्यायालय	न्यायालय
६६२८	अन्तिम से २	डॉ० वहादरसिंह	डॉ० बहादुरसिंह
६६३४	शीर्षक	१६६१	१६६०
६६३५	६	to gether	together
६६३६	शीर्षक	१६६१	१६६०
६६३६	१२	आश । हैं	आशा है
६६४०	शीर्षक	निर्धारण विधेयक	निर्धारण विधेयक
,,	५	डा० वहादुरसिह	डॉ० बहादुरसिंह
६६४१	१ न १६	इन्जेक्शन	इन्जंक्शन
,,	२४	(सवाई माघोगुर)	(सवाई माधोपुर)
६६४३	५	Sha ll	Shall
६६४५	१०	इन्जेक्शन	इन्जंक्शन

१	२	३	४
६६४६	शीर्षक	निर्धारण विधेयका	निर्धारण विधेयक
,,	५	de lartaion	declaration
,,	१६	def erred	deferred
,,	२१	dbferred	deferred
६६४६	१२	श्री तनसिह	श्री तनसिंह
६६५१	शीर्षक	वास मूल्य	वाद मूल्य
६६५४	७	कोर्ट फांस	कोर्ट फीस
६६५५	अन्तिम पंक्ति	इन्जेक्शन	इन्जंक्शन
घ	व		
६६५६	१०		
,,	अन्तिम से ८	Clanuse	Clause
६६६१	शीर्षक	स्यायालय	न्यायालय
,,	१७	व्रद्दुओं	व्रद्दुआओं
६६६४	१	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
६६८६	अन्तिम पंक्ति	5. Dy. Dlrector	5. Dy. Director

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
६८१८	शीर्षक	मिर्धारण विधेयक	निर्धारण विधेयक
६८४५	स्कम्भ	६७४५	६८४५
६८६३	शीर्षक	न्यायालय शुल्क तथा वात मूल्य	न्यायालय शुल्क तथा वाद मूल्य
६६०२	,,	निर्धारण विधेयक, १६६१	निर्धारण विधेयक, १६६०
शुद्धि-पत्र पृष्ठ २	१	६८३४	६८३५